वार्षिक प्रतिवेदन

(वार्षिक लेखाओं सहित)

2023-24

Annual Report

(Including Annual Accounts)

2023-24

एग्रीनोवेट इण्डिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

Agrinnovate India Limited

(A Government of India Enterprise)

एग्रीनोवेट इण्डिया लिमिटेड

वार्षिक प्रतिवेदन

(वार्षिक लेखा सहित)

2023-24

कॉरपोरेट सूचना

निदेशक मंडल

डॉ. हिमांशु पाठक
(04 अगस्त 2022 से)

श्री संजय गर्ग

डॉ. अशोक दलवाई

श्रीमती अलका नांगिया अरोड़ा
(21 नवम्बर, 2022 से)

डॉ. नीरू भूषण
(09 मार्च, 2023 से)

श्री आनंद मोहन अवस्थी

श्री जी. के. नागराज

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डॉ. प्रवीण मलिक

मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्री राहुल कुमार

कम्पनी सचिव
सुश्री धृति मदान

बैंकर्स
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
उद्योग भवन, नई दिल्ली

केनेरा बैंक (पूर्व में सिंडिकेट बैंक)
एन.ए.एस.सी. परिसर, डी.पी.एस. मार्ग, नई दिल्ली

सांविधिक लेखापरीक्षक
मेसर्स विवेक संजय एण्ड कम्पनी
चार्टेड एकाउन्टेंट्स
पूसा रोड, नई दिल्ली - 110005

पंजीकृत कार्यालय
जी-2, ए ब्लॉक, एन.ए.एस.सी. परिसर,
डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली - 110012
फोन : 011-25842122

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एग्रीनोवेट इण्डिया लिमिटेड, जी-2, ए ब्लाक, एनएएससी कॉम्पलैक्स, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली 110012 द्वारा प्रकाशित। मै. रॉयल ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-89/1, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली 110028 द्वारा लेजरटाईप सेट एंव मुद्रित।

विषय सूची

विवरण	पृष्ठ संख्या
कम्पनी के प्रदर्शन पर एक नजर	1–6
निदेशक का प्रतिवेदन	7–36
तुलन पत्र और लाभ एवं हानि विवरण	37–64
स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन	65–79
सचिवीय लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन	80–86
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां	87–88

डॉ हिमांशु पाठक
Dr HIMANSHU PATHAK

सत्यमेव जयते

सचिव कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग एवं
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन, नई दिल्ली 110 001
Secretary, Department of Agricultural Research
and Education (DARE)
and Director General, Indian Council of
Agricultural Research (ICAR)
Krishi Bhawan, New Delhi 110 001

संदेश

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने खाद्य और पोषण सुरक्षा को टिकाऊ तरीके से सुनिश्चित करने के लिए कई प्रौद्योगिकियां और खेती के तरीके विकसित किए हैं। एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) के माध्यम से भाकृअनुप के तकनीकों को बढ़ावा देने, कृषि में नवाचार और तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड भाकृअनुप और अंतिम उपयोगकर्ताओं के बीच की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन विकासों ने परिशुद्ध खेती, जैविक खेती तकनीक, जैव-उर्वरकों और जैव-कीटनाशकों के उपयोग के साथ-साथ स्मार्ट सिंचाई प्रणाली पहल जैसी प्रथाओं का मार्ग प्रशस्त किया है, जिससे न केवल कृषि उत्पादकता में सुधार हुआ है बल्कि इनपुट लागत को कम करने में भी योगदान मिला है। एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn), भाकृअनुप द्वारा विकसित कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने और उनका व्यावसायीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड यह सुनिश्चित करता है कि तकनीकें देश भर के अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुँचें, इसके लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, लाइसेंसिंग समझौतों और निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ साझेदारी की सुविधा प्रदान की जाती है।

मैं वर्ष के दौरान 7.41 करोड़ रुपये का सकल राजस्व अर्जित करके अपनी उपलब्धियों के लिए एग्रीनोवेट टीम के प्रयासों की सराहना करता हूँ। वर्ष के दौरान एग्रीनोवेट ने विभिन्न निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों और किसानों सहित व्यक्तिगत उद्यमियों को 151 प्रौद्योगिकियाँ हस्तांतरित की हैं। एग्रीनोवेट ने प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण और प्रौद्योगिकियों को उद्योग जगत के लिए तैयार करने के लिए विभिन्न प्रचार गतिविधियों का आयोजन किया है, ताकि अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा उन्हें तेजी से अपनाया जा सके।

मैं एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के सभी वर्तमान और पूर्व निदेशकों, सदस्यों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. प्रवीण मलिक और पूरी टीम को एग्रीनोवेट को और अधिक जीवंत और दृश्यमान बनाने के लिए धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को जोड़ने के लिए और अधिक प्रयास किए जाएंगे।

(हिमांशु पाठक)
अध्यक्ष

संदेश

आज कृषि के समक्ष जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा जैसी कई चुनौतियाँ हैं। भाकृअनुप (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) नवाचार को बढ़ावा देकर देश में कृषि क्षेत्र के विकास में सबसे आगे रहा है। देश भर में इसके अनुसंधान संस्थानों और केंद्रों के अपने व्यापक नेटवर्क के माध्यम से, भाकृअनुप कृषि के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करता है और चुनौतियों का सामना करने के लिए तकनीक विकसित करता है। एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संगठन है जिसका लक्ष्य अनुसंधान संस्थानों और उद्योग के बीच की खाई को पाटना है। यह नवीन कृषि प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण की सुविधा प्रदान करता है। वैज्ञानिकों, किसानों और उद्यमियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर, एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड क्षेत्र में अत्याधुनिक समाधान लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अपने प्रारम्भिक काल से ही कंपनी बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए अधिक से अधिक विपणन के लिए तैयार प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण में भाकृअनुप संस्थानों का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। भाकृअनुप के लगभग 60 संस्थान पहले ही एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) के साथ जुड़ चुके हैं और एग्रीनोवेट के माध्यम से अपनी प्रौद्योगिकियों का व्यावसायीकरण कर रहे हैं। मैं संस्थानों को जोड़ने और प्रौद्योगिकियों को हस्तांतरित करने में कंपनी द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करता हूं और ये प्रयास शेष संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को भी जोड़ने के लिए जारी रहेंगे।

मैं कंपनी के प्रबंधन, वर्तमान और पूर्व निदेशकों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूँ और 2023-24 के दौरान उनके द्वारा की गई सभी गतिविधियों और प्रगति का सार वार्षिक प्रतिवेदन में लाने के लिए टीम के प्रयासों की सराहना करता हूँ। मैं उनके भविष्य के प्रयासों के लिए भी उन्हें शुभकामनाएँ देता हूँ।

संजय गर्ग

(संजय गर्ग)
उपाध्यक्ष, एग्रीनोवेट

एग्रीनोवेट
इंडिया
लिमिटेड

एग्रीनोवेट की एक झलक

(रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान)

भारत सरकार का एक उद्यम एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn), कृषि में नवाचारों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने तथा 'अभिनव साझेदारियों की दुनिया' बनाने के अपने उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। यह अनुसंधान संस्थानों और कृषि-उद्योग के बीच एक महत्वपूर्ण इंटरफेस के रूप में काम करता है और घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए लाइसेंसिंग के माध्यम से प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण को बढ़ावा देता है। कंपनी ने प्रतिवेदन अवधि के दौरान अपने सकल राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि की है। मानकीकृत प्रोटोकॉल के साथ, एग्रीनोवेट ने भाकृअनुप के कई संस्थानों, उद्योग और किसानों को अंतिम हितधारकों के रूप में मदद की है, जिसमें विभिन्न निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों और किसानों सहित व्यक्तिगत उद्यमियों को लगभग 151 प्रौद्योगिकियां हस्तांतरित की गई हैं जिससे कुल 7.41 करोड़ रुपयों (करों को छोड़कर) का राजस्व प्राप्त हुआ है।

भाकृअनुप और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (NARS) के तहत विकसित प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण के लिए दिशा-निर्देशों को एग्रीनोवेट के साथ सुसंगत बनाया गया है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों/विषयों में व्यावसायीकरण के लिए गुंजाइश बढ़ गई है। एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड अब साझेदारी के माध्यम से नवाचार और क्षमता संचालित कृषि विकास को बढ़ाने और उत्प्रेरित करने के लिए नए अवसरों का लाभ उठाने की स्थिति में है।

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड की प्रगति रिपोर्ट :

भाकृअनुप के कुल 98 अनुसंधान संस्थानों में से केवल 62 संस्थान ही एग्रीनोवेट से जुड़े हैं; जबकि 39 संस्थान अभी भी संस्थान स्तर पर अपनी प्रौद्योगिकियों का व्यवसायीकरण कर रहे हैं। इन 62 संस्थानों ने कुल

735 प्रौद्योगिकियों को सौंपा है, जिनमें से 164 प्रौद्योगिकियों का स्थानीय, राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय उद्योगों में सफलतापूर्वक व्यवसायीकरण किया गया है। इसके अलावा, एग्रीनोवेट से जुड़े 5 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की 3 प्रौद्योगिकियों का भी उद्योग ग्राहकों को लाइसेंस दिया गया है। संस्थानों की संख्या, स्थापना के बाद से सौंपी गई और व्यवसायीकृत प्रौद्योगिकियों का सारांश, विषयवस्तु प्रभागों के अनुसार नीचे दिया गया है। (तालिका-I)

प्रभाग/विषय वस्तु प्रभाग का नाम	संस्थानों/राज्य कृषि विश्व-विद्यालयों की संख्या	जुड़े हुए संस्थानों की संख्या	संस्थानों की संख्या जो अभी तक नहीं जुड़े हैं	31.3.23 तक सौंपी गई प्रौद्योगिकियां	31.3.23 तक लाईसेंस जारी की गई प्रौद्योगिकियां	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सौंपी गई प्रौद्योगिकियां	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लाईसेंस जारी की गई प्रौद्योगिकियों की संख्या (वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सौंपी गई प्रौद्योगिकियों सहित)	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रौद्योगिकीलाईसेंस करारनामों की संख्या
कृषि अभियांत्रिकी	5	5	0	75	4	14	0	0
पशु विज्ञान	19	16	3	165	39	31	24 (12)	15 (24)
फसल विज्ञान	28	19	9	193	50	66	30 (12)	35 (39)
मत्स्य विज्ञान	8	6	2	65	15	5	2 (0)	2 (2)
बागवानी विज्ञान	23	12	11	97	49	5	22 (1)	57 (76)
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	15	4	11	19	7	0	4 (0)	4 (4)
उप-कुल	98	62	36	614	164	121	82 (25)	113 (136)
राज्य कृषि विश्वविद्यालय	63	5	58	3	2	3	1 (0)	1 (1)
कुल योग	161	67	94	617	166	124	82 (25)	114 (137)

वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 151 प्रौद्योगिकियों के लिए 114 टीएलए निष्पादित किए गए हैं, जिससे कुल 7.41 करोड़ रुपये और जीएसटी का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये प्रौद्योगिकियां फसल विज्ञान (31%), डेयरी और पशु चिकित्सा विज्ञान (15.8%), बागवानी (51%) और मत्स्य पालन (1.3%) से उभरी हैं। (चित्र I

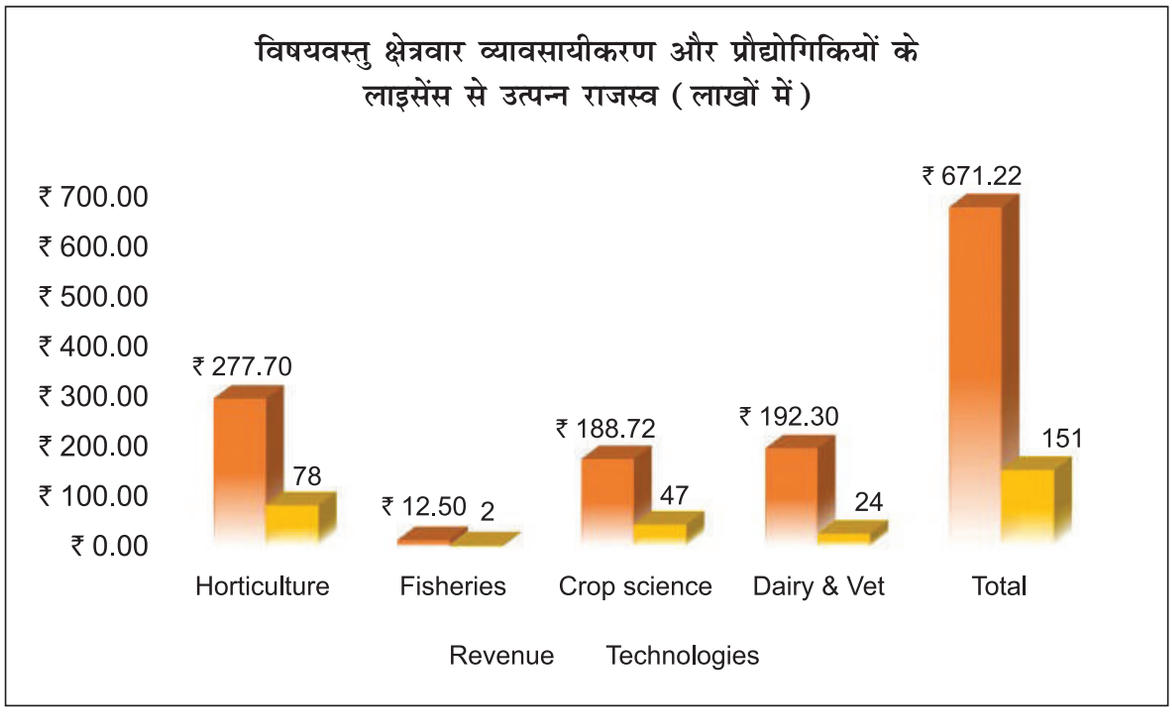

चित्र I - वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विषयवस्तु क्षेत्रवार व्यावसायीकरण और प्रौद्योगिकियों के लाइसेंसिंग से उत्पन्न राजस्व।

व्यवसाय विकास गतिविधियाँ

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एग्रीनोवेट और उनकी टीम के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप कंपनी के लिए व्यावसायिक अवसरों का व्यापक विस्तार हुआ और 61 संस्थानों और 5 विश्वविद्यालयों की लगभग 600 से अधिक प्रौद्योगिकियों को एग्रीनोवेट के माध्यम से व्यावसायीकरण के लिए तैयार प्रौद्योगिकियों की सूची में जोड़ा गया है।

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के माध्यम से एग्रीटेक हस्तांतरण की सफलता की चयनित कहानियाँ

1. आईसीएआर-सीपीआरआई कुफरी फ्रायोएम (Kufri FryoM)

भारत में, प्रसंस्करण उद्योग फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए विदेशी प्रसंस्करण आलू की किस्मों का उपयोग करने के लिए भारी रॉयल्टी का भुगतान कर रहे हैं। वैकल्पिक रूप से, ICAR-CPRI, शिमला ने कुफरी फ्रायोएम विकसित किया है जो उत्तर पश्चिमी और मध्य मैदानों या इसी तरह की कृषि-पारिस्थितिकी में खेती के लिए उपयुक्त एक अगेती परिपक्व, मुख्य मौसम, उच्च उपज वाली प्रसंस्करण आलू की किस्म है। यह पछेती तुषारपात के प्रति क्षेत्र प्रतिरोध प्रदान करता है, इसकी गुणवत्ता बनाए रखनी की क्षमता बहुत अच्छी है, इसमें कंद शुष्क पदार्थ मध्यम (20%) और कम अपचायक शर्करा (<150 mg@100) है। यह किस्म 30-35 टन/हे. उपज देती है और >80% प्रसंस्करण

ग्रेड कंद देती है।यह किस्म घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रसंस्करण बाजारों में लाभदायक व्यावसायिक अवसर प्रदान करेगी। अब तक, इस तकनीक को देश भर में गैर-अनन्य आधार पर 15 विभिन्न सार्वजनिक/निजी उद्योगों को लाइसेंस दिया गया है और यह उद्योग की प्रसंस्करण आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा कर रही है। भारत में आलू की प्रसंस्करण किस्मों की भारी मांग है और उत्साही ग्राहक इसके लाइसेंस के लिए एग्रीनोवेट इंडिया से संपर्क कर सकते हैं और बाजार की मांग को पूरा करने के लिए के.फ्रायोएम का लाभ उठा सकते हैं।

2. आईसीएआर-आईएआरआई एचटी विशेषता वाली चावल जीनप्ररूप प्रौद्योगिकी

वर्तमान परिदृश्य में, चावल की खेती के तरीके धीरे-धीरे सिंचित प्रतिरोपण से सीधे बीज बुवाई वाले चावल (डीएसआर) की ओर तेजी से स्थानांतरित हो रहे हैं, जो खरपतवार की समस्याओं के प्रति भी संवेदनशील है, जिससे काफी नुकसान होता है। हालांकि खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए शाकनाशी का उपयोग सबसे प्रभावी और किफायती तरीका है। इसलिए, चावल में संगत वाली शाकनाशी स्पेक्ट्रम को व्यापक बनाने के लिए शाकनाशी-सहिष्णु (एचटी) चावल का विकास आवश्यक है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए; आईसीएआर-आईएआरआई, नई दिल्ली ने अन्य नेटवर्क आईसीएआर संस्थानों/विश्वविद्यालयों के सहयोग से एक 'गैर-जीएम शाकनाशी सहिष्णु चावल जीनोटाइप' विकसित किया है, जिसका उत्पादन डोनर पैरेंट के रूप में इथाइल मीथेन सल्फोनेट प्रेरित शाकनाशी सहिष्णु चावल उत्परिवर्ती (रॉबिन) का उपयोग करके आणविक मार्कर सहायता प्राप्त बैकक्रॉस प्रजनन के माध्यम से किया गया है। यह इमेजेथापायर 10% एसएल (100 ग्राम ए.आई) के प्रति सहिष्णुता रखता है। उत्कृष्ट चावल पृष्ठभूमि में इमेजेथापायर 10% एसएल (100 ग्राम ए.आई.) के प्रति सहनशील गैर-जीएम शाकनाशी सहनशील चावल जीनोटाइप, जो अन्य चावल स्वामित्व/जीनोटाइप/पृष्ठभूमि में एचटी विशेषता के हस्तांतरण में सक्षम है। अब तक, इस तकनीक को देशों के तीन उद्योगों में सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया जा चुका है, जो अब सफलतापूर्वक एचटी को अपने स्वयं के पृष्ठभूमि में शामिल कर रहे हैं और बहुत जल्द ही शाकनाशी सहनशील चावल की किस्मों को जारी करेंगे और उन्हें किसानों को आसानी से उपलब्ध कराएँगे। यह तकनीक अन्य उत्साही उद्यमियों के लिए बड़े व्यावसायिक अवसर प्रदान करती है जो इसका लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एग्रीनोवेट इंडिया से संपर्क कर सकते हैं।

3. तिलहन टेक - आईसीएच-5 अरंडी संकर : अरंडी की खेती के लिए वरदान

अरंडी की फसल अनादि काल से वर्षा आधारित कृषि पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए आदर्श रही है। कठोर जलवायुवीय परिस्थितियों के प्रति इसकी लचीलापन, कम आदानों की आवश्यकता, प्रबंधन में आसानी को देखते हुए, अरंडी देश के वर्षा आधारित पारिस्थितिकीय तंत्र में छोटे किसानों की आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश अरंडी उत्पादन और निर्यात में वैश्विक अग्रणी है, जिसमें गुजरात

और राजस्थान का योगदान सबसे अधिक है। हालांकि, बदलते जलवायु परिदृश्य की हालिया गतिशीलता के साथ, मांग आधारित दृष्टिकोण पर वर्षा आधारित पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए उपयुक्त जीनप्ररूप विकसित करने पर जोर दिया गया था। इस दिशा में, ICH-5 को भाकृअनुप-भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया था और दिसंबर, 2021 में CVRC द्वारा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा और महाराष्ट्र राज्यों में खेती के लिए अधिसूचित (Gazette Notification S-O-8 (E) दिनांक 24.12.2021) किया गया था। एआईसीआरपी-अरंडी परीक्षणों (2018-21) में वर्षा आधारित खेती के तहत ICH-5 ने 1671 किग्रा प्रति हेक्टेयर की औसत बीज उपज दर्ज की है, जो अनुशंसित राज्यों में मौजूदा संकर (राष्ट्रीय चेक किस्म, GCH-8 : 1378 किग्रा/हेक्टेयर, जोनल चेक किस्म, ICH-66 : 1521 किग्रा/हेक्टेयर) की तुलना में 15-21% अधिक थी।

वर्षा आधारित खेती के तहत इसने उच्च परीक्षण भार (प्रति 100 बीज पर 30 ग्राम से अधिक) भी दर्ज किया है। इस संकर के प्रदर्शन को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के किसानों ने खरीफ, 2023 के दौरान इसकी सूखा सहनीयता और मौसम के दौरान 35-55 दिनों के सूखे के बावजूद उपज देने की क्षमता के कारण काफी सराहा है। इस संकर में 6-8 महीने की फसल अवधि के लिए ड्रिप सिंचाई के तहत 2000-4000 किग्रा प्रति हेक्टेयर की बीज उपज क्षमता है। इसकी क्षमता और किसानों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, रायलसीमा एग्री प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (आरएपीसी) ने आईसीएआर-आईआईओआर, आरएपीसी और एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (एजीआईएन) के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से इसके संकर बीज उत्पादन और विपणन के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। निजी क्षेत्र की भागीदारी से अरंडी के क्षेत्र के विस्तार, अरंडी की खेती की उत्पादकता बढ़ाने और इस प्रकार उपरोक्त राज्यों में किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलती है। वर्षा आधारित खेती के तहत इसने उच्च परीक्षण भार (प्रति 100 बीज पर 30 ग्राम से अधिक) भी दर्ज किया है। वर्ष 2023 के खरीफ के दौरान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के किसानों ने इस संकर के प्रदर्शन की बहुत सराहना की है, क्योंकि यह सूखा सहन करने में सक्षम है और फसल अवधि के दौरान 35-55 दिनों के सूखे के बावजूद उपज देने की क्षमता रखता है। फसल अवधि के 6-8 महीने में ड्रिप सिंचाई के तहत संकर में 2000-4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज उपज की क्षमता है। इसकी क्षमता और किसानों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, रायलसीमा एग्री प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (आरएपीसी) ने आईसीएआर-आईआईओआर, आरएपीसी और एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (एजीआईएन) के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से इसके संकर बीज उत्पादन और विपणन के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। निजी क्षेत्र की भागीदारी से अरंडी के कृषि क्षेत्र के विस्तार, अरंडी की खेती की उत्पादकता बढ़ाने और इस प्रकार उपरोक्त राज्यों में किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलती है।

4. आईसीएआर-आईआईएसआर बायो-कैप्सूल

आईसीएआर-आईआईएसआर बायो-कैप्सूल को जिलेटिन कैप्सूल में कृषि के लिए महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीवों को समाहित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो परिष्कृत उपकरणों या विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता के बिना एक कुशल और उपयोगकर्ता के अनुकूल समाधान प्रदान करता है। ये बायो-कैप्सूल कोई हानिकारक उपोत्पाद उत्पन्न नहीं करते हैं और इन्हें 18 महीने तक कमरे के तापमान पर आसानी से भंडारित किया

जा सकता है। इस तकनीक का नौ कंपनियों में सफलतापूर्वक व्यावसायीकरण किया गया है, जो इसकी प्रभावशीलता और उद्योग स्वीकृति को दर्शाता है।

5. आईसीएआर-सीआईआरबी प्रेगा-डी

मूत्र-आधारित गर्भावस्था निदान किट भ्रूण के विकास से प्रभावित मेटाबोलाइट्स का पता लगाने के लिए थर्मोफिलिक जैव रासायनिक रंग प्रतिक्रिया का उपयोग करती है। यह गैर-आक्रामक प्रक्रिया प्रशीतन की आवश्यकता को समाप्त करती है, जिससे उपयोग और भंडारण में आसानी होती है। प्रौद्योगिकी को सफलतापूर्वक उद्योग में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे इसके प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (टीआरएल) को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ावा मिला है।

(प्रवीण मलिक)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित विवरण के साथ कंपनी के व्यवसाय और संचालन पर अपनी बारहवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय उपलब्धियां (स्टैंडअलोन एण्ड कंसालीडेटेड)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी का प्रदर्शन इस प्रकार है:

(रूपए सैकड़ों में)

क्र. सं.	विवरण	2023-24	2022-23
1.	परिचालन से राजस्व	7,40,457	10,01,960
2.	अन्य आय	6,40,220	4,62,632
3.	कुल व्यय	7,44,887	9,93,562
4	सकल लाभ	6,35,790	4,71,030
5.	कर हेतु प्रावधान	1,58,235	1,19,784
6.	कर के उपरान्त शुद्ध लाभ	4,74,117	3,51,247

कंपनी की 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट और 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण तैयार किया गया है और इसे अनुमोदन के लिए रखा गया है।

परिचालन सारांश

कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10.01 करोड़ रुपये के मुकाबले 7.41 करोड़ रुपये का परिचालन राजस्व प्राप्त किया है। पिछले वर्ष 2022-23 के 0.03 करोड़ रुपये के मुकाबले चालू वर्ष के दौरान मूल्यह्रास 0.02 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कंपनी ने 4.71 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3.51 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यवसाय प्रबंधक राजस्व 250.49 लाख रुपये से संशोधित कर 246.82 लाख रुपये किया गया।

कंपनी के मामलों की स्थिति

कंपनी भाकृअनुप के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से प्रौद्योगिकियों को स्थानांतरित करने, प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने, विभिन्न हितधारकों के बीच संगठन के पास उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता पैदा करने में सक्रिय रूप से शामिल रही है।

हस्तांतरित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी विभिन्न निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों और किसानों सहित व्यक्तिगत उद्यमियों को 7.41 करोड़ रुपये (करों को छोड़कर) की सकल राजस्व प्राप्ति के साथ 151 प्रौद्योगिकियां हस्तांतरित करने में सक्षम रही है।

व्यावसायीकृत 151 प्रौद्योगिकियों में से, महत्वपूर्ण बाजार प्रभाव और मांग एवं उच्च मूल्य वाली प्रौद्योगिकियों में निम्नलिखित शामिल हैं :

क्र. सं.	प्रौद्योगिकी एवं संस्थान का नाम	ग्राहकों की संख्या	कर छोड़कर मूल्य (लाखों में)
1.	एच टी विशेषता	1	30
2.	एरोपोनिक प्रौद्योगिकी	3	36.75
3.	साम्बा मसूरी	1	10
4	Tv,PF,PC,Th	2	20
5.	बायोकैप्सूल	2	20
6.	STFR	2	20
7.	AIV के लिए अप्रत्यक्ष इलिसा	1	12.50
8.	गर्भावस्था निदान किट	1	15
9.	प्रौद्योगिकी किट	1	32.30
10.	चिकन के लिए आईबीडी	1	17.50
11.	पीपीआर और बकरी चेचक का संयुक्त टीका	1	65
12.	जीवित क्षीणित टीका शीपपॉक्स	1	12.50
13.	VL Vita, VL QPM Hybrid 45	1	10
14.	अर्का केला स्पेशल, अर्का सब्जी, अर्का आम स्पेशल	1	11
	कुल	19	312.55

वित्तीय वर्ष 2023-24 में 68 टेक्नो कमर्शियल असेसमेंट बैठकें आयोजित की गई, जिनमें से 6 बैठकें निम्नलिखित संस्थानों के साथ भौतिक रूप से आयोजित की गईं:

क्र.सं.	संस्थान का नाम	बैठक का दिनांक
1.	भाकृअनुप - केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान	09.05.2023
2.	भाकृअनुप - भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वारणासी, उत्तर प्रदेश	18.05.2023
3.	भाकृअनुप - भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल	15.06.2023
4.	एसवीपीयूएटी, मेरठ	11.08.2023
5.	भाकृअनुप - राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	28.08.2023
6.	भाकृअनुप - केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार, हरियाणा	01.03.2024

एग्रीनोवेट की प्रचार गतिविधियाँ

एग्रीनोवेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उनके टीम के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप कंपनी के लिए व्यावसायिक अवसरों का विस्तार हुआ और कंपनी की स्थापना के बाद पहली बार ब्रेकईवन बिंदु तक पहुँच गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रमुख मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: -

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 पर दूसरी जागरूकता बैठक

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 पर दूसरा जागरूकता कार्यक्रम 16 जनवरी 2024 को आईसी समिति के सदस्यों और एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए आयोजित किया गया था।

कार्यक्रम का लक्ष्य निम्नलिखित मुद्दों पर था:-

1. POSH अधिनियम के बारे में जागरूकता।
2. यौन उत्पीड़न को नियंत्रित करने वाले कानून
3. उन कृत्यों के बारे में जागरूकता जो यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आ सकते हैं
4. उन कृत्यों के बारे में जागरूकता जो यौन उत्पीड़न नहीं माने जाते
5. कार्यस्थल पर और बाहर कर्मचारियों का व्यवहार
6. कर्मचारियों की जिम्मेदारी
7. नियोक्ता की जिम्मेदारियां
8. इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को उपलब्ध अधिकार
9. शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
10. जांच की प्रक्रिया
11. यौन उत्पीड़न के लिए सजा
12. झूठी शिकायतों के परिणाम
13. आईसी समिति आदि के बारे में जागरूकता।

क्षेत्रीय हितधारक परामर्श बैठकें:

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एग्रीनोवेट ने बिजनेस टीम के साथ विभिन्न क्षेत्रीय हितधारक परामर्श बैठकों का आयोजन/भागीदारी की, जिनमें शामिल हैं: -

- संभावित उद्यमियों के लिए 25-26 अक्टूबर, 2023 को शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एसकेयूएएसटी-के), श्रीनगर में आईसीएआर-सीआईटीएच के सहयोग से क्षेत्रीय उद्योग हितधारक बैठक का आयोजन किया गया।
- दिनांक 20 से 22 दिसंबर, 2023 के दौरान आईसीएआर-डीओजीआर में आईसीएआर-हितधारक परामर्शक क्षेत्रीय बैठक (आईसीएआर-डीओजीआर और एग्रीनोवेट)।
- दिनांक 30-31 जनवरी, 2024 के दौरान आईसीएआर-वीपीकेएएस में आईसीएआर-हितधारक परामर्श क्षेत्रीय बैठक (आईसीएआर-वीपीकेएएस)।
- हैदराबाद में 12 फरवरी, 2024 को आईसीएआर-आईआईओआर में भाकृअनुप-हितधारक परामर्शक क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें तिलहन फसलों की किस्मों, जैव कीटनाशकों और मूल्यवर्धित उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में मॉडल खेतों के माध्यम से तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया। नवोन्मेषकों और उद्योग हितधारकों के बीच पारस्परिक चर्चा

में प्रौद्योगिकी लाभ और समझौते के विकल्पों पर ध्यान केंद्रित किया गया। तिलहन उत्पादन, संरक्षण, गुणवत्ता और निर्यात पर उद्योग के दृष्टिकोण पर भी चर्चा की गई।

- आईसीएआर-आईजीएफआरआई द्वारा आईपीएंडटीएम और एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के सहयोग से 12-13 फरवरी 2024 को झांसी में चारा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी सह उद्योग सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में चारा प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति को प्रदर्शित किया गया और शोधकर्ताओं, उद्योग पेशेवरों और नीति निर्माताओं के बीच चर्चा को सुविधाजनक बनाया गया। इसमें 250 से अधिक चारा फसल किस्मों के लाइसेंस के लिए रणनीतिक साझेदारों की भी मांग की गई।

इसके अलावा, मूल्यांकन के तंत्र और व्यावसायीकरण की प्रक्रिया को समझाने के लिए विभिन्न आईसीएआर संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ 20 से अधिक जागरूकता बैठकें भौतिक और आभासी दोनों तरह से आयोजित की गईं।

कई प्रतिष्ठित निकायों ने नीतिगत विचार-विमर्श, सहयोग और क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए एग्रीनोवेट को विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया। इनमें शामिल हैं: -

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एग्रीनोवेट को पालमपुर में प्रतिष्ठित डॉ. पीजी पांडे ओरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया और उन्होंने डॉ. पीजी पांडे मेमोरियल ओरेशन अवार्ड व्याख्यान दिया। उन्होंने पालमपुर में IAVMICON23 में भी भाग लिया और एक सत्र की अध्यक्षता की (07-08 अप्रैल 2023)।
- सीआईआई द्वारा दिनांक 20 अप्रैल 2023 को आयोजित 'किसानों को नवाचारों के साथ-साथ अत्याधुनिक उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने वाले तकनीक आधारित हस्तक्षेपों को मजबूत करने के लिए सहयोग की रूपरेखा' विषय पर किसानों और उद्यमियों को प्रौद्योगिकी वितरण के सबक पर विषयगत सत्र को संबोधित किया।
- 'बोवाइन सेक्स्ड सीमेन सॉर्टिंग टेक्नोलॉजी' के लिए विशेषज्ञों के अंतरविषयक समूह में मुख्य चर्चाकर्ता के रूप में डीबीटी बैठक में भाग लिया (21 अप्रैल 2023)।
- पशु चिकित्सा माइक्रोबायोलॉजी एलयूवीएएस-सीएएस बैठक में प्रोफेसर/समकक्ष के रूप में उन्नति/पदोन्नति के लिए एक शिक्षक की उपयुक्तता पर विचार करने के लिए गठित मूल्यांकन समिति में एक बाहरी विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया गया। (2 मई 2023)।
- पीवीएस पाथवे में पीपीपी कार्यान्वयन पर WOAH की वर्चुअल परामर्शक बैठक में भाग लिया। (3-4 मई 2023)।
- विश्व पशु चिकित्सा दिवस के अवसर पर देहरादून, उत्तराखंड में (15-16 मई 2023) ष्गांठदार त्वचा रोगों की रोकथामष् पर अतिथि व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया।
- राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (एनएएएस) द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से कृषि-बुनियादी ढांचे और कृषि-व्यवसाय के विकास को बढ़ाने पर आयोजित विचार-मंथन सत्र में विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया गया - (25 मई 2023)।
- लुधियाना के GADVASU में पशुधन स्वास्थ्य पर NAVS (I) के दीक्षांत समारोह पूर्व विचार-मंथन सत्र में भाग लिया। (1-2 जून 2023)।

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार द्वारा मानव रचना विश्वविद्यालय फरीदाबाद, हरियाणा में आयोजित विज्ञान के लिए इक्विटी सशक्तिकरण और विकास (एसईईडी) प्रभाग के आजीविका के लिए नवाचारों को सुदृढ़ बनाने, बढ़ाने और पोषण करने (एसयूएनआईएल) कार्यक्रम के तहत चल रही और पूरी हो चुकी परियोजनाओं के प्रदर्शन मूल्यांकन और समीक्षा तथा प्राप्त नई परियोजना प्रस्तावों की द्वितीय स्तर की स्क्रीनिंग के लिए तीसरी ईसी बैठक में विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया। - (5 जून 2023)।
- हैदराबाद स्थित आईसीएआर-एनएएआरएम में 112वें एफओसीएआरएस कार्यक्रम में 'एग्रीनोवेट इंडिया के माध्यम से प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण' पर वैज्ञानिक परिवीक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया। (28 जून 2023)।
- भारतीय पशु स्वास्थ्य कंपनी महासंघ (आईएनएफएएच) द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में रोग शमन और फार्म उत्पादकता पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं कार्यशाला में पशु स्वास्थ्य औषधियों और जैविक पदार्थों के लिए नियामक ढांचे पर सत्र के अध्यक्ष के रूप में भाग लिया। - (14 जुलाई 2023)।
- एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड की पहली सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई (20 जुलाई 2023)।
- हॉलिडे इन, एयरो सिटी, नई दिल्ली में द्वितीय भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन और पुरस्कार में सम्मानित अतिथि और प्रतिष्ठित अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया गया। (26 जुलाई 2023)।
- जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय (बीएमजेड) द्वारा संचालित इंडो-जर्मन जैव-विविध ता कार्यक्रम, जीआईजेड के अधिकारियों के साथ कृषि-पारिस्थितिकी के संदर्भ में प्रस्तावित परियोजना के माध्यम से वन हेल्थ स्ट्रैटेजी के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर वन हेल्थ एंड एग्रोइकोलॉजी प्रोजेक्ट/ जीआईजेड पर चर्चा आयोजित की गई (1 अगस्त 2023)।
- एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (एम.एस.एस.आर.एफ.), चेन्नई द्वारा एम.एस.एस.आर.एफ., चेन्नई में आयोजित होने वाले 'खाद्य, पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए शक्तिशाली बाजरा' विषयक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया। (5-7 अगस्त 2023)।
- 'पशुधन क्षेत्र-वर्तमान से परे देखना' विषय पर 64वें राष्ट्रीय संगोष्ठी 2023 में पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया, जिसका आयोजन 18-19 अगस्त, 2023 को होटल ली मेरिडियन, नई दिल्ली में 'फीड सुरक्षा की चुनौतियाँ: मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटनाष विषय पर प्रस्तुति/चर्चा के लिए किया गया है। (19 अगस्त 2023)।
- आईएलआरआई दक्षिण एशिया द्वारा आयोजित दक्षिण एशिया क्षेत्र-आईएलआरआई दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय हितधारक परामर्श में भाग लिया। (24 अगस्त 2023) क्षेत्र में उपलब्धियों और सबक की समीक्षा करने के लिए, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संदर्भ में पशुधन, जलवायु और खाद्य प्रणालियों के संबंध में प्रमुख मुद्दों और अवसरों की पहचान की, प्राथमिकताओं और हस्तक्षेपों की सिफारिश की, जिन पर आईएलआरआई और उसके भागीदारों को आगे बढ़ने पर विचार करना चाहिए, यह समझना कि आईएलआरआई अपने शोध की प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए अंतिम उपयोगकर्ताओं के साथ बेहतर तरीके से कैसे जुड़ सकता है और काम कर सकता है और आईसीएआर संस्थानों में अनुसंधान उपलब्धियों और पशुपालन क्षेत्र में आवश्यकताओं पर अंतर्दृष्टि प्रदान की। (24 अगस्त 2023)।

- माननीय मंत्री (एफएएचडी) की अध्यक्षता में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति की दूसरी बैठक में भाग लिया। (29 अगस्त 2023)।
- संस्थान प्रौद्योगिकी प्रबंधन समिति (आईटीएमसी); आईआईवीआर, वाराणसी की 13वीं बैठक में भाग लिया और प्रतिनिधित्व किया। (29 अगस्त 2023)।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सीआईआई, फिक्की और पीएचडीसीसीआई के साथ साझेदारी में आयोजित 'किसानों के लाभ के लिए एग्रीटेक की क्षमता को उजागर करना' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। साथ ही, किसानों के लिए अभिनव विचारों को वास्तविक समाधानों में बदलने के लिए स्टार्टअप इनक्यूबेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने पर ब्रेकआउट सत्र में भी भाग लिया। (31 अगस्त 2023)।
- एनएएएस, एनएएससी परिसर (भारतीय राष्ट्रीय बीज संघ) में 'भारतीय बीज उद्योग के विकास और चुनौतियों' पर तकनीकी सत्र में भाग लिया। (4 सितंबर 2023)।
- खाद्य एवं कृषि संगठन, रोम द्वारा आयोजित किसान अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसकी मेजबानी भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा की गई। (12-15 सितंबर 2023)।
- भाकृअनुप-केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, उत्तर प्रदेश में बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। (15 सितंबर 2023)।
- पीएसए के कार्यालय में उच्च जोखिम वाले रोगजनक प्रयोगशाला नेटवर्क (बीएसएल नेटवर्क) पर विशेषज्ञ समिति की बैठक में भाग लिया। (25 सितंबर 2023)।
- डीबीटी द्वारा पूर्ण की गई परियोजना-MyDAN (गोजातीय तपेदिक नियंत्रण पर डीबीटी नेटवर्क कार्यक्रम: पशुओं में माइकोबैक्टीरियल रोग नेटवर्क (मायडान) कार्यक्रम) की पूर्णता पर परियोजना समीक्षा बैठक में भाग लिया। (25 सितंबर 2023)।
- जकार्ता, इंडोनेशिया में WOAH (OIE) प्रशिक्षु विशेषज्ञ के रूप में 'इंडोनेशिया में रेबीज-विशिष्ट सामग्री के साथ PVS मूल्यांकन अनुवर्ती मिशन' में भाग लिया। (2-13 अक्टूबर 2023)।
- उन्होंने इंडोनेशिया के जकार्ता में WOAH (OIE) प्रशिक्षु विशेषज्ञ के रूप में 'इंडोनेशिया में रेबीज-विशिष्ट सामग्री के साथ PVS मूल्यांकन अनुवर्ती मिशन' में भाग लिया। (16-20 अक्टूबर 2023)।
- पशु-पक्षी-महासागरीय जीवन मानव संघर्षों के प्रभावों को कम करने, रोग संचरण को कम करने और दोनों प्रजातियों की उत्तरजीविता बढ़ाने के लिए भावी दिशा पर पैनल चर्चा जिसमें पशु-मानव संघर्ष और सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्व, पर्यावरण और उत्तरजीविता के रोगों के संचरण पर इसके प्रभाव पर वन हेल्थ पहल पर ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया गया (4 नवंबर 2023)।
- जैव विविधता और इसके पारिस्थितिकीय तथा आर्थिक महत्व पर विश्व बैंक द्वारा आयोजित गोलमेज चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। गोलमेज चर्चा में कृषि और पशुधन जैसे क्षेत्रों सहित जैव विविधता से संबंधित वर्तमान चुनौतियों और प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श किए जाने की उम्मीद थी। (10 नवंबर 2023)।

- श्रीलंका में पीपीपी लक्षित समर्थन के लिए पीवीएस विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया गया। (5-7 दिसंबर 2023)।
- आईएआरआई मेला ग्राउंड, नई दिल्ली में कृषि जागरण; मिलियनेयर फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड्स 2023 (एमएफओआई 2023) में प्रख्यात पैनलिस्ट। (8 दिसंबर 2023)।
- धारवाड़ के कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय में एग्रीटेक फ्यूजन: तकनीक हस्तांतरण, व्यावसायीकरण और आईपी रणनीतियों के माध्यम से नवाचारों को उजागर करना - एग्रीनोवेट और बीआईआरएसी सफलता से सीखें' विषय पर संकाय प्रशिक्षण के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में तकनीक-हस्तांतरण / व्यावसायीकरण और पीपीपी की भूमिका और महत्व और एग्रीनोवेट पहल विषय पर एक व्याख्यान दिया। (18-19 दिसंबर 2023)।
- राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर, राजस्थान में ऊंटों के शो के दौरान प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी में भाग लिया और एनआरसी ऑन कैमल, आईआईपीआर और सीएजेडआरआई, बीकानेर के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर चर्चा की। (12-15 जनवरी 2024)।
- जीएलए विश्वविद्यालय, मथुरा में वन हेल्थ इनिशिएटिव: हार्मोनाइजिंग ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरनमेंटल हेल्थ (ओएचआई-2023) पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उद्घाटन सत्र के दौरान प्लेनरी स्पीकर के रूप में भाग लिया और खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और सतत खाद्य उत्पादन के लिए वन हेल्थ पर तकनीकी सत्र की अध्यक्षता भी की। (18 जनवरी 2024)।
- आईटीएमयू/जेडटीएमसी के प्रभारियों के तीन दिवसीय संवेदीकरण/जागरूकता कार्यक्रम 'सृजन: आईसीएआर संस्थानों के आईटीएमयू/जेडटीएमसी को सशक्त बनाना' में 'बाजार विश्लेषण और प्रौद्योगिकी का मूल्य निर्धारण' विषय पर व्याख्यान दिया। (19 जनवरी 2024)।
- सी-कैंप में पीएसए कार्यालय द्वारा समर्थित एटीआरएसीटी लाइफ प्रोग्राम जीव विज्ञान में अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण में तेजी लाने के तहत भारत के लिए गहन विज्ञान को प्रभावशाली नवाचारों में बदलने के विस्तार पर चर्चा करने के लिए पीआरएमसी बैठक में भाग लिया। (23 जनवरी 2024)।
- NSFI-कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और आजीविका सृजन में उद्यम संवर्धन की दिशा में काम करने वाला एक गैर-लाभकारी संगठन द्वारा आयोजित परामर्श कार्यशाला में प्रतिष्ठित पैनलिस्ट-; महत्वाकांक्षी कृषि स्नातकों को उनकी उद्यमशीलता की यात्रा में सहायता करने और मौजूदा स्टार्टअप को उनके अंतिम मील के प्रदर्शन में सहायता करने की दोहरी जरूरतों को पहचानते हुए, NSFI, भारतीय कृषि कौशल परिषद और मेधा ने मिलकर यूथस्केप नामक कार्यक्रम का संचालन और विस्तार किया, जो कृषि स्नातकों को फेलोशिप प्रदान करता है और उद्यमिता विकास के माध्यम से उनका समर्थन करता है और उन्हें जीत की दिशा में स्टार्टअप की ओर बढ़ाता है। फेलोशिप से उम्मीद है कि यह स्टार्टअप को वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम मील की डिलीवरी में सहायता करेगी। (06 फरवरी 2024)।
- भाकृअनुप-केंद्रीय पटसन एवं संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान (सीआरआईजेएएफ), बैरकपुर द्वारा ''पटसन एवं संबद्ध रेशा फसलों की क्षमता एवं पटसन आधारित उत्पादों को बढ़ावा'' विषय पर आयोजित उद्योग एवं उद्यमी बैठक एवं प्राथमिक हितधारकों के साथ चर्चा में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। (08 फरवरी 2024)।

- शिक्षा ओ अनुसंधान (एसओए), डीम्ड यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर के अंतर्गत पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन संस्थान (आईवीएसएएच) में पशु वायरस, टीके और प्रतिरक्षा (एवीवीआई 2024) पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में श्वर्तमान जलवायु परिवर्तन परिदृश्य में वन हेल्थ इम्प्लीमेंटेशन' विषय पर व्याख्यान दिया। (09 फरवरी 2024)।
- आईपी एंड टीएम यूनिट, आईसीएआर और एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के सहयोग से भाकृअनुप-भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी द्वारा आयोजित चारा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी सह उद्योग सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। (12 फरवरी 2024)।
- आईटीएमयू/जेडटीएमसी के प्रभारियों के तीन दिवसीय संवेदीकरण/जागरूकता कार्यक्रम 'श्रीजन: आईसीएआर संस्थानों के आईटीएमयू/जेडटीएमसी को सशक्त बनाना' (द्वितीय बैच) में बाजार विश्लेषण और प्रौद्योगिकी का मूल्य निर्धारण विषय पर बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया। (14 फरवरी 2024)।
- बिट्स, पिलानी, पिलानी परिसर में नवाचार, प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (टीआरएल) और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर एक कार्यशाला में अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। (28 फरवरी, 2024)।
- एक कार्यक्रम (NUCLEUS 1.0, द टेक शो) में पैनलिस्ट और जूरी सदस्य के रूप में भाग लिया, जहाँ स्कूल और कॉलेज के छात्रों के एक समूह ने अपने अभिनव प्रोटोटाइप का प्रदर्शन किया। (29 फरवरी, 2024)।
- बैंगलोर चौंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स (बीसीसीआई) कृषि और खाद्य प्रसंस्करण विशेषज्ञ समिति में पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया। (4 मार्च, 2024)।
- यूएसएआईडी के वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम के साथ संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा आयोजित पशु स्वास्थ्य पर बहुक्षेत्रीय विशेषज्ञ कार्यशाला में पशु रोग की प्रारंभिक चेतावनी और आपातकालीन तैयारी पर चर्चा करने के लिए एक पैनलिस्ट सह मॉडरेटर के रूप में आमंत्रित किया गया। (14 मार्च, 2024)।
- 'स्मार्ट एनिमल फार्मिंग: 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की दिशा में परिप्रेक्ष्य योजनाष पर NAAS-विशेषज्ञ परामर्श में एक विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया। (22 मार्च, 2024)।
- आईसीएआर-एनआईएफएमडी, भुवनेश्वर द्वारा एफएमडीवी सीरोटाइप (वैक्सीन स्ट्रेन के वर्तमान स्ट्रेन ए आईएनडी 40/2000 से प्रस्तावित ए आईएनडी 27/2011 तक के तकनीकी पहलू) के परिवर्तन के संबंध में आयोजित एक ऑनलाइन बैठक में भाग लिया। (27 मार्च 2024)

प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण के माध्यम से राजस्व योगदान

- वर्ष 2023-24 के दौरान, एग्रीनोवेट ने भाकृअनुप के कई संस्थानों को प्रभावी ढंग से सहायता प्रदान की और कुल 151 प्रौद्योगिकियों को हस्तांतरित करने में मदद की, जिससे 7.41 करोड़ रुपये (रॉयल्टी सहित) का सकल राजस्व अर्जित हुआ। ये प्रौद्योगिकियाँ फसल विज्ञान (31%), डेयरी और पशु चिकित्सा विज्ञान (15.8%), बागवानी (51%) और मत्स्य पालन (1.3%) से उभरी हैं।

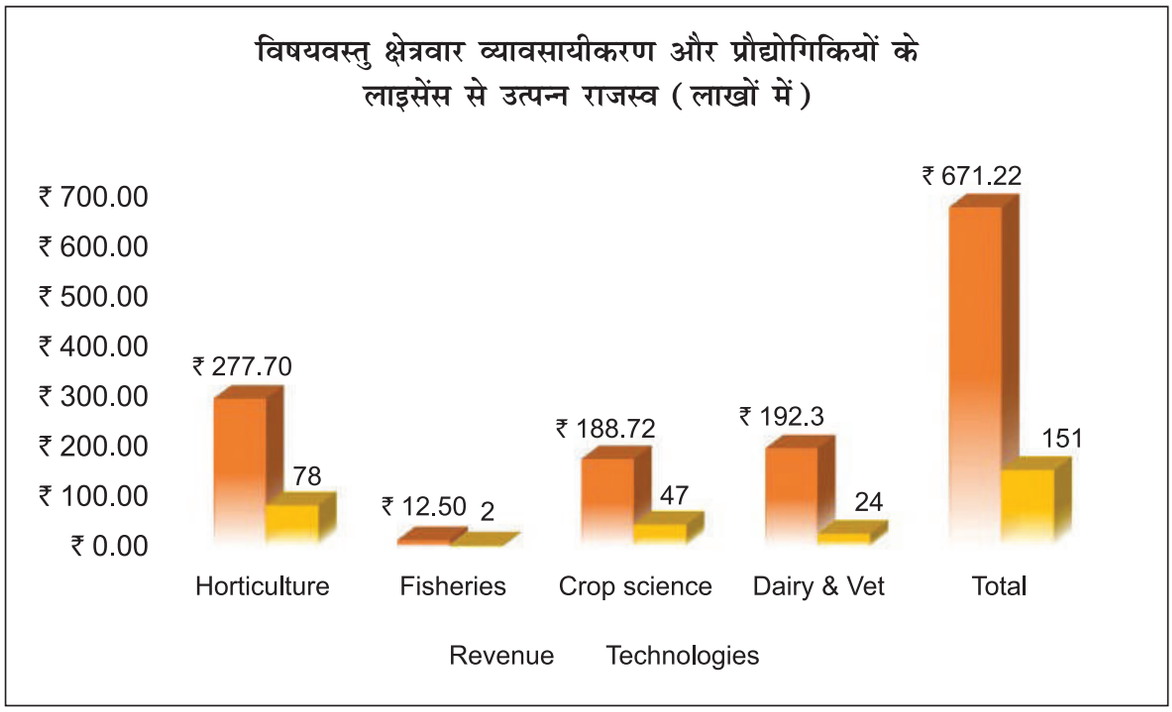

एग्रीनोवेट द्वारा अधिक आईसीएआर संस्थानों को शामिल करने और इस प्रकार व्यावसायीकरण के लिए प्रौद्योगिकी आधार का विस्तार करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप एग्रीनोवेट को 62 संस्थानों और 5 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से लाइसेंस के लिए लगभग 600 से अधिक प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराई गई हैं।

कंपनी का वेब पता

धारा 92 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट कंपनी का वार्षिक रिटर्न www.agrinnovateindia.co.in पर रखा जाएगा।

लाभांश

निदेशक मंडल ने विचाराधीन वर्ष के लिए पीएटी के 30% की दर से यानी 1.42 करोड़ रुपये लाभांश की सिफारिश की।

आरक्षित निधि में स्थानांतरित की गई राशि

कंपनी के बोर्ड ने अपने रिजर्व में 30.86 करोड़ रुपए रखने का प्रस्ताव किया है।

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान नियुक्त या सेवानिवृत्त निदेशकों/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) तथा वर्ष की समाप्ति के बाद और रिपोर्ट की तिथि तक नियुक्त या सेवानिवृत्त निदेशकों का विवरण नीचे दिया गया है: -

क्र. सं.	निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि
1.	डॉ. हिमांशु पाठक, सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, आईसीएआर	अध्यक्ष	04.08.2022	-
2.	संजय गर्ग, अपर सचिव, डेयर एवं सचिव, आईसीएआर	उपाध्यक्ष	02.09.2021	-
3.	श्रीमती अलका अरोड़ा, अपर सचिव, डेयर एवं वित्त सलाहकार, आईसीएआर	निदेशक	21.11.2022	
4.	डॉ. अशोक दलवई, कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा नामित	निदेशक	21.12.2016	11.08.2024*
5.	डॉ. जुज्जावरपु बालाजी, संयुक्त सचिव, समुद्री मात्स्यिकी, मात्स्यिकी विभाग, भारत सरकार	अपर निदेशक	9.03.2023	17.08.2023
6.	डॉ. नीरू भूषण, सहायक महानिदेशक, आईपीटीएम	निदेशक	9.03.2023	-
7.	श्री आनन्द मोहन अवस्थी, गैर-सरकारी निदेशक	निदेशक	25.02.2022	-
8.	श्री जी. के. नागराज, गैर-सरकारी निदेशक	निदेशक	25.02.2022	-
9.	डॉ. प्रवीण मलिक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	22.09.2022	-
10.	श्री राहुल कुमार	मुख्य वित्तीय अधिकारी	21.07.2022	-
11.	सुश्री धृति मदा	कम्पनी सचि	18.09.2018	-

**वित्तीय वर्ष 2024-25 में 11 अगस्त 2024 को पद त्याग दिया*

बोर्ड बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की निम्नलिखित पाँच बैठकें आयोजित की गईं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

बैठक का दिनांक	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
26.04.2023	5
12.07.2023	6
17.08.2023	6
22.11.2023	5
07.03.2024	5

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश 2010 के अनुपालन में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनुपालन पर कंपनी की रिपोर्ट तैयार की जाती है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न की जाती है।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होने पर उनसे घोषणा ली जाएगी और उसका खुलासा निदेशक की रिपोर्ट में किया जाएगा।

वार्षिक रिटर्न का सार

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(3)(ए) के साथ पठित धारा 92(3) के अनुसार, 31 मार्च, 2024 तक का वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट (www.agrinnovateindia.co.in) पर रखा जाएगा।

सांविधिक लेखापरीक्षक, उनकी रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

मेसर्स विवेक संजय एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। मेसर्स जगदीश चंद एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नोएडा, उत्तर प्रदेश को वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

अनुसूचियों पर नोट्स के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सांविधिक लेखापरीक्षक मेसर्स विवेक संजय एंड कंपनी की टिप्पणियां निम्नानुसार हैं: -

1. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार रॉयल्टी के संबंध में राजस्व पहचानने में विफल रही। कंपनी के पास विभिन्न पक्षों के साथ प्रौद्योगिकी लाइसेंस समझौते में रॉयल्टी खंड के संबंध में कोई उचित रिकॉर्ड नहीं है। कंपनी पार्टियों द्वारा हस्तांतरित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित/बेची गई इकाइयों पर नियंत्रण नहीं रखती है, जिसके आधार पर रॉयल्टी ली जा सकती है। अपर्याप्त ऑडिट साक्ष्यों के कारण हम प्राप्य रॉयल्टी की मात्रा निर्धारित करने में असमर्थ हैं। इसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के लिए प्राप्त रॉयल्टी द्वारा लाभ को कम बताया गया है।
2. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत दाखिल रिटर्न के माध्यम से दावा किए गए जीएसटी इनपुट के साथ जीएसटी इनपुट क्रेडिट का मिलान करने में विफल रही। कंपनी ने बैलेंस शीट के नोट 10 में 25,65,286/- रुपये के जीएसटी इनपुट क्रेडिट का असंगत संतुलन दर्शाया है। जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी इस इनपुट क्रेडिट का दावा कर सकती है या नहीं, इसकी जानकारी के अभाव में जीएसटी इनपुट क्रेडिट का प्रतिपादन निश्चित नहीं है। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2024 तक बैलेंस शीट में चालू परिसंपत्तियों का विवरण अधिक दिया गया है।
3. कंपनी विभिन्न संस्थानों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी के विपणन की सेवाएं प्रदान कर रही है। एएस 9 के अनुसार किसी समझौते के तहत प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से प्राप्त राजस्व को लाभ और हानि के विवरण में तभी मान्यता दी जानी चाहिए जब किसी अनुबंध के तहत सेवाओं का प्रतिपादन पूरा हो गया हो या काफी हद तक पूरा हो गया हो। कंपनी अग्रिम प्राप्ति के आधार पर राजस्व को मान्यता देने की प्रथा अपनायी है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के अनुसार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की तारीख प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से प्रभावी है। जबकि कंपनी अनुबंध पूरा होने से पहले राजस्व को मान्यता दे रही है जो लेखांकन सिद्धांतों के खिलाफ है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने 49,50,000/- रुपये का राजस्व मान्यता दी है, जिसके लिए अगले वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए समझौता निष्पादित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप ऑडिट के तहत वर्ष के लिए लाभ का विवरण 49,50,000/- रुपये अधिक हो गया है।
4. कंपनी ने बैलेंस शीट की नोट संख्या 5 में 41,500/- रुपये के अन्य भुगतान, 2,87,57,505/- रुपये के लाइसेंस शुल्क - आईसीएआर का हिस्सा और 5,07,73,657/- रुपये के लाइसेंस शुल्क - संस्थानों का हिस्सा दर्शाया है, जिसके लिए हमें किसी तीसरे पक्ष की पुष्टि नहीं मिली है, इसलिए हम ऐसे शेष राशि पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

उपर्युक्त लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर कंपनी द्वारा टिप्पणियाँ/ स्पष्टीकरण प्रदान किए गए हैं और इसके अलावा खातों पर टिप्पणियाँ स्व-व्याख्यात्मक हैं और आगे कोई टिप्पणी देने की आवश्यकता नहीं है।
इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के साथ पठित धारा 394(1) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया जाएगा और उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में तय किया जाएगा।

धारा 143 की उपधारा (12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में विवरण

मेसर्स विवेक संजय एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी में कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 204 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, मेसर्स वीएपी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, गाजियाबाद को कंपनी का सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। सचिवीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।
सचिवीय लेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कुछ टिप्पणियाँ दी हैं जैसे स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति और डीपीई से संबंधित अनुपालन।
सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों के संदर्भ में, निदेशक यह बताना चाहेंगे कि यह टिप्पणी की गई है कि कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 की धारा 149 और नियम 4 के अनुसार, कंपनी ने अभी तक कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया है। इस संबंध में, निदेशक बताना चाहेंगे कि कंपनी में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के साथ स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।

उपरोक्त के अलावा, प्रबंधन डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर काम कर रहा है और उन्हें लागू कर रहा है। अन्य टिप्पणियाँ भविष्य के अनुपालन के लिए नोट की गई हैं।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188(1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं की है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन

वित्तीय वर्ष की समाप्ति और रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं।

विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेशों का विवरण जो भविष्य में कंपनी की चालू व्यवसाय की स्थिति और परिचालन को प्रभावित करते हैं

वित्तीय वर्ष की समाप्ति और रिपोर्ट की तिथि के बीच विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा चालू व्यवसाय की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करने वाला कोई महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है।

लेखा परीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

1. डॉ. अशोक दलवई – अध्यक्ष

2. श्रीमती. अलका अरोड़ा – सदस्य
3. डॉ. नीरू भूषण – सदस्य
4. श्री आनंद मोहन अवस्थी – सदस्य

ऑडिट समिति कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और इसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण की निगरानी करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं; अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा; आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की स्टाफिंग और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति शामिल है; आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना, कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना आदि।

नामांकन एवं पारिश्रमिकी समिति

नामांकन और पारिश्रमिकी समिति में निम्नलिखित शामिल हैं

1. डॉ. अशोक दलवई – अध्यक्ष
2. डॉ. नीरू भूषण – सदस्य
3. श्री जी.के. नागराज – सदस्य

नामांकन और पारिश्रमिक समिति को एक निदेशक की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मानदंड तैयार करने और निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिकी से संबंधित एक नीति की सिफारिश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है; यह सुनिश्चित करने के लिए कि पारिश्रमिकी का स्तर और संरचना उचित और पर्याप्त है, पारिश्रमिकी का प्रदर्शन से संबंध स्पष्ट है और निष्पादन बेंचमार्क को पूरा करता है, और इसमें निश्चित और प्रोत्साहन वेतन के बीच संतुलन शामिल है; प्रत्येक निदेशक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और प्रदर्शन आदि के आधार पर बोर्ड को उसकी नियुक्ति और निष्कासन की सिफारिश करना।

धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण:

ऋण का विवरण:

क्र. सं.	ऋण का दिनांक	ऋण लेने वाले का विवरण	राशि	वह उद्देश्य जिसके लिए प्राप्तकर्ता द्वारा ऋण का उपयोग किया जाना है	वह समयावधि जिसके लिए ऋण दिया गया है	बीआर की तारीख	एसआर की तारीख (यदि आवश्यक हो तो)	ब्याज दर	जमान
				शून्य					

निवेश का विवरण

क्र. सं	निवेश की तारीख	निवेशक का विवरण	राशि	वह उद्देश्य जिसके लिए निवेश से प्राप्त आय का उपयोग प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाना प्रस्तावित है	बीआर की तारीख	एसआर की तारीख (यदि आवश्यक हो तो)	अनुमानित आय की दर
				शून्य			

प्रदान की गई गारंटी/जमानत का विवरण

क्र. सं	जमानत/ गारंटी प्रदान करने की तिथि	प्राप्तकर्ता का विवरण	राशि	वह प्रयोजन जिसके लिए जमानत /गारंटी का उपयोग प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाना प्रस्तावित है	बीआर की तारीख	एसआर की तारीख (यदि आवश्यक हो तो)	कमिश
				शून्य			

ऊर्जा, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय का संरक्षण। ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय का विवरण इस प्रकार है:

क) ऊर्जा का सरंक्षण

संरक्षण के लिए उठाए गए कदम	लागू नहीं
ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए उठाए गए कदम	लागू नहीं
ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजीगत निवे	लागू नहीं

ख) प्रौद्योगिकी अवशोषण

प्रौद्योगिकी अवशोषण के लिए किए गए प्रयास	लागू नहीं
व्युत्पन्न लाभ	लागू नहीं
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय, यदि कोई हो	लागू नहीं
आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण, यदि कोई हो	लागू नहीं
आयात का वर्ष	लागू नहीं
क्या आयातित प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से अपना लिया गया है	लागू नहीं
वे क्षेत्र जहां आयातित प्रौद्योगिकी को नहीं अपनाया गया है, यदि कोई हो	लागू नहीं

ग) विदेशी मुद्रा आय/व्यय

(रूपए सैकड़ों में)

आय	शून्य
व्यय	शून्य

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कंपनी के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप हैं।

जमा

आपकी कंपनी ने कोई सावधि जमा स्वीकार नहीं की है और इस प्रकार, बैलेंस शीट की तारीख तक मूलधन या ब्याज की कोई राशि बकाया नहीं थी।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा ओएम क्रमांक CSR-15/0008/2014-Dir (CSR) दिनांक 23/01/2017 के माध्यम से सूचित किया गया है कि CSR के लिए DPE दिशानिर्देश मंत्री (HI-PE) के अनुमोदन से वापस ले लिए गए हैं और यह भी सुझाव दिया गया है कि कंपनी भविष्य में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर गतिविधियां शुरू करेगी।

वर्तमान में, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रावधान एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड पर लागू नहीं हैं।

यौन उत्पीड़न रोकथाम नीति

कंपनी अपने कर्मचारियों को सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, कंपनी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रति शून्य सहिष्णुता रखती है और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाये गये नियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण पर एक नीति अपनाई है। समिति का गठन इस प्रकार है:-

1. डॉ. निधि वर्मा, प्रधान वैज्ञानिक, कृषि शिक्षा प्रभाग, आईसीएआर, कषि अनुसंधान भवन-II, पीठासीन अधिकारी;
2. श्रीमती धृति मदान, कंपनी सचिव, एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, सदस्य;
3. श्रीमती स्वाति भंडारी, वरिष्ठ कार्यकारी (प्रशासन), एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, सदस्य
4. श्री एस.पी. सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

वित्तीय वर्ष 2023-24के दौरान प्राप्त और निपटाई गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों का सारांश निम्नलिखित है।

प्राप्त शिकायतों की संख्या: शून्य

निपटाई गई शिकायतों की संख्या: शून्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए 24 मार्च 2023 को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 पर एक परिचयात्मक और जागरूकता बैठक आयोजित की। सभी कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की गहन समझ के संदर्भ में यह आयोजन एक बड़ी सफलता थी।

निदेशकों का उत्तरदायित्व संबंधी वक्तव्य

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) के प्रावधानों के अनुसार, आपके निदेशक पुष्टि करते हैं कि:

क) 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा की तैयारी में, तथ्यों अलग होने से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें नियमित रूप से लागू किया था और निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी का लाभ/हानि का सही और निष्पक्ष दृश्य दिया जा सके;

ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती थी;

घ) निदेशकों ने चालू व्यवसाय के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किए थे;

ङ) वर्ष के दौरान साथ ही वित्तीय वर्ष के अंत की स्थिति में दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया है या कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

च) एकमुश्त निपटान के समय किया गया मूल्यांकन और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किया गया मूल्यांकन राशि के बीच अंतर का कोई मामला नहीं है।

छ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

राष्ट्रपति के निर्देश

कंपनी समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यक्षीय निर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज तक कंपनी को कोई अध्यक्षीय निर्देश जारी नहीं किया गया है।

सूचना का अधिकार (आरटीआई)

प्रबंधन ने सूचना का अधिकार अधिनियम की आवश्यकता के अनुपालन में सीपीआईओ एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अधिसूचित किया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदनों/अपीलों की स्थिति निम्नानुसार है: -

आरटीआई आवेदन/अपील	आरटीआई आवेद			
	प्राप्त	अस्वीकृत	सूचना उपलब्ध की गई	31.03.2024 तक लंबित
आवेदन	30	0	30	शून्य
अपील	0	0	0	शून्य

सचिवीय मानक

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी द्वारा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन किया गया है।

आभार

आपके निदेशक सभी स्तरों पर कार्यरत कर्मचारियों, ग्राहकों, विक्रेताओं और अकादमिक भागीदारों के लिए अपनी सराहना व्यक्त करते हैं, जिन्होंने कंपनी के विकास और प्रदर्शन में योगदान और निरंतर समर्थन दिए हैं।

हम भारत सरकार, विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों, एग्रीनोवेट की गतिविधियों से जुड़े निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

आपके निदेशकगण इस अवसर पर बोर्ड के वर्तमान और भूतपूर्व सदस्यों द्वारा समय-समय पर दिए गए बहुमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, भारत सरकार, आईसीएआर, कंपनी के सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधिकारियों और कंपनी के बैंकरों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और सहयोग के लिए भी अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : अक्टूबर 10, 2024

(संजय गर्ग)
DIN No. 03401035
पता : सी-1/37, बापा नगर,
सुब्रामणियन भारती मार्ग
मध्य दिल्ली-110 003

(अलका नांगिया अरोड़ा)
DIN No. 03165567
पता : ईएफ 18-बी, ब्लॉक-सी,
टाटा प्रिमंती, सेक्टर-72
गुड़गांव, हरियाण-122101

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कंपनी की रिपोर्ट

ए) कॉर्पोरेट गवर्नेंस

कॉर्पोरेट प्रशासन पर कंपनी का सिद्धांत कंपनी के लोकाचार और इसके संचालन में नैतिक व्यावसायिक सिद्धांतों के प्रति इसकी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज के गतिशील कारोबारी माहौल में उच्च प्रदर्शन अभिविन्यास और एक अनुकूल प्रबंधन शैली के साथ-साथ ईमानदारी की संस्कृति को बनाए रखने के लिए एक मजबूत शासन संरचना की आवश्यकता है।

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड में कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रक्रियाओं और अनुपालनों के सेट से कहीं अधिक है, इसमें एक अच्छी तरह से परिभाषित कॉर्पोरेट संरचना है जो जांच और संतुलन स्थापित करती है और संगठन में उचित स्तरों पर निर्णय लेने का अधिकार देती है, हालांकि बोर्ड, कंपनी के मामलों के प्रभावी नियंत्रण में रहता है। एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड का मानना है कि दीर्घकालिक मान उत्पन्न करने और एक स्थायी व्यवसाय मॉडल बनाए रखने के लिए अच्छी कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाएँ आवश्यक हैं।

कंपनी की कॉरपोरेट गवर्नेंस संरचना बहुस्तरीय है, जिसमें शीर्ष स्तर पर निदेशक मंडल और विभिन्न समितियां शामिल हैं, जो सामूहिक रूप से कॉरपोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों और कंपनी के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करती हैं। बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कंपनी की रणनीति के सफल कार्यान्वयन में सहायता के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एक मजबूत और प्रभावी प्रणाली मौजूद है। बोर्ड प्रबंधन के निष्पादन की निगरानी में स्वतंत्र निर्णय लेता है और कंपनी की निगरानी और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बी. निदेशक मंडल

वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक मंडल की पांच बैठकें आयोजित की गईं।

बोर्ड की बैठकों और 22.11.2023 को आयोजित अंतिम एजीएम में निदेशकों की उपस्थिति और अन्य निदेशक पदों और समिति सदस्यता, अध्यक्षता की संख्या का विवरण निम्नानुसार है: -

निदेशक का नाम	वर्ग	वर्ष 2023-24 के दौरान उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या	पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में निदेशक पद पर कार्यरतों की संख्या	समितियों में सदस्यताओं की संख्या (लेखापरीक्षा समिति और एनआरसी समिति सहित)	
					सदस्य	अध्यक्ष
डॉ. हिमांशु पाठक	अध्यक्ष	3	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
श्री संजय गर्ग	उपाध्यक्ष	5	हां	शून्य	शून्य	शून्य
श्रीमती अलका नांगिया अरोड़ा	निदेशक	4	नहीं		1	शून्य
डॉ. अशोक दलवई	निदेशक	4	नहीं	शून्य	2	2
डॉ. जे. बालाजी	अपर निदेशक	शून्य	नहीं	शून्य	-	-

निदेशक का नाम	वर्ग	वर्ष 2023-24 के दौरान उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या	पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में निदेशक पद पर कार्यरतों की संख्या	समितियों में सदस्यताओं की संख्या (लेखापरीक्षा समिति और एनआरसी समिति सहित)	
					सदस्य	अध्यक्ष
डॉ. नीरू भूषण	निदेशक	4	नहीं	शून्य	2	-
श्री आनन्द मोहन अवस्थी	निदेशक	5	हां	शून्य	1	शून्य
श्री जी. के. नागराज	निदेशक	3	नहीं	शून्य	1	शून्य

सी. लेखापरीक्षा समिति

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार एक ऑडिट समिति बनाई है। ऑडिट समिति अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, C&AG की टिप्पणियों की समीक्षा करती है। समिति कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट प्रक्रिया और इसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण की भी देखरेख करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं। आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा भी ऑडिट समिति द्वारा की जाती है। ऑडिट समिति के संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के साथ-साथ डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 26 अप्रैल 2023, 17 अगस्त 2023, 22 नवंबर 2023 और 7 मार्च 2024 को 4 बैठकें सम्पन्न हुई हैं

लेखापरीक्षा समिति की संरचना और वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थिति नीचे दी गई है: -

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	वर्ग	उपस्थिति	टिप्पणिया
1.	डॉ. अशोक दलवई	अध्यक्ष	गैर-कार्यकारी निदेशक	3	-
2.	श्रीमती अलका नांगिया अरोड़ा	सदस्य	गैर-कार्यकारी निदेशक	1	-
3.	डॉ. नीरू भूषण	सदस्य	गैर-कार्यकारी निदेशक	0	-
4.	श्री आनन्द मोहन अवस्थी	सदस्य	गैर-सरकारी निदेशक	1	-

डी. नामांकन एवं पारिश्रामिकी समिति

आपकी कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों के साथ-साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार विधिवत गठित नामांकन और पारिश्रमिक समिति है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति के कार्य ऊपर उल्लिखित प्रावधानों में निर्दिष्ट हैं, सिवाय सरकारी कंपनियों के लिए छूट प्राप्त कार्यों के।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति में सदस्यों के रूप में डॉ. अशोक दलवई, डॉ. नीरू भूषण और श्री जी. के. नागराज शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की एक बैठक 21 नवंबर 2023 को आयोजित की गई।

ई. वार्षिक आम बैठक

पिछली तीन (3) वार्षिक आम बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

वार्षिक आम बैठक की क्रम संख्य	वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	विशेष संकल्प
12	2022-23	22.11.2023	12.30 अपराह्न	बोर्ड रूम, इंटरनेशनल गेस्ट हाउस, एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली	2
11	2021-22	23.09.2022	12.00 मध्याह्न	बोर्ड रूम, इंटरनेशनल गेस्ट हाउस, एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ल	3
10	2020-21	30.09.2021	11.30 पूर्वाह्न	बोर्ड रूम, इंटरनेशनल गेस्ट हाउस, एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ल	2

एफ. प्रकटीकरण

i) भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन पर प्रकटीकरण।

भारतीय लेखा मानक-24 के अनुसार संबद्ध पक्ष लेन-देन का विवरण लेखा टिप्पणियों का हिस्सा है।

ii) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशानिर्देश से संबंधित किसी भी मामले पर कंपनी द्वारा कोई महत्वपूर्ण गैर-अनुपालन नहीं किया गया है और किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना या सख्ती नहीं बरती गई है।

iii) कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र

कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है और इसे बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

अ) राष्ट्रपति के निर्देश

पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कोई राष्ट्रपति निर्देश जारी नहीं किया गया था।

जी. आंतरिक लेखापरीक्षा / आंतरिक नियंत्रण प्रणाली / शक्तियों का प्रत्यायोजन

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक मेसर्स जगदीश चंद एंड कंपनी द्व ारा आंतरिक लेखापरीक्षा की गई है। आंतरिक लेखापरीक्षा की टिप्पणियों की समीक्षा बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जाती है और जब भी आवश्यक हो आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं। कंपनी ने पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रियाएं स्थापित की हैं। कंपनी के पास शक्तियों के प्रत्यायोजन मैनुअल के माध्यम से अपने विभिन्न अधिकारियों को वित्तीय शक्तियों का एक अच्छी तरह से परिभाषित प्रत्यायोजन है।

एच. बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

नए निदेशकों को कंपनी के दृष्टिकोण, नैतिकता सहित मुख्य मूल्य, वित्तीय मामले, व्यवसाय संचालन, जोखिम मामलों के बारे में अनुस्थापन (ओरिएंटेशन) और प्रेरण दिया जाता है। सामान्य प्रथा पुस्तिकाएं, ब्रोशर, वार्षिक रिपोर्ट, कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश आदि दिया जाना है।

उपरोक्त के अलावा, निदेशकों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस एवं अन्य विषयों पर डीपीई तथा अन्य संस्थानों द्वारा संचालित प्रशिक्षण के लिए भी नामांकित किया जाता है।

आई. संचार के साधन

शेयरधारकों को वार्षिक परिणाम वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से भेजे जाते हैं और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट यानी www.agrinnovateindia.co.in पर भी पोस्ट की जाती है, वेबसाइट पर निविदाएं और कैरियर के अवसर भी पोस्ट किए जाते हैं।

अध्यक्ष की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण

मुझे 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए हमारी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है और हमारी कंपनी एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn/ एजीआईएन) की तेरहवीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत है। आपकी अनुमति से लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पहले ही परिचालित की जा चुकी है और मैं उसे पढ़ा हुआ मानता हूँ।

यह देखकर मुझे बहुत संतुष्टि होती है कि विभिन्न बोर्ड बैठकों के दौरान हमने जो विचार रखे थे, उन्हें टीम द्वारा प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है और मुझे आगामी वर्ष में और भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। मैं वर्ष के दौरान टीम एग्रीनोवेट के प्रदर्शन के लिए उनकी हार्दिक सराहना करता हूँ।

मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि आईसीएआर और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस) के तहत संस्थानों में विकसित प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण के लिए दिशानिर्देशों को अंततः एग्रीनोवेट के साथ सुसंगत बना दिया गया है, जिससे सभी विषयों/क्षेत्रों में व्यावसायीकरण का दायरा बढ़ गया है। अब हम साझेदारी के माध्यम से नवाचार और क्षमता संचालित कृषि विकास को बढ़ाने और उत्प्रेरित करने के लिए नए अवसरों का लाभ उठाने की एक निश्चित स्थिति में हैं।

हस्तांतरित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियाँ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी विभिन्न निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों और किसानों सहित व्यक्तिगत उद्यमियों को रुपये 7.41 करोड़ (करों को छोड़कर) के सकल राजस्व पर 151 प्रौद्योगिकियों को हस्तांतरित करने में सक्षम रही है।

व्यावसायीकृत 151 प्रौद्योगिकियों में से, महत्वपूर्ण बाजार प्रभाव और मांग वाली उच्च मूल्य वाली प्रौद्योगिकियां निम्नलिखित हैं,

क्र.सं.	प्रौद्योगिकी एवं संस्थान का नाम	ग्राहकों की संख्या	करों को छोड़कर राशि (लाखों में)
1	एच टी विशेषता	1	30
2	एरोपोनिक प्रौद्योगिकी	3	36.75
3	साम्भा मसूरी	1	10
4	Tv,PF,PC,Th	2	20
5	बायोकैप्सूल	2	20
6	STFR	2	20
7	AIV के लिए अप्रत्यक्ष इलिसा	1	12.50
8	गर्भावस्था निदान किट	1	15
9	9 प्रौद्योगिकी किट	1	32.30
10	चिकन के लिए आईबीडी	1	17.50

क्र.सं.	प्रौद्योगिकी एवं संस्थान का नाम	ग्राहकों की संख्या	करों को छोड़कर राशि (लाखों में)
11	पीपीआर और बकरी चेचक का संयुक्त टीका	1	65
12	जीवित क्षीणित टीका शीपपॉक्स	1	12.50
13	VL Vita, VL QPM Hybrid 45	1	10
14	अर्का केला स्पेशल, अर्का सब्जी, अर्का आम स्पेशल	1	11
	कुल	19	312.55

2. वित्तीय वर्ष 2023-24 में 68 टेक्नो कमर्शियल असेसमेंट मीटिंग आयोजित की गई, जिनमें से 6 बैठकें निम्नलिखित संस्थानों के साथ भौतिक रूप से आयोजित की गई

क्र.सं.	संस्थान का नाम	बैठक की तिथि
1.	भाकृअनुप - केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान	09.05.2023
2.	भाकृअनुप - भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वारणासी, उत्तर प्रदेश	18.05.2023
3.	भाकृअनुप - भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल	15.06.2023
4.	एसवीपीयूएटी, मेरठ	11.08.2023
5.	भाकृअनुप - राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	28.08.2023
6.	भाकृअनुप - केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार, हरियाणा	01.03.2024

एग्रीनोवेट की प्रचार गतिविधियाँ

एग्रीनोवेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उनके टीम के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप कंपनी के लिए व्यावसायिक अवसरों का विस्तार हुआ और कंपनी की स्थापना के बाद पहली बार ब्रेकईवन बिंदु तक पहुँच गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रमुख मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: -

1. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 पर दूसरी जागरूकता बैठक

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 पर दूसरा जागरूकता कार्यक्रम 16 जनवरी 2024 को आईसी समिति के सदस्यों और एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए आयोजित किया गया था।

- कार्यक्रम का लक्ष्य निम्नलिखित मुद्दों पर था:-
- POSH अधिनियम के बारे में जागरूकता।
- यौन उत्पीड़न को नियंत्रित करने वाले कानून
- उन कृत्यों के बारे में जागरूकता जो यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आ सकते हैं
- उन कृत्यों के बारे में जागरूकता जो यौन उत्पीड़न नहीं माने जाते
- कार्यस्थल पर और बाहर कर्मचारियों का व्यवहार

- कर्मचारियों की जिम्मेदारी
- नियोक्ता की जिम्मेदारियां
- इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को उपलब्ध अधिकार
- शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
- जांच की प्रक्रिया
- यौन उत्पीड़न के लिए सजा
- झूठी शिकायतों के परिणाम
- आईसी समिति आदि के बारे में जागरूकता।

क्षेत्रीय हितधारक परामर्शक बैठकें

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एग्रीनोवेट ने बिजनेस टीम के साथ विभिन्न क्षेत्रीय हितधारक परामर्श बैठकों का आयोजन/भागीदारी की, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: -

- संभावित उद्यमियों के लिए 25-26 अक्टूबर, 2023 को शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एसकेयूएएसटी-के), श्रीनगर में आईसीएआर-सीआईटीएच के सहयोग से क्षेत्रीय उद्योग हितधारक बैठक का आयोजन किया गया।
- दिनांक 20 से 22 दिसंबर, 2023 के दौरान आईसीएआर-डीओजीआर में आईसीएआर-हितधारक परामर्शक क्षेत्रीय बैठक (आईसीएआर-डीओजीआर और एग्रीनोवेट) का आयोजन।
- दिनांक 30-31 जनवरी, 2024 के दौरान आईसीएआर-वीपीकेएएस में आईसीएआर-हितधारक परामर्शक क्षेत्रीय बैठक (आईसीएआर-वीपीकेएएस) का आयोजन।
- हैदराबाद में 12 फरवरी, 2024 को आईसीएआर-आईआईओआर में भाकृअनुप-हितधारक परामर्शक क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें तिलहन फसलों की किस्मों, जैव कीटनाशकों और मूल्यवर्धित उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में मॉडल खेतों के माध्यम से तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया। नवोन्मेषकों और उद्योग हितधारकों के बीच पारस्परिक चर्चा में प्रौद्योगिकी लाभ और समझौते के विकल्पों पर ध्यान केंद्रित किया गया। तिलहन उत्पादन, संरक्षण, गुणवत्ता और निर्यात पर उद्योग के दृष्टिकोण पर भी चर्चा की गई।
- आईसीएआर-आईजीएफआरआई द्वारा आईपीएंडटीएम और एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के सहयोग से 12-13 फरवरी 2024 को झांसी में चारा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी सह उद्योग सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में चारा प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति को प्रदर्शित किया गया और शोधकर्ताओं, उद्योग पेशेवरों और नीति निर्माताओं के बीच चर्चा को सुविधाजनक बनाया गया। इसमें 250 से अधिक चारा फसल किस्मों के लाइसेंस के लिए रणनीतिक साझेदारों की भी मांग की गई।

इसके अलावा, मूल्यांकन के तंत्र और व्यावसायीकरण की प्रक्रिया को समझाने के लिए विभिन्न आईसीएआर संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ 20 से अधिक जागरूकता बैठकें भौतिक और आभासी दोनों तरह से आयोजित की गई।

कई प्रतिष्ठित निकायों ने नीतिगत विचार-विमर्श, सहयोग और क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए एग्रीनोवेट को विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: -

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एग्रीनोवेट को पालमपुर में प्रतिष्ठित डॉ. पीजी पांडे ओरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया और उन्होंने डॉ. पीजी पांडे मेमोरियल ओरेशन अवार्ड व्याख्यान दिया। उन्होंने पालमपुर में IAVMICON23 में भी भाग लिया और एक सत्र की अध्यक्षता की (07-08 अप्रैल 2023)।
- सीआईआई द्वारा दिनांक 20 अप्रैल 2023 को आयोजित 'किसानों को नवाचारों के साथ-साथ अत्याधुनिक उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने वाले तकनीक आधारित हस्तक्षेपों को मजबूत करने के लिए सहयोग की रूपरेखा' विषय पर किसानों और उद्यमियों को प्रौद्योगिकी वितरण के सबक पर विषयगत सत्र को संबोधित किया।
- बोवाइन सेक्स्ड सीमेन सॉर्टिंग टेक्नोलॉजी के लिए विशेषज्ञों के अंतरविषयक समूह में मुख्य चर्चाकर्ता के रूप में डीबीटी बैठक में भाग लिया (21 अप्रैल 2023)।
- पशु चिकित्सा माइक्रोबायोलॉजी एलयूवीएएस-सीएएस बैठक में प्रोफेसर/समकक्ष के रूप में उन्नति/पदोन्नति के लिए एक शिक्षक की उपयुक्तता पर विचार करने के लिए गठित मूल्यांकन समिति में एक बाहरी विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया गया। (2 मई 2023)।
- पीवीएस पाथवे में पीपीपी कार्यान्वयन पर WOAH's की वर्चुअल परामर्शक बैठक में भाग लिया। (3-4 मई 2023)।
- विश्व पशु चिकित्सा दिवस के अवसर पर देहरादून, उत्तराखंड में प्रीवेंनशन ऑफ लमपी त्वचा रोगों की रोकथाम पर अतिथि व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया।(15-16 मई 2023)।
- राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (एनएएएस) द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से कृषि-बुनियादी ढांचे और कृषि-व्यवसाय के विकास को बढ़ाने पर आयोजित विचार-मंथन सत्र में विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया गया - (25 मई 2023)।
- लुधियाना के GADVASU में पशुधन स्वास्थ्य पर NAVS (I) के दीक्षांत समारोह से पूर्व विचार-मंथन सत्र में भाग लिया। (1-2 जून 2023)।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार द्वारा मानव रचना विश्वविद्यालय फरीदाबाद, हरियाणा में आयोजित विज्ञान के लिए इक्विटी सशक्तिकरण और विकास (एसईईडी) प्रभाग के आजीविका के लिए नवाचारों को सुदृढ़ बनाने, बढ़ाने और पोषण करने (एसयूएनआईएल) कार्यक्रम के तहत चल रही और पूरी हो चुकी परियोजनाओं के प्रदर्शन मूल्यांकन और समीक्षा तथा प्राप्त नई परियोजना प्रस्तावों की द्वितीय स्तर की स्क्रीनिंग के लिए तीसरी ईसी बैठक में विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया। - (5 जून 2023)।
- हैदराबाद स्थित आईसीएआर-एनएएआरएम में 112वें एफओसीएआरएस कार्यक्रम में 'एग्रीनोवेट इंडिया के माध्यम से प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण' पर वैज्ञानिक परिवीक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया। (28 जून 2023)।
- भारतीय पशु स्वास्थ्य कंपनी महासंघ (आईएनएफएएच) द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में रोग शमन और फार्म उत्पादकता पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं कार्यशाला में पशु स्वास्थ्य औषधियों और जैविक पदार्थों के लिए नियामक ढांचे पर सत्र के अध्यक्ष के रूप में भाग लिया। - (14 जुलाई 2023)।

- एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड की पहली सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई (20 जुलाई 2023)।
- हॉलिडे इन, एयरो सिटी, नई दिल्ली में द्वितीय भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन और पुरस्कार में सम्मानित अतिथि और प्रतिष्ठित अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया गया। (26 जुलाई 2023)।
- जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय (बीएमजेड) द्वारा संचालित इंडो-जर्मन जैव-विविध ता कार्यक्रम, जीआईजेड के अधिकारियों के साथ कृषि-पारिस्थितिकी के संदर्भ में प्रस्तावित परियोजना के माध्यम से वन हेल्थ स्ट्रैटेजी के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर वन हेल्थ एंड एग्रोइकोलॉजी प्रोजेक्ट/ जीआईजेड पर चर्चा आयोजित की गई (1 अगस्त 2023)।
- एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (एम.एस.एस.आर.एफ.), चेन्नई द्वारा एम.एस.एस.आर.एफ., चेन्नई में आयोजित होने वाले 'खाद्य, पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए शक्तिशाली बाजरा' विषयक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया। (5-7 अगस्त 2023)।
- पशुधन क्षेत्र - वर्तमान से परे देखना विषय पर 64वें राष्ट्रीय संगोष्ठी 2023 में पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया, जिसका आयोजन 18-19 अगस्त, 2023 को होटल ली मेरिडियन, नई दिल्ली में ष्फीड सुरक्षा की चुनौतियाँ: मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटनाष विषय पर प्रस्तुति/चर्चा के लिए किया गया है। (19 अगस्त 2023)।
- आईएलआरआई दक्षिण एशिया द्वारा आयोजित दक्षिण एशिया क्षेत्र-आईएलआरआई दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय हितधारक परामर्श में भाग लिया। (24 अगस्त 2023) क्षेत्र में उपलब्धियों और सबक की समीक्षा करने के लिए, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संदर्भ में पशुधन, जलवायु और खाद्य प्रणालियों के संबंध में प्रमुख मुद्दों और अवसरों की पहचान की, प्राथमिकताओं और हस्तक्षेपों की सिफारिश की, जिन पर आईएलआरआई और उसके भागीदारों को आगे बढ़ने पर विचार करना चाहिए, यह समझना कि आईएलआरआई अपने शोध की प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए अंतिम उपयोगकर्ताओं के साथ बेहतर तरीके से कैसे जुड़ सकता है और काम कर सकता है और आईसीएआर संस्थानों में अनुसंधान उपलब्धियों और पशुपालन क्षेत्र में आवश्यकताओं पर अंतर्दृष्टि प्रदान की। (24 अगस्त 2023)।
- माननीय मंत्री (एफएएचडी) की अध्यक्षता में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति की दूसरी बैठक में भाग लिया। (29 अगस्त 2023)।
- संस्थान प्रौद्योगिकी प्रबंधन समिति (आईटीएमसी);आईआईवीआर, वाराणसी की 13वीं बैठक में भाग लिया और प्रतिनिधित्व किया। (29 अगस्त 2023)।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सीआईआई, फिक्की और पीएचडीसीसीआई के साथ साझेदारी में आयोजित 'किसानों के लाभ के लिए एग्रीटेक की क्षमता को उजागर करना' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। साथ ही, किसानों के लिए अभिनव विचारों को वास्तविक समाधानों में बदलने के लिए स्टार्टअप इनक्यूबेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने पर ब्रेकआउट सत्र में भी भाग लिया। (31 अगस्त 2023)।
- एनएएएस, एनएएससी परिसर (भारतीय राष्ट्रीय बीज संघ) में भारतीय बीज उद्योग के विकास और चुनौतियों पर तकनीकी सत्र में भाग लिया। (4 सितंबर 2023)।
- खाद्य एवं कृषि संगठन, रोम द्वारा आयोजित किसान अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह

में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसकी मेजबानी भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा की गई। (12-15 सितंबर 2023)।

- भाकृअनुप-केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, उत्तर प्रदेश में बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। (15 सितंबर 2023)।
- पीएसए के कार्यालय में उच्च जोखिम वाले रोगजनक प्रयोगशाला नेटवर्क (बीएसएल नेटवर्क) पर विशेषज्ञ समिति की बैठक में भाग लिया। (25 सितंबर 2023)।
- डीबीटी द्वारा पूर्ण की गई परियोजना - MyDAN (गोजातीय तपेदिक नियंत्रण पर डीबीटी नेटवर्क कार्यक्रम: पशुओं में माइकोबैक्टीरियल रोग नेटवर्क (मायडान) कार्यक्रम) की पूर्णता पर परियोजना समीक्षा बैठक में भाग लिया। (25 सितंबर 2023)।
- जकार्ता, इंडोनेशिया में WOAH (OIE) प्रशिक्षु विशेषज्ञ के रूप में इंडोनेशिया में रेबीज-विशिष्ट सामग्री के साथ PVS मूल्यांकन अनुवर्ती मिशन में भाग लिया। (2-13 अक्टूबर 2023)।
- उन्होंने इंडोनेशिया के जकार्ता में WOAH (OIE) प्रशिक्षु विशेषज्ञ के रूप में इंडोनेशिया में रेबीज-विशिष्ट सामग्री के साथ PVS मूल्यांकन अनुवर्ती मिशन में भाग लिया। (16-20 अक्टूबर 2023)।
- पशु-पक्षी-महासागरीय जीवन मानव संघर्षों के प्रभावों को कम करने, रोग संचरण को कम करने और दोनों प्रजातियों की उत्तरजीविता बढ़ाने के लिए भावी दिशा पर पैनल चर्चा जिसमें पशु-मानव संघर्ष और सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्व, पर्यावरण और उत्तरजीविता के रोगों के संचरण पर इसके प्रभाव पर वन हेल्थ पहल पर ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया गया (4 नवंबर 2023)।
- जैव विविधता और इसके पारिस्थितिकीय तथा आर्थिक महत्व पर विश्व बैंक द्वारा आयोजित गोलमेज चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। गोलमेज चर्चा में कृषि और पशुधन जैसे क्षेत्रों सहित जैव विविधता से संबंधित वर्तमान चुनौतियों और प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श किए जाने की उम्मीद थी। (10 नवंबर 2023)।
- श्रीलंका में पीपीपी लक्षित समर्थन के लिए पीवीएस विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया गया। (5-7 दिसंबर 2023)।
- आईएआरआई मेला ग्राउंड, नई दिल्ली में कृषि जागरण; मिलियनेयर फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड्स 2023 (एमएफओआई 2023) में प्रख्यात पैनलिस्ट। (8 दिसंबर 2023)।
- धारवाड़ के कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय में एग्रीटेक फ्यूजन: तकनीक हस्तांतरण, व्यावसायीकरण और आईपी रणनीतियों के माध्यम से नवाचारों को उजागर करना - एग्रीनोवेट और बीआईआरएसी सफलता से सीखें विषय पर संकाय प्रशिक्षण के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में तकनीक-हस्तांतरण / व्यावसायीकरण और पीपीपी की भूमिका और महत्व और एग्रीनोवेट पहल विषय पर एक व्याख्यान दिया। (18-19 दिसंबर 2023)।
- राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर, राजस्थान में ऊंटों के शो के दौरान प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी में भाग लिया और एनआरसी ऑन कैमल, आईआईपीआर और सीएजेडआरआई, बीकानेर के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर चर्चा की। (12-15 जनवरी 2024)।

- जीएलए विश्वविद्यालय, मथुरा में वन हेल्थ इनिशिएटिव: हार्मोनाइजिंग ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरनमेंटल हेल्थ (ओएचआई-2023) पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उद्घाटन सत्र के दौरान प्लेनरी स्पीकर के रूप में भाग लिया और खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और सतत खाद्य उत्पादन के लिए वन हेल्थ पर तकनीकी सत्र की अध्यक्षता भी की। (18 जनवरी 2024)।

- आईटीएमयू/जेडटीएमसी के प्रभारियों के तीन दिवसीय संवेदीकरण/जागरूकता कार्यक्रम 'सृजन: आईसीएआर संस्थानों के आईटीएमयू/जेडटीएमसी को सशक्त बनाना' में बाजार विश्लेषण और प्रौद्योगिकी का मूल्य निर्धारण विषय पर व्याख्यान दिया। (19 जनवरी 2024)।

- सी-कैंप में पीएसए कार्यालय द्वारा समर्थित एटीआरएसीटी लाइफ प्रोग्राम जीव विज्ञान में अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण में तेजी लाने के तहत भारत के लिए गहन विज्ञान को प्रभावशाली नवाचारों में बदलनेश के विस्तार पर चर्चा करने के लिए पीआरएमसी बैठक में भाग लिया। (23 जनवरी 2024)।

- NSFI-कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और आजीविका सृजन में उद्यम संवर्धन की दिशा में काम करने वाला एक गैर-लाभकारी संगठन द्वारा आयोजित परामर्श कार्यशाला में प्रतिष्ठित पैनलिस्ट-; महत्वाकांक्षी कृषि स्नातकों को उनकी उद्यमशीलता की यात्रा में सहायता करने और मौजूदा स्टार्टअप को उनके अंतिम मील के प्रदर्शन में सहायता करने की दोहरी जरूरतों को पहचानते हुए, NSFI, भारतीय कृषि कौशल परिषद और मेधा ने मिलकर यूथस्केप नामक कार्यक्रम का संचालन और विस्तार किया, जो कृषि स्नातकों को फेलोशिप प्रदान करता है और उद्यमिता विकास के माध्यम से उनका समर्थन करता है और उन्हें जीत की दिशा में स्टार्टअप की ओर बढ़ाता है। फेलोशिप से उम्मीद है कि यह स्टार्टअप को वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम मील की डिलीवरी में सहायता करेगी। (06 फरवरी 2024)।

- भाकृअनुप-केंद्रीय पटसन एवं संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान (सीआरआईजेएएफ), बैरकपुर द्वारा ''पटसन एवं संबद्ध रेशा फसलों की क्षमता एवं पटसन आधारित उत्पादों को बढ़ावा'' विषय पर आयोजित उद्योग एवं उद्यमी बैठक एवं प्राथमिक हितधारकों के साथ चर्चा में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। (08 फरवरी 2024)।

- शिक्षा ओ अनुसंधान (एसओए), डीम्ड यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर के अंतर्गत पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन संस्थान (आईवीएसएएच) में पशु वायरस, टीके और प्रतिरक्षा (एवीवीआई 2024) पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में वर्तमान जलवायु परिवर्तन परिदृश्य में वन हेल्थ इम्प्लीमेंटेशन विषय पर व्याख्यान दिया। (09 फरवरी 2024)।

- आईपी एंड टीएम यूनिट, आईसीएआर और एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के सहयोग से भाकृअनुप-भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी द्वारा आयोजित चारा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी सह उद्योग सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। (12 फरवरी 2024)।

- आईटीएमयू/जेडटीएमसी के प्रभारियों के तीन दिवसीय संवेदीकरण/जागरूकता कार्यक्रम 'श्रीजन: आईसीएआर संस्थानों के आईटीएमयू/जेडटीएमसी को सशक्त बनाना' (द्वितीय बैच) में बाजार विश्लेषण और प्रौद्योगिकी का मूल्य निर्धारण विषय पर बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया। (14 फरवरी 2024)।

- बिट्स, पिलानी, पिलानी परिसर में नवाचार, प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (टीआरएल) और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर एक कार्यशाला में अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। (28 फरवरी, 2024)।
- एक कार्यक्रम (NUCLEUS 1.0, द टेक शो) में पैनलिस्ट और जूरी सदस्य के रूप में भाग लिया, जहाँ स्कूल और कॉलेज के छात्रों के एक समूह ने अपने अभिनव प्रोटोटाइप का प्रदर्शन किया। (29 फरवरी, 2024)।
- बैंगलोर चौंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स (बीसीसीआई) कृषि और खाद्य प्रसंस्करण विशेषज्ञ समिति में पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया। (4 मार्च, 2024)।
- यूएसएआईडी के वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम के साथ संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा आयोजित पशु स्वास्थ्य पर बहुक्षेत्रीय विशेषज्ञ कार्यशाला में पशु रोग की प्रारंभिक चेतावनी और आपातकालीन तैयारी पर चर्चा करने के लिए एक पैनलिस्ट सह मॉडरेटर के रूप में आमंत्रित किया गया। (14 मार्च, 2024)।
- स्मार्ट एनिमल फार्मिंग: 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की दिशा में परिप्रेक्ष्य योजना पर NAAS-विशेषज्ञ परामर्श में एक विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया। (22 मार्च, 2024)।
- आईसीएआर-एनआईएफएमडी, भुवनेश्वर द्वारा एफएमडीवी सीरोटाइप (वैक्सीन स्ट्रेन के वर्तमान स्ट्रेन ए आईएनडी 40/2000 से प्रस्तावित ए आईएनडी 27/2011 तक के तकनीकी पहलू) के परिवर्तन के संबंध में आयोजित एक ऑनलाइन बैठक में भाग लिया। (27 मार्च 2024)

प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण के माध्यम से राजस्व योगदान

वर्ष 2023-24 के दौरान, एग्रीनोवेट ने भाकृअनुप के कई संस्थानों को प्रभावी ढंग से सहायता प्रदान की और कुल 151 प्रौद्योगिकियों को हस्तांतरित करने में मदद की, जिससे 7.41 करोड़ रुपये (रॉयल्टी सहित) का सकल राजस्व अर्जित हुआ। ये प्रौद्योगिकियाँ फसल विज्ञान (31%), डेयरी और पशु चिकित्सा विज्ञान (15.8%), बागवानी (51%) और मत्स्य पालन (1.3%) से उभरी हैं।

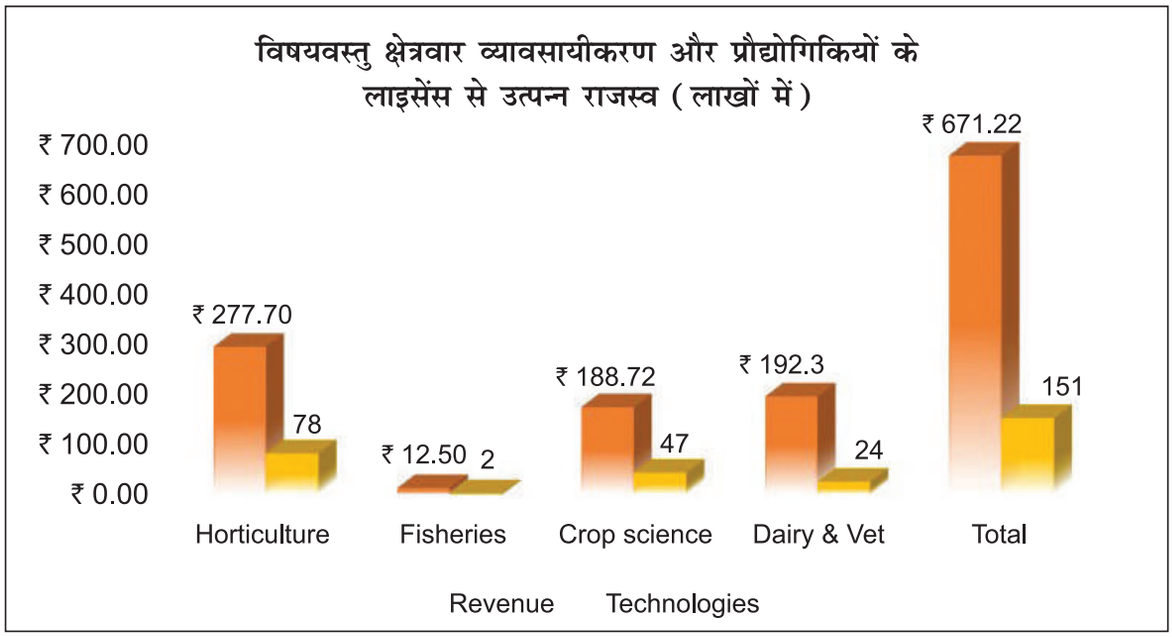

एग्रीनोवेट द्वारा अधिक आईसीएआर संस्थानों को शामिल करने और इस प्रकार व्यावसायीकरण के लिए प्रौद्योगिकी आधार का विस्तार करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप एग्रीनोवेट को 62 संस्थानों और 5 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से लाइसेंस के लिए लगभग 600 से अधिक प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराई गई हैं।

वित्तीय उपलब्धियां

कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10.01 करोड़ रुपये के मुकाबले इस वर्ष 7.41 करोड़ रुपये का परिचालन राजस्व हासिल किया है। पिछले वर्ष 2022-23 के 0.03 करोड़ रुपये के मुकाबले चालू वर्ष के दौरान मूल्यह्रास 0.02 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कंपनी ने 4.71 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3.51 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यवसाय प्रबंधक राजस्व 250.49 लाख रुपये से संशोधित होकर 246.82 लाख रुपये हो गया है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश 2010 के अनुपालन में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनुपालन पर कंपनी की रिपोर्ट तैयार की जाती है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न की जाती है।

आभार

मैं सभी स्तरों पर कार्यरत कर्मचारियों, ग्राहकों, विक्रेताओं और अकादमिक भागीदारों के लिए अपनी सराहना व्यक्त करते हैं, जिन्होंने कंपनी के विकास और प्रदर्शन में योगदान और निरंतर समर्थन दिए हैं।

मैं एग्रीनोवेट की गतिविधियों से जुड़े भारत सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं इस अवसर पर एग्रीनोवेट बोर्ड के वर्तमान और भूतपूर्व सदस्यों द्वारा समय-समय पर दिए गए बहुमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मैं कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, भारत सरकार, आईसीएआर, कंपनी के सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधिकारियों और कंपनी के बैंकरों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और सहयोग के लिए भी अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

धन्यवाद
आपका

(डॉ. हिमांशु पाठक)
अध्यक्ष एवं निदेशक
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : अक्टूबर 10, 2024

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn)

(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय: जी-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, डी.पी.एस. मार्ग, नई दिल्ली-110012

सीआईएन: U01400DL2011GOI226486, वेबसाइट: www.agrinnovate.co.in

दूरभाष: 011-25842122, 25842124 ईमेल: info@agrinnovate.co.in

दिनांक 31 मार्च, 2024 को तुलन-पत्र (बैलेंस शीट)

(रूपये सैकड़ों में)

	विवरण	टिप्पण सं.	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
I	**इक्विटी और देयताएं**			
	शेयर धारकों की निधियां			
(क)	शेयर पूंजी	2	50,00,000.00	50,00,000.00
(ख)	आरक्षित निधि और अधिषेश	3	30,85,734.62	26,12,061.81
(2)	**वर्तमान देयताएं**			
(क)	व्यापार देय राशियां	4	-	846-60
(ख)	अन्य वर्तमान देयताएं	5	8,62,511.70	11,40,113.85
(ग)	अल्पकालिक प्रावधान	6	1,77,846.58	1,41,625.53
	कुल		**91,26,092.90**	**88,94,647.79**
II	**आस्तियां**			
(1)	**गैर-वर्तमान आस्तियां**			
(क)	संपत्ति, संयत्र और उपकरण तथा अमूर्त आस्तियां			
(i)	संपत्ति, संयत और उपकरण			
(ii)	अमूर्त परिसंपत्तियां	7	15,075.11	12,688.70
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	16	4,443.00	6,112.63
(2)	**वर्तमान परिसंपत्तियां**			
(क)	व्यापार प्रात्य	8	13,673.31	8.00
(ख)	नकद और नकद समकक्ष	9	88,23,887.22	87,08,409.10
(ग)	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	10	2,69,014.26	1,67,429.36
	कुल		**91,26,092.90**	**88,94,647.79**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां		1		

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का आन्तरिक भाग बनाता है।

समसंख्यक दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते विवेक संजय एंड सीओ.
चार्टेड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 014189 एन

निदेशक मण्डल की ओर से
(एग्रीनोवेट इंडिया लि.)

(सीए अजय खंडेलवाल)
भागीदार :
एम. नं.: 519516

(अलका नांगिया अरोड़ा)
निदेशक
डीआईएन: 03165567

(संजय गर्ग)
निदेशक
डीआईएन: 03401035

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10/10/2024

(डॉ. प्रवीन मलिक)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
PAN: ADUPM5768N

(धृति मदान)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. A-27642

(राहुल कुमार)
मुख्य वित्त अधिकारी
PAN : DIHPK6798B

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn)

(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय: जी-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, डी.पी.एस. मार्ग, नई दिल्ली-110012

सीआईएन: U01400DL2011GOI226486, वेबसाइट : www.agrinnovate.co.in

दूरभाष: 011-25842122, 25842124 ईमेल: info@agrinnovate.co.in

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(रूपये सैकड़ों में)

	विवरण	टिप्पण सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
	आय :			
I.	परिचालनों से राजस्व	11	7,40,457.31	10,01,960.09
II.	अन्य आय	12	6,40,220.27	4,62,631.95
III.	**कुल आय (I+II)**		**13,80,677.58**	**14,64,592.04**
IV.	**व्यय :**			
	प्रत्यक्ष व्यय	14	5,93,265.85	8,11,638.51
	कर्मचारी हितलाभों पर व्यय	13	96,703.43	1,17,751.57
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	7	2,620.18	2,708.00
	अन्य व्यय	15	52,297.90	61,463.97
	कुल व्यय		**7,44,887.35**	**9,93,562.05**
V.	विशिष्ट मदें (पूर्व अवधि व्यय)		**6,35,790.23**	**4,71,029.99**
VI.	**विशिष्ट और असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ (III-IV)**		1,767.56	
VII.	**असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ (V- VI)**			
VIII.	असाधारण मदें		6,34,022.66	4,71,029.99
IX.	कर पूर्व लाभ (VII-VIII)		6,34,022.66	4,71,029.99
	विशिष्ट मदें		-	-
	कर पूर्व लाभ			
X.	कर व्यय :			
	(1) वर्तमान वर्ष	16	634,022.66	4,71,029.99
	(2) आस्थगित कर		1,58,680.23	1,19,241.55
XI.	जारी अवधि के लिए लाभ (हानि)		1,669.63	542.00
XII.	समाप्त परिचालनों से लाभ/(हानि)		4,73,672.81	3,51,246.44
XIII.	समाप्त परिचालनों का कर व्यय		-	-
	समाप्त परिचालनों से लाभ/(हानि)		-	-

	विवरण	टिप्पण सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
XIV.	**(कर पश्चात) (XII-XIII)**		–	–
XV	अवधि (XI-XIV) के लिए लाभ और हानि		**4,73,672.81**	**3,51,246.44**
XVI.	प्रति इक्विटी शेयर आय:			
	(1) मूल		**0.95**	**0.70**
	(2) डायल्यूटेड		**0.95**	**0.70**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतिया	1		

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का आन्तरिक भाग बनाता है।

समसंख्यक दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते विवेक संजय एंड सीओ.
चार्टेड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 014189 एन

निदेशक मण्डल की ओर से
(एग्रीनोवेट इंडिया लि.)

(सीए अजय खंडेलवाल)
भागीदार :
एम. नं.: 519516

(अलका नांगिया अरोड़ा)
निदेशक
डीआईएन: 03165567

(संजय गर्ग)
निदेशक
डीआईएन: 03401035

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10/10/2024

(डॉ. प्रवीन मलिक)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
PAN: ADUPM5768N

(धृति मदान)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. A-27642

(राहुल कुमार)
मुख्य वित्त अधिकारी
PAN : DIHPK6798B

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn)

(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय: जी-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, डी.पी.एस. मार्ग, नई दिल्ली-110012

सीआईएन: U01400DL2011GOI226486, वेबसाइट: www.agrinnovate.co.in

दूरभाष: 011-25842122, 25842124 ईमेल: info@agrinnovate.co.in

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(रूपये सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वष
क. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	6,34,022.66	4,71,029.99
समायोजन :		
मूल्यह्रास	2,620.18	2,708.00
पूर्व अवधि आय	4,921.00	
ब्याज आय	-6,35,299.62	-4,62,625.07
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ/(हानि)	-3,577.78	11,112.92
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन :		
परिचालन आस्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन :		
व्यापार प्राप्य	-13,665.86	61.00
अन्य मौजूदा आस्तियां	1,01,584.90	51,372.09
परिचालन देयताओं में में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन :		
व्यापार प्राप्य	-846.60	846-60
अन्य मौजूदा देयताएं	-2,77,602.15	4,48,848.85
अल्पकालिक प्रावधान	36,221.05	1,23,916.12
शुद्ध आयकर (भुगतान)/वापसी (रिफंड)	-1,58,680.23	-1,19,241.55
परिचालन कार्यकलापों से/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी प्रवाह (क)	-5,19,736.46	5,16,916.03
ख. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
सावधि जमा पर ब्याज	6,35,299.62	4,62,625.07
एफडीआर में वृद्धि	-5,48,534.12	-78,34,006.54
स्थायी आस्तियों का क्रय	-85.04	
निवेश कार्यकलापों /(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी प्रवाह (ख)	86,680.46	-73,71,381.47
ग. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	-	-
वित्तपोषण कार्यकलापों से/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी प्रवाह (ग)	-	-
नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	-4,33,056.00	-68,54,465.44

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वष
(क+ख+ग)		
वर्ष की शुरूआत में नकद और नकद समतुल्य	8,74,402.56	77,28,953.00
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	4,41,346.56	8,74,402.56

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का आन्तरिक भाग बनाता है।

समसंख्यक दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते विवेक संजय एंड सीओ.
चार्टेड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 014189 एन

निदेशक मण्डल की ओर से
(एग्रीनोवेट इंडिया लि.)

(सीए अजय खंडेलवाल)
भागीदार :
एम. नं.: 519516

(अलका नांगिया अरोड़ा)
निदेशक
डीआईएन: 03165567

(संजय गर्ग)
निदेशक
डीआईएन: 03401035

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10/10/2024

(डॉ. प्रवीन मलिक)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
PAN: ADUPM5768N

(धृति मदान)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. A-27642

(राहुल कुमार)
मुख्य वित्त अधिकारी
PAN : DIHPK6798B

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतिया

नोट 1

1.1 कार्पोरेट सूचना

क) कंपनी की स्थापना 19 अक्टूबर, 2011 को हुई थी। कंपनी कृषि मंत्रालय के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत 100% भारत सरकार की कंपनी है।

ख) श्री राहुल कुमार, मुख्य वित्त अधिकारी आईसीएआर के एक कर्मचारी हैं जो कंपनी का कामकाज देखते हैं। इस संबंध में उन्हें या आईसीएआर को कोई भुगतान नहीं किया गया है।

ग) डॉ. प्रवीण मलिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईसीएआर के एक कर्मचारी हैं जो कंपनी का कामकाज देखते हैं। आईआईएचआर-बैंगलोर से प्रतिनियुक्ति के लिए वेतन, पेंशन अंशदान और अवकाश वेतन अंशदान के भुगतान का प्रावधान किया जा रहा है।

घ) कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रु.100 करोड़ है जबकि कंपनी की निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी रु. 50 करोड़ है।

लेखांकन का आधार और वित्तीय विवरण की तैयारी

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 जो कंपनी (लेखा) नियमों, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाते हैं, के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों का अनुपालन करने के लिए भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक मूल्य प्रथा के तहत संचय के आधार पर तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां पिछले वर्ष अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं।

1.2 आकलनों का उपयोग

भारतीय जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को वर्ष के दौरान संपत्तियों और देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) की रिपोर्ट की गई राशियों और रिपोर्ट की गई आय और व्यय में आकलन और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। इन अनुमानों के कारण भविष्य के परिणाम भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात / भौतिक रूप से प्राप्त होते हैं।

1.3 नकद और बैंक बैलेंस

नकदी में हाथ में नकदी और विदेशी मुद्रा की नकदी शामिल है। नकद समतुल्य अल्पकालिक शेष (अधि ग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल निवेश हैं जो आसानी से ज्ञात मात्रा में नकदी में परिवर्तनीय होते हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन होते हैं।

1.4 मूल्यह्रास

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची प्प् के तहत निर्धारित दरों और पद्धतियों के अनुसार लिखित मूल्य पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। वर्ष के दौरान जोड़ी गई/निपटाई गई अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर प्रदान किया गया है।

1.5 पट्टे

पट्टे, जहां पट्टादाता पट्टे पर दी गई वस्तु के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी ढंग से बरकरार रखता है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी गयी है।

1.6 राजस्व मान्यता

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) का उद्देश्य आईपीआर संरक्षण के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास परिणामों के विकास और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र उद्देश्य के रूप में डीएआरई के आईसीएआर के बल पर काम करना है। सार्वजनिक लाभ के लिए देश और बाहर दोनों जगह व्यावसायीकरण एक पूर्वगामी साझेदारी है।

ब्याज आय के लिए नीति

सावधिक जमा और फ्लेक्सी जमा खाते पर ब्याज से प्राप्त राजस्व को बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर मान्यता दी गयी है।

रॉयल्टी आय के लिए नीति

रॉयल्टी को लाइसेंसिंग समझौते के अनुसार प्राप्य आधार पर मान्य और अर्जित किया गया है।

लाइसेंस शुल्क के लिए नीति

लाइसेंस शुल्क को तब मान्यता दी जाती है जब लाइसेंस समझौते के अनुसार लाइसेंसी को संपूर्ण तकनीकी जानकारी, निरूपण और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। लाइसेंस आवंटित करने के लिए संबंधित व्यय को लाइसेंस की लागत (व्यय) के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की नीति

प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन से होने वाले राजस्व को संबंधित प्रशिक्षण पूरा होने पर मान्यता दी गई है।

1.7 विदेशी मुद्रा लेनदेन और अंतरण

ए) विदेशी मुद्रा लेनदेन, प्रारंभिक मान्यता पर, लेनदेन की तारीख पर विदेशी मुद्रा राशि पर विनिमय दर लागू करके दर्ज किया गया है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर, विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं को समापन दर का उपयोग करके रिपोर्ट किया गया है और विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित ऐतिहासिक लागत पर की गई गैर-मौद्रिक वस्तुओं को लेनदेन की तिथि पर विनिमय दर का उपयोग करके रिपोर्ट किया गया है।

बी) मौद्रिक मदों के निपटान पर या मौद्रिक मदों को उन दरों से भिन्न दरों पर रिपोर्ट करने पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, जिस पर उन्हें वर्ष के दौरान शुरू में दर्ज किया गया था, या पिछले वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किया गया था, को उस वर्ष में जिस वर्ष वे उठते हैं, आय या व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

1.8 कर्मचारी लाभ

भविष्य निधि और ईएसआईसी के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

चूँकि कंपनी का कोई भी कर्मचारी ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के प्रावधान के अंतर्गत नहीं आता है, अत: 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ग्रेच्युटी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

1.9 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

अचल संपत्तियों को संचित मूल्यह्रास और हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर लिया गया है। अचल संपत्तियों की लागत में उस तारीख तक अर्हता प्राप्त अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के कारण ऋण पर ब्याज और उस तिथि तक, जब तक इसका प्रस्तावित उपयोग प्रारम्भ नहीं होता है, इस पर किए गए अन्य आकस्मिक खर्च शामिल हैं। अचल संपत्तियों से संबंधित बाद के व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, यदि ऐसे व्यय के परिणामस्वरूप ऐसी परिसंपत्तियों से भविष्य में होने वाले लाभ में निष्पादन के पहले से निर्धारित मानक से अधिक वृद्धि होती है।

1.10 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर के बाद लाभ/(हानि) (असाधारण वस्तुओं के कर पश्चात प्रभाव, यदि कोई हो) को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर सुस्त आय की गणना कर पश्चात लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के कर पश्चात प्रभाव सहित, यदि कोई हो) को, तनु संभावित इक्विटी शेयरों से संबंधित व्यय या आय पर लाभांश, ब्याज और अन्य शुल्कों के लिए समायोजित करके, प्रति शेयर मूल आय निकालने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और सभी डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

1.11 आय पर कर

वर्तमान कर, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय कर की राशि है।

आस्थगित कर को समय के अंतर पर पहचाना जाता है, जो कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच अंतर होता है जो एक अवधि में उत्पन्न होता है और एक या अधिक बाद की अवधि में उलटने में सक्षम होता है। आस्थगित कर को कर के दरों और रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर कानूनों का उपयोग करके गणना की जाती है। आस्थगित कर देनदारियों को सभी समय अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। अवशोषित मूल्यह्रास और घाटे को आगे बढ़ाने के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है जब आभासी निश्चितता हो कि ऐसी परिसंपत्तियों का एहसास करने के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अन्य मदों के समय

के अंतर के लिए केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जब उचित निश्चितता मौजूद हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों की भरपाई की जाती है यदि ऐसी वस्तुएं समान कर कानूनों द्वारा लगाए गए आय पर करों से संबंधित हैं और कंपनी के पास इस तरह के सेट ऑफ के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधि कार है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की उनकी वसूली के लिए प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर समीक्षा की जाती है।

1.12 परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर परिसंपत्तियों/नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के मूल्य की हानि के लिए समीक्षा की जाती है। यदि हानि का कोई संकेत मौजूद है, तो ऐसी परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और हानि की पहचान की जाती है, यदि इन परिसंपत्तियों की वहन राशि उनकी वसूली योग्य राशि से अधिक है। वसूली योग्य राशि शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में उनके मूल्य से अधिक है। उपयोग में आने वाला मूल्य उचित छूट कारक के आधार पर भविष्य के नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट देकर निकाला जाता है। जब कोई संकेत मिलता है कि पहले लेखांकन अवधि में किसी परिसंपत्ति के लिए मान्यता प्राप्त हानि अब मौजूद नहीं है या कम हो सकती है, तो पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों के मामले को छोड़कर, हानि के ऐसे उलट को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

1.13 प्रावधान और आकस्मिकताएँ

किसी प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी पर पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के आउटफ्लो की आवश्यकता होगी जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों (सेवानिवृत्ति लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्य से छूट नहीं दी जाती है और बैलेंस शीट की तारीख पर दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

टिप्पण : 2 शेयर पूंजी

(शेयर और प्रति शेयर डेटा को छोड़कर जबकि अन्यथा कहा न गया हो, राशि सैकड़ों में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
1	**अधिकृत**		
	प्रति 10 रुपये राशि के 10,00,00,000 (10,00,00,000) इक्विटी शेयर	1,000,000,000	1,000,000,000
2	**जारी किए गए, सब्सक्राइब किए गए और भुगतान किए गए**		
	प्रति 10 रुपये राशि के 5,00,00,000 (5,00,00,000) इक्विटी शेयर, पूर्णत: भुगतान किए	1,000,000,000	1,000,000,000
		5,000,000	5,000,000
	कुल	**5,000,000**	**5,000,000**

(क) इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें /अधिकार :

कंपनी के पास 10/- प्रति शेयर के सममूल्य पर जारी इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमान्य राशि के वितरण के बाद, कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे। शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में वितरण होगा।

(ख) कंपनी के समग्र शेयरों का 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का ब्यौरा

क्र.सं.	शेयरधारकों का नाम	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
		शेयरों की सं.	शेयरों की सं.
1	भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार	50,000,000	50,000,000
	(धारित प्रतिशत)	100%	100%

(ग) प्रतिवेदित अवधि की शुरूआत और अंत में अधिशेष शेयरों का मिलाना

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
		शेयरों की सं.	शेयरों की सं.
	वर्ष की शुरूआत में	50,000,000	50,000,000
	वर्ष के अंत में	50,000,000	50,000,000

(घ) वर्ष के अंत में प्रमोटरों द्वारा धारित शेय

क्र. सं.	प्रमोटर का नाम	शेयरों की सं.	कुल शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान परिवर्तन का प्रतिश
1	भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार	49,999,940	99.9988 %	शून्य
2	श्री बलराज, भारत के राष्ट्रपति के नामिति के रूप में	10	0.00002%	शून्य
3	श्री एस.के. उपाध्याय, भारत के राष्ट्रपति के नामिति के रूप में	10	0.00002%	शून्य
4	श्री सुनील कुमार मीना, भारत के राष्ट्रपति के नामिति के रूप में	10	0.00002%	शून्य
5	श्री राजेश गुप्ता, भारत के राष्ट्रपति के नामिति के रूप में	10	0.00002%	शून्य
6	श्री शालीन अग्रवाल, भारत के राष्ट्रपति के नामिति के रूप में	10	0.00002%	शून्य
7	श्री सुराजीय साहा, भारत के राष्ट्रपति के नामिति के रूप मे	10	0.00002%	शून्य
कुल		**50,000,000**	**100%**	

(ड.) वर्ष की शुरूआत में प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर

क्र. सं.	प्रमोटर का नाम	शेयरों की सं.	कुल शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान परिवर्तन का प्रतिश
1	भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार	49,999,940	99.9988 %	शून्य
2	डॉ. टी. महापात्रा, भारत के राष्ट्रपति के नामिति के रूप में	10	0.00002%	शून्य
3	श्री एस.के. उपाध्याय, भारत के राष्ट्रपति के नामिति के रूप में	10	0.00002%	शून्य
4	श्री प्रेम प्रकाश मौर्य, भारत के राष्ट्रपति के नामिति के रूप में	10	0.00002%	शून्य
5	श्री राजेश कुमार, भारत के राष्ट्रपति के नामिति के रूप में	10	0.00002%	शून्य
6	श्री शालीन अग्रवाल, भारत के राष्ट्रपति के नामिति के रूप में	10	0.00002%	शून्य
7	श्री जितेन्द्र मिश्रा, भारत के राष्ट्रपति के नामिति के रूप मे	10	0.00002%	शून्य
कुल		**50,000,000**	**100%**	

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

टिप्पण : 3 आरक्षित निधियां और अधिशे

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
1	लाभ और हानि के विवरणों के अनुसार अधिशेष:		
	पिछले वित्तीय विवरणों से अग्रेषित शेष राशि	26,12,062.81	22,60,815.80
	योग : वर्ष के लिए लाभ	4,73,672.81	3,51,246.01
	कुल	**30,85,734.62**	**26,12,061.81**

टिप्पण : 4 व्यापार देय राशियां

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
1	एमएसएमई को कुल बकाया	-	-
2	एमएसएमई के अतिरिक्त अन्य को कुल बकाया		
	क) लाइसेंस शुल्क का शेयर - आईसीएआर का शेयर	-	-
	ख) लाइसेंस शुल्क का शेयर - संस्थानों का शेयर	-	-
	ग) अन्य का शेय	-	846.60
	कुल	-	**846.60**

टिप्पण : 4.1 दिनांक 31 मार्च, 2024 को व्यापार देय राशियों की परिपक्वन समयावधि

क्र. सं.	विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाय				
		1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
	(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-
	(ii) अन्य		-	-	-	-
	(iii) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-
	(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
	(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-
	कुल	-	-	-	-	-

टिप्पण : 5 अन्य वर्तमान देयताएं

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
1	सांविधिक बकाया देय	53,878.63	20,319.84
2	प्रतिभूति जमा	550.00	500-00
3	अन्य देय	415.00	2]607-00
4	संविदा वेतन देय	4,073.05	3,649.00
5	लाइसेंस शुल्क का शेयर - आईसीएआर का शेयर	2,87,575.05	2,21,239.88
6	लाइसेंस शुल्क का शेयर - संस्थानों का शेयर	5,07,736.57	8,88,334.13
7	अन्य	1,178.67	525.00
8	ग्राहकों से अग्रिम	7,104.73	2,950.00
	कुल	**8,62,511.70**	**11,40,113.85**

नोट : लाइसेंस शुल्क का शेयर - आईसीएआर और संस्थान का शेयर पुष्टि के अधीन है।

टिप्पण : 6 अल्पकालिक प्रावधान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
1	व्यय के लिए प्रावधान	19,166.35	22,383.98
2	आयकर के लिए प्रावधान	1,58,680.23	1,19,241.55
	कुल	**1,77,846.58**	**1,41,625.53**

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट

नोट 7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त आस्तियां

(राशि सौ में)

क्र. सं.	आस्तियां	कुल संपत्तियां				मूल्यह्रास				निवल संपत्तियां	
		01.04.23 के अनुसार	वर्ष के दौरान परिवर्धन	विलोपन/ समायोजन	31.03.24 के अनुसार	01.04. 2023 के अनुसार	वर्ष के दौरान परिवर्धन	समायोजन, यदि कोई हो	31.03. 2024 के अनुसार	31.03. 2024 के अनुसार	31.03. 2023 के अनुसार
(क)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण										
1	भवन सुधार	17,148.80	–	–	17,148.80	9,698.85	1,175.00	4,920.65	5,953.20	11,195.60	7,449.95
2	फर्नीचर और फिक्सचर	44,691.34		–	44,691.34	41,013.47	952.14	–	41,965.61	2,725.73	3,677.87
3	कार्यालय उपकरण	29,660.00	85.94	–	29,745.94	29,265.63	185.35	–	29,450.98	294.96	394.37
4	बिजली की स्थापना और उपकरण	13,975.60	–	–	13,975.60	12,824.40	297.98	–	13,122.38	853.22	1,151.20
		11,605.67	–	–	11,605.67	11,590.36	9.71	–	11,600.07	5.60	15.31
5	कम्प्यूटर और सहायक सामग्री	0.01			0.01					0.01	
	उप-योग	1,17,081.41	85.94	–	1,17,167.35	1,04,392.71	2,620.18	4,920.65	1,02,092.24	15,075.11	12,688.70
(ख)	अमूर्त आस्तियां										
6	सॉफ्टवेयर	1,658.38	–	–	1,658.38	1,658.38	–	–	1,658.38	–	–
	उप-योग	1,658.38	–	–	1,658.38	1,658.38	–	–	1,658.38	–	–
	सकल योग (वर्तमान वर्ष)	1,18,739.79	85.94	–	1,18,825.73	1,06,051.09	2,620.18	4,920.65	1,03,750.62	15,075.11	12,688.70
	सकल योग (पिछला वर्ष)	1,18,574.00	165.00	–	1,18,739.00	1,03,260.00	2,708.00	82.30	1,06,050.30		12,688.70

ग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लि, वित्तीय विवरणों पर नोट

टिप्पण 8 : व्यापार प्राप्य

(राशि सैकड़ों में

क्र. सं.	विवरण	06 माह से कम	06 माह से 01 वर्ष	06 माह से 01 वर्ष	02-03 वर्ष	03 वर्ष से अधिक	कुल
1	निर्विवाद व्यापार प्राप्य -	12,985.00	680.31	-	8.00	-	13,673.31
2	अच्छा माना जाता है		-	-	-	-	-
3	निर्विवाद व्यापार प्राप्य -	-	-	-	-	-	-
4	संदिग्ध माना जाता है		-	-	-	-	-
	विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है						
	विवादित व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माना जाता है						
	कुल						**13,673.31**

नोट: व्यापार प्राप्य पुष्टि के अधीन हैं

टिप्पण 9 : नकद और बैंक शे

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
1	नकद और नकद समतुल्य		
	नकद के रूप में उपलब्ध राशि		46.61
	बैंकों में शेष राशि		
	- चालू खातों में	1,26,428.42	1,09,425.25
	- 03 माह से कम परिपक्वता वाले सावधि जमा खाते में	3,14,404.63	7,64,930.70
	- ,फडीआर पर अर्जित ब्याज	513.51	-
	कुल (क)	4,41,346.56	874,402.56
	ख) अन्य बैंक शेष		
	- 03 माह से अधिक परिपक्वता वाले सावधि जमा खाते में	80,00,000.00	75,00,000.00
	- 03 माह से अधिक परिपक्वता वाले ,फडीआर पर अर्जित ब्याज	3,82,540.66	3,34,006.54
	कुल (ख)	83,82,540.66	78,34,006.54
	कुल (क+ख)	**88,23,887.22**	**87,08,409.10**

टिप्पण 10 : अन्य मौजूदा आस्तियां

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
1	राजस्व अधिकारियों के पास शेष राशि	268,624.58	**167,429.36**
2	पूर्व भुगतान व्यय	375.22	-
3	आपूर्तिकर्ता को अग्रिम राशि	14	
	कुल	**269,014.26**	**167,429.36**

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट

टिप्पण 11 : परिचालनों से राजस्व

(राशि सैकड़ों में

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
1	लाइसेंस शुल्क	668,375.00	72,082.31
2	परामर्शी शुल्क	958,557.70	43,402.39
	कुल	**740,457.31**	**10,01,960.09**

टिप्पण 12 : अन्य आय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
1	सावधि जमा पर ब्याज	6,35,299.20	460,801.99
2	टीडीएस वापसी पर ब्याज	0.42	1,823.08
3	विविध	-	6.88
4	पूर्व अवधि आय	4,920.65	-
	कुल	**6,40,220.27**	**4,62,631.95**

टिप्पण 13 : कर्मचारी हितलाभ व्यय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
1	वेतन:-		
	स्थायी कर्मचारियों के लिए	-	30,946.76
	संविदा कर्मचारियों के लिए	50,117.17	47,606.00
	एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारियों के लिए	45,208.20	38,268.93
2	व्यय की प्रतिपूर्ति	1,378.06	929.88
	कुल	**96,703.43**	**117,751.57**

टिप्पण : 7 मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
1	मूल्यह्रा	2,620.18	2,708.00
	कुल	**2,620.18**	**2,708.00**

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट

टिप्पण : 14 विक्रय की लागत

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
1	प्रत्यक्ष लागतें लाइसेंस शुल्क की लागत	5,93,265.85	8,01,557.51
2	एक्सेस बेनिफिट शेयर (एनबीए)	-	10,081.00
	कुल	**5,93,265.85**	**8,11,638.51**

टिप्पण : 15 अन्य व्यय

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
	अन्य अप्रत्यक्ष लागतें		
1	प्रशासनिक व्यय	3,390.97	1,671.62
2	बिजली और पानी	2,916.02	4,066.05
3	किराया, दरें और कर	1,748.01	-
4	सामान्य सेवा प्रभार	8,425.85	6,481.50
5	मुद्रण और स्टेशनरी	2,479.47	3,372.15
6	संचार	4,152.09	6,032.60
7	वाहन किराये पर लेने का व्यय	8,590.56	8,081.55
8	अंतर्देशीय यात्रा	5,483.01	4,423.09
9	विज्ञापन	966.71	629.34
10	शुल्क और सदस्यता	306.25	3,163.08
11	बीमा	-	109.27
12	मरम्मत और रखरखाव		
	-अन्य	2,032.53	10,204.38
13	कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	3,095.60	4,271.48
14	आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	250.00	250.00
15	सचिवीय लेखा परीक्षा शुल्क	76.61	59.50
16	लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक		
	- लेखापरीक्षा शुल्क	460.00	460.00
17	जीएसटी/आरसीएम पर ब्याज	81.39	84.99
18	टीडीएस पर ब्याज	27.31	-
19	प्रावधान (पी/वाई)	1,301.29	4,880.63
20	विविध	6,440.26	3,040.53
21	बट्टे खाते डाले गए सॉफ्टवेयर	-	82.92
22	विनिमय का अंतर	-	13.27
23	बैंक प्रभार	73.97	86.02
			-
	कुल	**52,297.90**	**61,463.97**

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट

टिप्पण : 16 आस्थगित कर आस्तियां / देयताएं

(राशि सैकड़ों में

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
1	**डब्ल्यू. डी. वी. के कारण**		
	कंपनी अधिनियम के अनुसार	15,075.00	12,691.00
	आयकर के अनुसार	32,729.64	36,977.00
	कंपनी अधिनियम के ऊपर आयकर के रूप में डब्ल्यूडीवी	-17,654.53	-24,286.00
	तक पहुंच कुल	17,654.53	24,286.00
	आस्थगित कर आस्तियां / 25.168%	4,443.00	6,112.63
	लाभ और हानि के विवरण में पहचाने ग	**1,669.63**	**542.00**

टिप्पण : 17 प्रति इक्विटी शेयर आय

विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
लाभ और हानि के विवरणों के अनुसार प्राप्त निवल लाभ	474,672.81	3,51,246.44
इक्विटी शेयरधारक	5,00,00,000.00	5,00,00,000.00
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	5,00,00,000.00	5,00,00,000.00
क. प्रति 10/- रुपये के प्रत्येक शेयर पर मूल आय	**0.95**	**0.70**
ख. प्रति 10/- रुपये के प्रत्येक शेयर पर डाइल्यूटेड आय	**0.95**	**0.70**

टिप्पण : 18 आकस्मिक देयताएं

विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
निम्नलिखित के संबंध में आकस्मिक देयताएं मौजूद हैं :-		
ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए कंपनी के खिलाफ दावे	शून्य	शून्य
माल और सेवा कर मामले	शून्य	शून्य
आय कर मामले	शून्य	शून्य
अन्य मामले	शून्य	41,930.00
श्रीमती निधि गोधा का वेतन	शून्य	शून्य
पूंजीगत खातों पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि	शून्य	शून्य
अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है		

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड

टिप्पण : 19 संबंधित पक्ष लेनदेन प्रकटीकरण

(i) संबंधित पक्षों के नाम जहां नियंत्रण मौजूद है और संबंधित पक्ष जिनके साथ लेनदेन हुआ है और संबंध:
क) कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक / व्यक्ति:
- डॉ. हिमांशु पाठक, अध्यक्ष एवं निदेशक
- श्री संजय गर्ग, निदेशक
- डॉ. अशोक महादेव राव दलवई, निदेशक
- श्रीमती अलका नांगिया अरोड़ा, निदेशक
- डॉ. नीरु भूषण, निदेशक
- श्री आनंद मोहन अवस्थी, निदेशक
- श्री गौंडर करुपन नागराज, निदेशक
- डॉ. प्रवीण मलिक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी
- श्री राहुल कुमार, मुख्य वित्तअधिकारी
- सुश्री धृति मदान, कंपनी सचिव

वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष लेनदेन के संबंध में प्रकटीकरण

राशि सैकड़ों में

विवरण	संबंध	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1. प्रबंधकीय पारिश्रमिक			
डॉ. प्रवीण मलिक सुश्री धृति मदान	मुख्य कार्यपालक अधिकारी कंपनी सचिव	8,719.00	7,920.00
2. व्यय की प्रतिपूर्ति			
- डॉ. प्रवीण मलिक	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	1,121.83	723.00
- श्री सुधा मैसूर	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	-	1,449.00
- श्री सौरभ मुनि	मुख्य वित्त अधिकारी	-	113.00
- श्री राहुल कुमार	मुख्य वित्त अधिकारी	217.27	292.00
- सुश्री धृति मदान	कंपनी सचिव	253.75	602.00
3. निदेशक बैठक शुल्क			
- श्री आनंद मोहन अवस्थि	निदेशक	594.00	540.00
- श्री गौंडर कुरूपन नागराज	निदेशक	342-00	500-00

टिप्पण : 20 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधि नियम, 2006) के तहत परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि का विवरण

सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 को अधिसूचना संख्या जीएसआर 1022 (ई) जारी की है, जिसमें सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को देय राशि के संबंध में कुछ प्रकटीकरण किए गए हैं। तदनुसार, विक्रेताओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर वित्तीय विवरणों में ऐसे उद्यमों को देय राशि के संबंध में प्रकटीकरण किया गया है। इस संबंध में आवश्यक जानकारी नीचे दी गई है

विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदा न की गई मूल राशि और उस पर देय ब्याज;		
- मूलधन	-	-
- ब्याज	-	-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम, 1965 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (अधिनियम) के साथ-साथ प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि	-	-
भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत दिन से परे भुगतान की गई है) लेकिन उक्त अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
प्रत्येक वर्ष के अंत में अर्जित और अप्रदत्त ब्याज की राशि	-	-
आगामी वर्षों में भी बकाया और देय शेष ब्याज की राशि, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दिया जाता।	-	-

टिप्पण : 21 आस्थगित कर देयताएं/आस्तियां

कंपनी भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आय पर करों के लिए लेखांकन पर एएस-22 का पालन कर रही है। आस्थगित कर परिसंपत्ति को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है और आगे बढ़ाया जाता है, जब तक कि यह निश्चित हो कि परिसंपत्ति भविष्य में वसूली जाएगी।

टिप्पण : 22 प्रमुख अनुपातों का प्रकटीकरण

क्र. सं.	विवरण	अंश	भाजक	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसा	अंतर का प्रतिशत	यदि 25 प्रतिशत से अधिक अंतर है तो इसका कार
1	वर्तमान अनुपात (गुना)	कुल वर्तमान आस्तियां	कुल वर्तमान देयताएं	8.76	6.92	27%	संस्थान और आईसीएआर के संबंध में देयता में वृद्धि के कारण अभी भी भुगतान किया जाना है।
2	ऋण-इक्विटी अनुपात (गुना)	कुल ऋण	कुल इक्विटी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (गुना)	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय (1)	ऋण सेवा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	इक्विटी अनुपात पर रिटर्न (%)	वर्ष के लिए लाभ	शेयरधारक इक्विटी	6%	5%	1%	महत्वपूर्ण नहीं
6	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (गुना)	ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व	औसत व्यापार प्राप्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (गुना)	शुद्ध ऋण खरीद	माल के लिए औसत व्यापार देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पिछले वर्ष की तुलना में टर्नओवर में कमी के कारण
8	निवल पूंजी टर्नओवरअनुपात	ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व	औसत कार्यशील पूंजी	0.18	0.26	31%	पिछले वर्ष की तुलना में टर्नओवर में कमी के कारण
9	शुद्ध लाभ अनुपात (%)	ब्याज , कर और असाधारण मदों से पहले की आय में से अन्य आय घटाएँ	बिक्री और सेवाओं का मूल्य	0.85%	0.47%	80.00%	गैर-परिचालन में वृद्धि के कारण
10	लगाई गई पूंजी पर रिटर्न (%)	कर से पहले का लाभ वित्त लागत जोड़ें	लगाई गई पूंजी	8%	6%	33%	गैर-परिचालन आय में वृद्धि के कारण
11	निवेश पर रिटर्न	शुद्ध लाभ/पीएटी	निवेश की लागत	9%	7%	42%	संस्थान और आईसीएआर के संबंध में देयता में वृद्धि के कारण अभी भी भुगतान किया जाना है।

टिप्पण : 23 अन्य वैधानिक सूचना

क कंपनी के पास ऐसी कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां कंपनी के खिलाफ कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू की गई हो या लंबित हो।

ख कंपनी ने निर्दिष्ट व्यक्तियों जैसे प्रमोटरों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों, संबंधित पक्षों को ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है; जो मांग पर चुकाने योग्य हैं या जहां समझौते में कोई शर्तें या पुनर्भुगतान की अवधि निर्दिष्ट नहीं है।

ग कंपनी को किसी भी ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है, जिसके पास वित्तीय वर्ष के दौरान या रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के बाद, लेकिन वित्तीय विवरणों को मंजूरी दिए जाने की तारीख से पहले, किसी भी समय कंपनी को जानबूझकर चूककर्ता घोषित करने की शक्ति है।

घ कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को इस समझ के साथ अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ: (i) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा (अंतिम लाभार्थी) या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगा या निवेश करेगा या (ii) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की सुविधा प्रदान करेगा।

ड कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (निधि देने वाला पक्ष) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कोई निधि प्राप्त नहीं की है, कि कंपनी: (i) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निधि देने वाले पक्ष (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या (ii) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगी।

च कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन और / या शेष राशि बकाया नहीं है।

छ कंपनी के पास ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जो बही खातों में दर्ज नहीं है, लेकिन आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में आत्मसमर्पण या खुलासा किया गया है (जैसे, खोज या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान)।

ज कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

झ कंपनी ने कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित स्तरों की संख्या का अनुपालन किया है।

कंपनी के पास कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है जिसे वैधानिक अवधि से परे कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के साथ पंजीकृत किया जाना शेष है।

ट विदेशी मुद्रा आय और व्य

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24
व्यय	शून्य
आय	शून्य

टिप्पण : 24 पिछले वर्ष के आंकड़े

पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप जहां भी आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का आन्तरिक भाग बनाता है।

समसंख्यक दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते विवेक संजय एंड सीओ.
चार्टेड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 014189 एन

निदेशक मण्डल की ओर से
(एग्रीनोवेट इंडिया लि.)

(सीए अजय खंडेलवाल)	**(अलका नांगिया अरोड़ा)**	**(संजय गर्ग)**
भागीदार :	निदेशक	निदेशक
एम. नं.: 519516	डीआईएन: 03165567	डीआईएन: 03401035

स्थान : नई दिल्ली	**(डॉ. प्रवीन मलिक)**	**(धृति मदान)**	**(राहुल कुमार)**
दिनांक : 10/10/2024	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	कम्पनी सचिव	मुख्य वित्त अधिकारी
	PAN: ADUPM5768N	सदस्यता सं. A-27642	PAN : DIHPK6798B

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn)

देय सांविधिक बकाया

(राशि सैकड़ों में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	
1	स्रोत पर कर कटौती		47,661.17
2	जीएसटी पर टीडीएस		5,655.75
3	देय ब्याज		108.67
4	सीजीएसटी आरसीएम के लिए प्रावधान		220.86
5	एसजीएसटी आरसीएम के लिए प्रावधान		220.86
6	आईजीएसटी आरसीएम के लिए प्रावधान		11.32
		-	
	कुल	-	**53,878.63**

चालू खातों में बैंक में शेष राशि

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार
1	कैनरा बैंक	85,730.82
2	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	40,697.60
		-
	कुल	**126,428.42**

अन्य देय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	
1	बीज शीतल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड		45.00
2	सेंसरटिक्स प्राइवेट लिमिटेड		100.00
3	सूरजश्री केमिकल्स लिमिटेड		250.00
4	डब्लू एस टेलीमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड		20.00
	कुल		**415.00**

ग्राहकों से अग्रिम

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार
1	एमिल फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड	250.00
2	आईआईएल बायोलॉजिकल्स लिमिटेड	250.00
3	इनेरा क्रॉपसाइंस प्राइवेट लिमिटेड	2,150.00
4	नीलांचल एग्रीसाइंस एलएलपी	100.00
5	पेनेट्रॉन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड/रामराज अस्स	500.00
6	आरसीएडी कल्टीवेशन एंड हैबिटेशन	825.00

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार
7	सुन्नाह एंटरप्राइजेज	2,212.50
8	नेक्स्ट-जेन एग्रो	817.23
		7,104.73

आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार
1	प्रोफेशनल कैटरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	0.96
2	राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान (एनआईएनपी)	13.50
		14.46

राजस्व प्राधिकरणों के पास शेष राशि

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार
1	राजस्व अधिकारियों के पास शेष राशि	1,84,455.16
2	जीएसटी आईटीसी	69,107.54
3	वापसी योग्य आयकर (वित्त वर्ष 2020-21)	15,050.56
4	आरसीएम इनपुट आईजीएसटी	11.32
	कुल	**2,68,624.58**

व्यापार प्राप्य परिपक्वन समयावधि

क्र. सं.	विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाय					
		6 माह से कम	6 माह से 01 वर्ष	01 से 02 वर्ष	02 से 03 वर्ष	03 वर्ष से अधिक	कुल
1	सीओई-बागवानी विभाग	12,985.00					12,985.00
2	जिला बागवानी कार्यालय		165.20				165.20
3	फ्लोरेसर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड		24.71				24.71
4	आलू अनुसंधान केंद्र		330.40				330.40
5	टेरेस्ट्रियल फूड्स लिमिटेड		168.00	8.00			168.00
							-
कुल		**12,985.00**	**680.31**	**8.00**	-	-	**13,673.31**

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn)

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार मूल्यह्रास का विवर

(राशि सौ में)

विवरण	मूल्यह्रास की दर	01 अप्रैल, 2023 तक डब्ल्यूडीवी	वर्ष के दौरान परिवर्ध			बिक्री/ समायोज	31 मार्च, 2024 तक कुल	वर्ष में मूल्यह्रा	31 मार्च, 2024 तक डब्ल्यूडीव
			01 अप्रैल, 2023 से 30 सितंबर, 202	01 अक्तूबर, 2023 से 31 मार्च, 202	कुल परिवर्ध				
भवन	10%	7,013.00			–	–	7,013.00	701.30	6,311.70
फर्नीचर और फिक्सचर	10%	18,169.00			–		18,169.00	1,816.90	16,352.10
बिजली फिटिंग सहित कार्यालय उपकरण	15%	11,635.00	–	85.94	85.94		11,720.94	1,751.70	9,969.24
कम्प्यूटर और सहायक उपकरण	40%	161.00	–	–	–	–	161.00	64.40	96.60
कुल		**36,978.00**	–	**85.94**	**85.94**	–	**37,063.94**	**4,334.30**	**32,729.64**

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों की सेवा में वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अर्हताप्राप्त/योग्य राय

हमने एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली (कंपनी) के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट, लाभ एवं हानि का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण शामिल है और वित्तीय विवरणों पर नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (बाद में इन्हें षवित्तीय विवरणष के रूप में संदर्भित किया जाएगा)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के आधार खण्ड में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के तहत आवश्यक जानकारी देते हैं जो आवश्यक तरीके से और 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और उसके लाभ, और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसका नकदी प्रवाह, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष जानकारी देते हैं।

अर्हताप्राप्त/योग्य राय का आधार

1. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार रॉयल्टी के संबंध में राजस्व पहचानने में विफल रही। कंपनी के पास विभिन्न पक्षों के साथ प्रौद्योगिकी लाइसेंस समझौते में रॉयल्टी खंड के संबंध में कोई उचित रिकॉर्ड नहीं है। कंपनी पार्टियों द्वारा हस्तांतरित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित/बेची गई इकाइयों पर नियंत्रण नहीं रखती है, जिसके आधार पर रॉयल्टी ली जाएगी। अपर्याप्त ऑडिट साक्ष्यों के कारण हम प्राप्य रॉयल्टी की राशि निर्धारित करने में असमर्थ हैं। इसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षाधीन वर्ष में प्राप्त रॉयल्टी द्वारा लाभ को कम दर्शाया गया है।
2. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत दाखिल रिटर्न के माध्यम से दावा किए गए जीएसटी इनपुट के साथ जीएसटी इनपुट क्रेडिट का मिलान करने में विफल रही। कंपनी ने बैलेंस शीट के नोट 10 में 25,65,286/- रुपये के जीएसटी इनपुट क्रेडिट का असमायोजित बैलेंस दर्शाया है। जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी इस इनपुट क्रेडिट का दावा कर सकती है या नहीं, इसकी जानकारी के अभाव में जीएसटी इनपुट क्रेडिट का प्रतिपादन निश्चित नहीं है। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2024 तक के बैलेंस शीट में चालू परिसंपत्तियों का विवरण अधिक दर्शाया गया है।
3. कंपनी विभिन्न संस्थानों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी के विपणन की सेवाएं प्रदान कर रही है। एएस 9 के अनुसार किसी समझौते के तहत प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से प्राप्त राजस्व को लाभ और हानि के विवरण में तभी मान्यता दी जानी चाहिए जब किसी अनुबंध के तहत सेवाओं का प्रतिपादन पूरा हो गया हो या काफी हद तक पूरा हो गया हो। कंपनी अग्रिम प्राप्ति के आधार पर राजस्व को मान्यता देने की प्रथा अपनायी है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के अनुसार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की तारीख प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से प्रभावी है। जबकि कंपनी अनुबंध पूरा

होने से पहले राजस्व को मान्यता दे रही है जो लेखांकन सिद्धांतों के खिलाफ है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने 49,50,000/- रुपये का राजस्व मान्यता दी है, जिसके लिए अगले वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए समझौता निष्पादित किया गया। इसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षित वर्ष के लिए 49,50,000/- रुपए का लाभ अधिक दर्शाया गया है।

4. कंपनी ने बैलेंस शीट की नोट संख्या 5 में 41,500/- रुपये के अन्य देय, 2,87,57,505/- रुपये के लाइसेंस शुल्क - आईसीएआर का हिस्सा और 5,07,73,657/- रुपये के लाइसेंस शुल्क - संस्थानों का हिस्सा दर्शाया है, जिसके लिए हमें किसी तीसरे पक्ष की पुष्टि नहीं मिली है, इसलिए हम ऐसे शेष राशि पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण (एसए) मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियां हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग के ऑडिट के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित हैं। हम कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान और वहां के नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ-साथ भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से अलग एवं स्वतंत्र हैं। हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किया है वह हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं, सिवाय उन मामलों के जो "योग्य राय के लिए आधार" अनुभाग में वर्णित हैं। हमने निर्धारित किया है कि हमारी रिपोर्ट में संवाद करने के लिए कोई अन्य मुख्य लेखापरीक्षा मामले नहीं हैं।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी तैयार करने के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित बोर्ड की रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ना है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी हमारे ऑडिट के दौरान प्राप्त वित्तीय विवरणों या हमारे ऑडिट के दौरान प्राप्त ज्ञान से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हमने उपरोक्त पहचानी गई रिपोर्टें पढ़ीं, तो हमने निष्कर्ष निकाला कि इसमें एक महत्वपूर्ण गलत बयानी है, हमें इस मामले को शासन के प्रभार वाले लोगों तक पहुंचाना और परिस्थितियों और लागू कानून एवं

विनियमों के अनुसार आवश्यक उचित कार्रवाई करना आवश्यक है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधि नियम) की धारा 134(5) में बताए गए मामले के लिए जिम्मेदार है, जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक सहित, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी का नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव; लेखांकन नीतियों के उचित कार्यान्वयन और रखरखाव का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलत विवरण से मुक्त होते हैं, चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण भी शामिल हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, चालू संस्था से संबंधित मामले का, जैसा लागू हो, खुलासा करने और लेखांकन के वर्तमान चिंताओं के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या बंद करने का इरादा नहीं रखता है। संचालन, या ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि ौ के अनुसार आयोजित ऑडिट हमेशा महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा जब ऐसा मौजूद हो। गलत बयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इसे महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, एकल रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित उम्मीद की जा सकती है।

SAs के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेहवाद बनाए रखते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणों के तथ्यों के गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप हुई किसी गलतबयानी की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- परिस्थिति अनुसार उपयुक्त ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के लिए प्रबंधन द्वारा चालू व्यवसाय आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना तथा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियां कंपनी को एक चालू व्यवसाय के रूप में जारी रखना बंद कर सकती हैं।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और तथ्यों का मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और लेखा परीक्षा का समय और ऑडिट के दौरान आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित, महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के संबंध में, गवर्नेंस से जुड़े लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह विवरण भी उपलब्ध करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

भौतिक तत्व वित्तीय विवरण में गलत विवरण की भयावहता है जो एकल रूप से या समग्र रूप से यह संभव बनाती है कि वित्तीय विवरण के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता का आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकता है। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने और (ii) वित्तीय विवरण में पहचाने गए किसी भी गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारक पर विचार करते हैं;

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) योग्य राय के आधार पैराग्राफ में वर्णित मामलों को छोड़कर, हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।

बी) हमारी राय में, जहां तक उन बहियों की हमारी जांच से पता चलता है, कंपनी ने कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियों का रखाव किया है।

सी) इस रिपोर्ट में मौजूद बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

डी) योग्य राय के आधारष पैराग्राफ में वर्णित मामलों को छोड़कर, हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

ई) निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान, अधिसूचना जी.एस. आर. 463(ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं है।

एफ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुलग्नक ए में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक संशोधित राय व्यक्त करती है।

जी) अधिनियम की संशोधित धारा 197(16) की आवश्यकता के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में;

– हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने विचाराधीन वर्ष के दौरान अपने निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया है।

एच) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

I. कंपनी के पास कोई भी मुकदमा लंबित नहीं है जो उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।

II. कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण अनुमानित हानि हो।

III. कंपनी के पास ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

IV. (i) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी फंड (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के फंड से), को विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थ) सहित किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) को इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, अग्रिम या उधार के रूप में या निवेश नहीं किया गया है। वह मध्यस्थ यह करेगा कि:

- कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए (अंतिम लाभार्थी) अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश
- अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करें।

(ii) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखाओं के नोट में खुलासा किए जाने के अलावा, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, जिसमें विदेशी संस्थाएं (वित्त पोषण पक्ष) शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी;

- चाहे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी से या उसकी ओर से (अंतिम लाभार्थी) किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देना या निवेश करना
- अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करना; और

(iii) और ऐसी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना है; हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप-खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुति में कोई महत्वपूर्ण गलत बयान है।

V. कंपनी ने विचाराधीन वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।

VI. हमारी जांच के आधार पर जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेन-देन के लिए यह सुविधा पूरे साल काम करती रही है। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला है।

2. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) की आवश्यकता के अनुसार, हम अनुलग्नक बी में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश/उप-निर्देश के अनुसार मामलों पर एक रिपोर्ट अनुलग्नक-सी और अनुलग्नक-डी के रूप में संलग्न है।

कृते **विवेक संजय एण्ड कम्पनी**
चार्टेड एकाउंटेट्स
(फर्म रजिस्ट्रेशन न. 014189 एन)

(चार्टेड एकाउंटेट विवेक खण्डेलवाल)
पार्टनर
एम नम्बर : 519516
UDIN : 24519516BKHQFC7679

हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10.10.2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक ए

(एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों को सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 1(एफ) में संदर्भित);

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च, 2024 तक के एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली (कंपनी) के वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरण मानदंडों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरण के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण पर लागू सीमा तक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित मार्गदर्शन नोट और लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षण किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरण के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय विवरण और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। हमारी लेखापरीक्षण में वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमजोरी मौजूद होने के जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय विवरण के संदर्भ में किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय विवरण के संदर्भ में किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण, कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के अनुमोदन के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों को ओवरराइड करने की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या अनुपालन के स्तर के कारण नीतियाँ या प्रक्रियाएँ बिगड़ सकती हैं।

योग्य राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे ऑडिट के आधार पर, 31 मार्च, 2024 तक निम्नलिखित भौतिक कमजोरियों की पहचान की गई है:

– कंपनी के पास प्रौद्योगिकी लाइसेंस समझौतों के अनुसार रॉयल्टी प्राप्य की पहचान हेतु उचित आंतरिक नियंत्रण नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से राजस्व का कम बयानी हो सकती और अंतिम संग्रह की उचित निश्चितता स्थापित हो सकती थी।

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंड के उद्देश्यों की प्राप्ति पर ऊपर वर्णित भौतिक कमजोरी के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी (मार्गदर्शन नोट) मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरण मानदंडों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर, वित्तीय रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी ढंग से काम कर रही थी।

हमने कंपनी के 31 मार्च, 2024 के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी गई और रिपोर्ट की गई भौतिक कमजोरियों पर विचार किया है, और ये भौतिक कमजोरियाँ कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित करती हैं।

कृते **विवेक संजय एण्ड कम्पनी**
चार्टेड एकाउंटेट्स
(फर्म रजिस्ट्रेशन न. 014189 एन)

(चार्टेड एकाउंटेट विवेक खण्डेलवाल)
पार्टनर
एम नम्बर : 519516

हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10.10.2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक बी

(एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट के अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट खण्ड के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित)

I (ए) (क) कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रिकॉर्ड का रखरखाव नहीं कर रही है। किया है।

(बी) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है; इस तरह के सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गई।

(सी) कंपनी के पास लीजहोल्ड कार्यालय परिसर के अलावा कोई अचल संपत्ति नहीं है, जिसके लिए कंपनी के पक्ष में लीजहोल्ड समझौता निष्पादित नहीं किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने आईसीएआर, नई दिल्ली के दिनांक 22.01.2014 के आवंटन पत्र के आधार पर लीजहोल्ड कार्यालय परिसर को मान्यता दी है।

(डी) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार की संपत्ति सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ई) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

II. (ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास अपने व्यवसाय में कोई इन्वेंट्री नहीं है, इसलिए कंपनी (ऑडिटर रिपोर्ट) आदेश, 2020 के खंड 3(ii)(ए) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(बी) कंपनी ने वर्तमान परिसंपत्तियों की जमानत के आधार पर किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से कोई कार्यशील पूंजी नहीं ली है, इसलिए आदेश का खंड 3(ii)(बी) कंपनी पर लागू नहीं है।

(iii) कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों में कोई निवेश नहीं किया है या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या सुरक्षित या असुरक्षित ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। इसलिए आदेश के खंड 3(iii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(iv) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के अनुसार कंपनी का कोई लेनदेन नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 3(iv) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(v) कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 (संशोधित) के तहत कोई भी जमा स्वीकार नहीं किया है। इसलिए आदेश के खंड 3(v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(vi) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड के रखरखाव की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 3(vi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(vii) (ए) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी वस्तु और सेवा कर, आयकर और किसी भी अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक

बकाया को उचित अधिकारियों को जमा करने में नियमित है। हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के पास संबंधित वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया वैधानिक बकाया का कोई निर्विवाद बकाया नहीं है।

बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि उप-खंड (ए) में उल्लिखित कोई भी विवादित वैधानिक बकाया वित्तीय वर्ष के अंत तक बकाया नहीं था।

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि हमें ऐसा कोई लेनदेन नहीं मिला है, जो पहले लेखा खातों में दर्ज नहीं किया गया था और आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभिभूत या खुलासा किया गया हो।

(ix) (ए) हमारी राय में और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच करने पर, कंपनी ने ऋण या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान या ऋणदाता को उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(बी) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(सी) कंपनी ने विचाराधीन वर्ष के दौरान कोई सावधिक ऋण नहीं लिया है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(b) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(डी) कंपनी ने वर्ष के दौरान अल्पावधि आधार पर कोई धनराशि नहीं जुटाई है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(डी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ग) (ई) कंपनी ने किसी भी संस्था या व्यक्ति से किसी के कारण या उसके दायित्वों को पूरा करने के लिए कोई धनराशि नहीं ली है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(ई) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(एफ) कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(एफ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ए) कंपनी ने विचाराधीन वर्ष के दौरान आईपीओ या पब्लिक ऑफर (ऋण विलेख सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है, इसलिए आदेश के खंड 3 (X) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(बी) कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण, आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है, इसलिए आदेश के खंड 3 (X) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xi) (ए) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(बी) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक केंद्र सरकार के पास कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी -4 में दायर नहीं की गई है।

(सी) हमें कंपनी के खिलाफ विचाराधीन वर्ष के दौरान व्हिसिल ब्लोअर के रूप में कोई शिकायत नहीं मिली है।

(xii) कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार आदेश के खंड 3(xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xiii) हमारी राय में, कंपनी संबंधित पक्षों के साथ लागू लेनदेन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 का अनुपालन करती है और लागू लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों में संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण का खुलासा किया गया है।

(xiv)(ए) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(बी) ऑडिट के तहत वर्ष के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर हमारे द्वारा विचार किया गया है।

(xv) हमारी राय में, वर्ष के दौरान कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार आदेश की धारा 3(xv) लागू नहीं होती है।

(xvi) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार :

(ए) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(xvi)(ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(बी) कंपनी ने विचाराधीन वर्ष के दौरान कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं, इसलिए आदेश के खंड 3(xvi)(बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(सी) हमारी राय में कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है, इसलिए आदेश के खंड 3(xvi) (सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(डी) हमारी राय में और हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कंपनी किसी भी समूह का हिस्सा नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(xvi)(डी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xvii. कंपनी को वर्ष के दौरान और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।

xviii. विचाराधीन वर्ष के दौरान लेखा परीक्षकों के इस्तीफे की कोई घटना नहीं हुई है।

xix. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, काल पक्वन (एजिंग) और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ जुड़ी अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर और धारणाओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी उस तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों और बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर, को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालाँकि, हम उल्लेख करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा। कंपनी जब भी उनका बकाया हो।

xx. हमारी राय में, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए आदेश के खंड 3(xvi) (ए) और (बी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

कृते **विवेक संजय एण्ड कम्पनी**
चार्टेड एकाउंटेट्स
(फर्म रजिस्ट्रेशन न. 014189 एन)

(चार्टेड एकाउंटेट विवेक खण्डेलवाल)
पार्टनर
एम नम्बर : 519516

हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10.10.2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक सी

(हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ-3 में संदर्भित)

1	क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड के लिए स्पष्ट शीर्षक/लीज डीड उपलब्ध है? यदि नहीं, तो कृपया बताएं कि फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि का वह क्षेत्र जिसके लिए शीर्षक/लीज डीड उपलब्ध नहीं है।	दिनांक 31.03.2024 तक कंपनी के पास कोई फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि नहीं है, तथापि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने आईसीएआर, नई दिल्ली के दिनांक 22.01.2014 के आवंटन पत्र के आधार पर लीजहोल्ड कार्यालय परिसर को मान्यता दी है, जिसके लिए कंपनी के पक्ष में कोई लीजहोल्ड समझौता निष्पादित नहीं किया गया है।
2	क्या बाध्यता/ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने की कोई मामलें हैं? यदि हां, तो इसके कारण और इनमें शामिल राशि।	ऐसे कोई मामले नहीं हैं
3	क्या तीसरे पक्ष के पास पड़ी इन्वेंट्री तथा सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदान के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों के लिए उचित रिकार्ड रखे जाते हैं।	कम्पनी में कोई इन्वेंट्री नहीं है और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए यह लागू नहीं है

ऐसे उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए, उस पर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है और कंपनी के खातों और वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है

कृते **विवेक संजय एण्ड कम्पनी**
चार्टेड एकाउंटेट्स
(फर्म रजिस्ट्रेशन न. 014189 एन)

(चार्टेड एकाउंटेट विवेक खण्डेलवाल)
पार्टनर
एम नम्बर : 519516

हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10.10.2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक डी

(हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ-3 में संदर्भित)

1	क्या कंपनी के पास सभी लेखा लेनदेन को आईटी सिस्टम के माध्यम से संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी सिस्टम के बाहर लेखा लेनदेन के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।	कंपनी के पास सभी अकाउंटिंग लेनदेन को प्रोसेस करने के लिए आईटी सिस्टम है। सभी अकाउंटिंग प्रविष्टियाँ कम्प्यूटरीकृत सिस्टम में कैप्चर की जाती हैं और सभी प्रविष्टियों के प्राधिकरण और समापन के बाद खाता तैयार किया जाता है। इसलिए, आईटी सिस्टम के बाहर अकाउंटिंग लेनदेन को प्रोसेस करने का कोई निहितार्थ नहीं है
2	क्या किसी मौजूदा ऋण पुनर्संरचित किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/ऋणों/ब्याज आदि को माफी/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब-किताब रखा जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के संविधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू है)।	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋण की पुनर्संरचना या ऋण/ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है
3	क्या केन्द्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकन/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से कोई धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) प्राप्त नहीं हुई है

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, इस पर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है तथा कंपनी के खातों और वित्तीय विवरण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

कृते **विवेक संजय एण्ड कम्पनी**
चार्टेड एकाउंटेट्स
(फर्म रजिस्ट्रेशन न. 014189 एन)

(चार्टेड एकाउंटेट विवेक खण्डेलवाल)
पार्टनर
एम नम्बर : 519516

हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10.10.2024

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार]

सेवा में,
सदस्यगण,
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड
जी-2, ए ब्लॉक, एन.ए.एस.सी. परिसर,
डी.पी.एस. मार्ग, नई दिल्ली - 110012

हमने एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (CIN U01400DL2011GOI226486) (जिसे आगे 'कंपनी' कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट व्यवहारों के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट इस तरह से किया गया था कि हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्राप्त हुआ।

(ए) कंपनी की खातों, कागजात, कार्यवृत्त विवरणिकाओं, दाखिल किए गए फॉर्म एवं रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड और सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम इसके द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष (ऑडिट अवधि) को कवर करने वाली ऑडिट अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और विषय के अनुरूप अनुपालन-तंत्र इसके बाद की गई रिपोर्टिंग की सीमा तक, तरीके से मौजूद हैं:

(बी) हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखरखाव किए गए खातों, कागजातों, कार्यवृत्त विवरणिकाओं, फॉर्म और रिटर्न तथा अन्य रिकॉर्ड की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('SCRA') और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(iii) डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारी की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं, क्योंकि कंपनी में कोई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नहीं था और कंपनी द्वारा कोई बाह्य वाणिज्यिक उधारी नहीं ली गई थी);

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित विनियम और दिशानिर्देश - (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(vi) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए, इसके अनुसरण में प्रासंगिक दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच करने पर, नमूना जांच के आधार पर, कंपनी

ने आम तौर पर प्रबंधन द्वारा पहचाने गए कंपनी के लिए विशेष रूप से लागू कानूनों का अनुपालन किया है, जिसमें आयकर अधिनियम, 1961, कॉर्पोरेट प्रशासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देश आदि शामिल हैं, जो कंपनी के लिए उनकी प्रयोज्यता की सीमा तक हैं।

(सी) हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) और सामान्य बैठकों (एसएस-2) के संबंध में सचिवीय मानक।

(ii) कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए समझौतों का सूचीकरण (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)।

(डी) समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने आम तौर पर निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

(i) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित धारा 149 के अनुसार, कंपनियों में कम से कम दो निदेशक स्वतंत्र निदेशक के रूप में होंगे, हालांकि, कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

(ii) कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की लंबित नियुक्ति और 31 मार्च, 2024 तक बोर्ड और इसकी समितियों की अनुचित संरचना के कारण, इसके बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 की संबंधित आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया है, जिससे समिति की बैठकों के लिए कोरम, स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक आदि जैसी अन्य संबद्ध आवश्यकताओं के साथ विचलन हुआ है।

(iii) डॉ. जुज्जावरपु बालाजी को 09.03.2023 से 17.08.2023 तक अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। हालाँकि, कंपनी द्वारा नियुक्ति और इस्तीफे के लिए फॉर्म डीआईआर 12 दाखिल नहीं किया गया था।

(iv) कंपनी ने कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति तैयार और अनुमोदित नहीं की है, हालांकि बोर्ड ने 29.05.2024 को नीति को मंजूरी दे दी है।

(ई) डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार :

1. बोर्ड के कम से कम एक-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, ऑडिट समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, पारिश्रमिक समिति के सभी सदस्य अंशकालिक निदेशक (अर्थात् नामांकित निदेशक या स्वतंत्र निदेशक) होने चाहिए और समिति का नेतृत्व एक स्वतंत्र निदेशक को करना चाहिए, हालाँकि, बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

2. किन्हीं दो बैठकों के बीच का समय अंतराल तीन महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि, कंपनी के रिकॉर्ड के अवलोकन पर, हमने पाया कि दिनांक 17.08.2023, 22.11.2023 और 07.03.2024 की बोर्ड बैठकों के बीच समय अंतराल 3 (तीन) महीने से अधिक है।

3. बोर्ड ने जोखिम प्रबंधन योजना को लागू करने के लिए समय-समय पर समीक्षा और उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की।

4. कंपनी अपने नए बोर्ड सदस्यों (कार्यकारी, सरकारी, नामित और स्वतंत्र) के लिए कंपनी के व्यवसाय मॉडल में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगी, जिसमें कंपनी के व्यवसाय का जोखिम प्रोफाइल, संबंधित निदेशकों की जिम्मेदारी और जिस तरह से ऐसी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाना है, शामिल है। उन्हें कॉर्पोरेट प्रशासन, व्यवसाय नैतिकता के आदर्श संहिता और संबंधित निदेशकों के लिए लागू आचरण पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। कंपनी ने नए बोर्ड सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन

के लिए 07.03.2024 को बोर्ड सदस्यों की स्वीकृति ले ली है।

(एफ) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

(i) कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है, सिवाय इसके कि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में ऊपर पैरा डी में बताया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव हुए, वे अधि नियम के प्रावधानों के अनुपालन अनुसार किए गए।

(ii) आम तौर पर बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, एजेंडा और एजेंडे पर विस्तृत नोट्स आम तौर पर कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते थे, हालांकि, कभी-कभी नोटिस और एजेंडा कागजात बोर्ड की सहमति से अल्प सूचना से भेजे जाते थे। बैठक से पहले एजेंडा आइटम पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए बोर्ड में एक प्रणाली मौजूद है।

(iii) बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों में सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं जैसा कि निदेशक मंडल या बोर्ड की समिति की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज किया गया है, जैसा भी मामला हो।

(जी) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि प्राप्त जानकारी और रखे गए रिकॉर्ड के आधार पर कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

(एच) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के अनुसरण में कंपनी के कामकाज पर असर डालने वाली कोई बड़ी गतिविधि नहीं हुई है।

इस रिपोर्ट को हमारे सम दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो अनुलग्नक ए के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

कृते वीएपी एण्ड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव
FRN: P2023UP098500
Peer Review No: 1083@2021

पारूल जैन
मैनेजिंग पार्टनर

एम. नम्बर एफ 8323
सी. पी. नम्बर 13901
यूडीआईएन : F008323F001499989

दिनांक : 09.10.2024
स्थान : गाजियाबाद

अनुलग्नक - 'ए'

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

सेवा में,
सदस्यगण,
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड
जी-2, ए ब्लॉक, एन.ए.एस.सी. परिसर
डी.पी.एस. मार्ग, नई दिल्ली - 110012

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों, सत्यापन कार्य परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और प्रथाएं हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण जांच के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
4. हमारी लेखापरीक्षा जांच केवल कंपनी द्वारा लागू कानूनों के कानूनी अनुपालन तक ही सीमित है, हमने उससे संबंधित व्यावहारिक पहलुओं की जांच नहीं की है।
5. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की सत्यता और उपयुक्तता के साथ-साथ विभिन्न प्रकटीकरणों और रिटर्न में बताए गए मूल्यों और आंकड़ों की सत्यता को सत्यापित नहीं किया है, जैसा कि कंपनी द्वारा निर्दिष्ट कानूनों के तहत प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, हालांकि हमने ऐसे रिटर्न में दी गई जानकारी पर एक निश्चित सीमा तक भरोसा किया है।
6. इस लेखापरीक्षा में कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के अनुपालन की समीक्षा नहीं की गई है, क्योंकि वे संविधानिक लेखा परीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन हैं और इस रिपोर्ट की सामग्री को कंपनी के संबंध में किसी अन्य लेखा परीक्षक/एजेंसियों/प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत/प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों, यदि कोई हो, के साथ पढ़ा जाना चाहिए, न कि अलग से।
7. आंतरिक, वित्तीय और परिचालन नियंत्रण सहित लेखापरीक्षा की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, एक अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ गलत बयानों या भौतिक गैर-अनुपालन का पता नहीं लगाया जा सकता है, भले ही लेखापरीक्षा को उचित रूप से योजनाबद्ध किया गया हो और लेखापरीक्षा प्रथाओं के अनुसार निष्पादित किया गया हो।
8. जहां भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

9. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है, न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते वीएपी एण्ड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव
FRN: P2023UP098500
Peer Review No: 1083/2021

पारूल जैन
मैनेजिंग पार्टनर
M.No. F8323
C.P. No. 13901
UDIN: F008323F001499989

दिनांक : 09.10.2024
स्थान : गाजियाबाद

कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानकों के अनुपालन पर प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड
नई दिल्ली

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मेसर्स एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (कंपनी) द्वारा भारत सरकार के भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निर्धारित कार्पोरेट गवर्नेंस निर्देश 2010 के अनुपालन के संबंध में प्रासंगिक पुस्तकों, अभिलेखों और बयानों की जांच की है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच उपरोक्त दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। हमारा प्रमाणन न तो ऑडिट है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों को छोड़कर, सार्वजनिक उद्यम विभाग के उपर्युक्त दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों की शर्तों का अनुपालन किया है:

1. बोर्ड के कम से कम एक-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, ऑडिट समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, पारिश्रमिक समिति के सभी सदस्य अंशकालिक निदेशक (अर्थात् नामांकित निदेशक या स्वतंत्र निदेशक) होने चाहिए और समिति का नेतृत्व एक स्वतंत्र निदेशक को करना चाहिए, हालाँकि, बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।
2. किन्हीं दो बैठकों के बीच का समय अंतराल तीन महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। हालाँकि, कंपनी के रिकॉर्ड को देखने पर, हमने पाया कि दिनांक 17.08.2023, 22.11.2023 और 07.03.2024 की बोर्ड बैठकों के बीच समय अंतराल 3 (तीन) महीने से अधिक है।
3. बोर्ड ने जोखिम प्रबंधन योजना को लागू करने के लिए समय-समय पर समीक्षा और उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की।
4. कंपनी अपने नए बोर्ड सदस्यों (कार्यकारी, सरकारी, नामित और स्वतंत्र) के लिए कंपनी के व्यवसाय मॉडल में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगी, जिसमें कंपनी के व्यवसाय का जोखिम प्रोफाइल, संबंधित निदेशकों की जिम्मेदारी और जिस तरह से ऐसी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाना है, शामिल है। उन्हें कॉर्पोरेट प्रशासन, व्यवसाय नैतिकता के आदर्श संहिता और संबंधित निदेशकों के लिए लागू आचरण पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। कंपनी ने नए बोर्ड सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 07.03.2024 को बोर्ड सदस्यों की स्वीकृति ले ली है।

हम आगे उल्लेख करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावशीलता की दक्षता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते वीएपी एण्ड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव
FRN: P2023UP098500
Peer Review No: 1083@2021

पारूल जैन
मैनेजिंग पार्टनर
M. No. F8323
C.P. No. 13901

दिनांक : 09.10.2024
स्थान : गाजियाबाद

महा निदेशक लेखा परीक्षा
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन), नई दिल्ली
Director General of Audit
(Agriculture, Food & Water Resources), New Delhi

सत्यमेव जयते

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

गोपनीय

रिपोर्ट/2-301/डी.जी.ए./(ए.एफ.&डब्ल्यू.आर)/A/cs/Agrinnovate/2024-25/ ५०७५

दिनांक :- ९ .12.2024

सेवा में,

निदेशक,
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड,
जी-2, ए ब्लॉक, एन.ए.एस.सी. कॉम्पलैक्स,
डी.पी.एस. मार्ग,
नई दिल्ली-110012.

विषय: **भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(b) के अंतर्गत एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां।**

महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(b) के अंतर्गत एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर शून्य टिप्पणियां। भेजी जा रही ।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें ।

भवदीया,

संलग्न: यथोपरि

सौम्या

(सौम्या परिहार)
विशेष कार्य अधिकारी,प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा, केंद्रीय व्यय(कृषि, खाद्य एंव जल संसाधन)

आठवाँ व नवाँ तल, संकाय भवन, 10 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली–110002
8th & 9th Floor, Annexe Building, 10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
दूरभाष / Phone: 011-23239419, 23239420 फैक्स / Fax: 91-11-23239416, E-mail: dgaafwr@cag.gov.in

31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 की उनकी ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार ऐसा उनके द्वारा किया गया बताया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के तहत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखा परीक्षण किया है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जाँच तक सीमित है।

पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं आई है, जिससे अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या पूरक की आवश्यकता हो।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 09.12.2024

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

हस्ताक्षरित
(सौम्या परिहार)
विशेष कार्य अधिकारी, प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक, केंद्रीय व्यय
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन)

AGRINNOVATE INDIA LIMITED

ANNUAL REPORT

(INCLUDING ANNUAL ACCOUNTS)

2023-24

Corporate Information

Board of Directors

Dr. Himanshu Pathak
(From 4th August 2022)

Shri Sanjay Garg

Dr. Ashok Dalwai

Smt. Alka Nangia Arora
(From 21st November 2022)

Dr. Neeru Bhooshan
(From 9th March 2023)

Shri Anand Mohan Awasthy

Shri G.K. Nagaraj

Chief Executive Officer
Dr. Praveen Malik

Chief Financial Officer
Mr. Rahul Kumar

Company Secretary
Ms. Dhriti Madaan

Bankers:
Central Bank of India
Udyog Bhawan, New Delhi

Canara Bank (Formerly known as Syndicate Bank)
N.A.S.C Complex, D.P.S Marg, New Delhi

Statutory Auditors
M/s Vivek Sanjay & Co.
Chartered Accountant
Pusa Road, New Delhi- 110005

Registered Office:
G-2, A Block, N.A.S.C. Complex,
DPS Marg, New Delhi -110012
Ph:-011-25842122

Published by the Chief Executive Officer, Agrinnovate India Limited (AgIn), G-2, A Block, NASC Complex, DPS Marg, New Delhi 110012.
Lasertypeset & printed at M/s Royal Offset Printers, A-89/1, Naraina Industrial Area, Phase I, New Delhi 110028.

CONTENTS

Particulars	Page No.
Company's performance at glance	1-5
Director's Report	6-31
Balance Sheet and Statement of Profit and Loss	32-54
Independent Auditor's Report	55-66
Secretarial Auditor's Report	67-73
Comptroller & Audit General of India's Comments (CAG)	74-75

डॉ हिमांशु पाठक
Dr HIMANSHU PATHAK

सत्यमेव जयते

सचिव कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग एवं
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन, नई दिल्ली 110 001
Secretary, Department of Agricultural Research
and Education (DARE)
and Director General, Indian Council of
Agricultural Research (ICAR)
Krishi Bhawan, New Delhi 110 001

MESSAGE

Indian Council of Agricultural Research (ICAR) have developed several technologies and farming practices to ensure food and nutritional security in a sustainable manner. The promotion of ICAR technologies through Agrinnovate India Limited (AgIn) has played a significant role in driving innovation and technological advancements in the agriculture. Agrinnovate India Limited plays a crucial role in bridging the gap between ICAR and end-users. These developments have paved the way for practices such as precision farming, organic farming techniques, use of bio-fertilizers and bio-pesticides, as well as smart irrigation systems initiatives not only to improve farm productivity but also to contribute to reducing input costs. Agrinnovate India Limited (AgIn) plays an important role to promote and commercialize agricultural technologies developed by ICAR. Agrinnovate India Limited ensures that technologies reach to end-users across the country by facilitating the technology transfer, licensing agreements, and partnerships with private sector companies.

I appreciate the efforts of the AgIn team for its achievements during the year by generating a gross revenue of Rs. 7.41 crores. AgIn has transferred 151 technologies to various private Companies, Public sector organizations and individual entrepreneurs including farmers during the year. AgIn has organised various promotional activities for commercialisation of technologies and to make technologies Industry ready for the faster adoption by the end-users.

I thank all the present and past Directors, Members, Dr. Praveen Malik, CEO and the entire team of Agrinnovate India limited for making AgIn more vibrant and visible. I hope that more efforts will be made to onboard national and international clients in future.

(HIMANSHU PATHAK)
CHAIRMAN

MESSAGE

Agriculture today has several challenges such as climate change, population growth, and food and nutrition security. ICAR (Indian Council of Agricultural Research) have been at the forefront for development of agricultural sector in the Country by fostering innovation. Through its extensive network of research institutes and centres across the country, ICAR conducts research on various aspects of agriculture and develops technologies to meet the challenges. Agrinnovate India Limited is a technology transfer organization that aims to bridge the gap between research institutions and the industry. It facilitates the commercialization of the innovative agricultural technologies. By promoting collaborations between scientists, farmers, and entrepreneurs, Agrinnovate India Limited plays a vital role in bringing cutting-edge solutions to the field.

Since its inception the Company has been striving hard to make its presence in the market and to support ICAR institutes in commercialisation of more and more market ready technologies to both national and international clients. Around 60 ICAR institutes have already onboarded with Agrinnovate India Limited (AgIn) and are commercialising their technologies through AgIn. I appreciate the efforts put on by the Company in onboarding the institutes and transferring technologies and these efforts will be continued to onboard the remaining institutes and the SAUs as well.

I congratulate the Company's management, present and past Directors for excellent performance and appreciate the efforts of the team in bringing together the gist of all activities and promotions undertaken by them during 2023-24 in the Annual Report. I also wish them all the best in their future endeavors.

(SANJAY GARG)
VICE CHAIRMAN, AgIn

AGRINNOVATE
INDIA
LIMITED

AGRINNOVATE AT A GLANCE

(During the period under Report)

Agrinnovate India Limited (AgIn), a Government of India enterprise, is steadily moving towards meeting its objective of stimulating and fostering innovations in agriculture and building 'A world of Innovative Partnerships'. It works as an important interface between the research institutes and the Agri-industry and promotes technology commercialisation through licensing for domestic and international clients. The Company has significantly increased its gross revenue during the period under report. With standardized protocols, AgIn has helped several ICAR institution, Industry and farmers as end stakeholders by transferring around transfer 151 technologies to various private Companies, Public sector organizations and individual entrepreneurs including farmers at a gross Revenue of Rs. 7.41 crores (excluding taxes).

The Guidelines for commercialization of technologies developed under ICAR and Institutions under the National Agricultural Research System (NARS) have been harmonized with AgIn thereby widening the scope for commercialization cutting across displines /sectors. Agrinnovate India Limited is now in a certain position to take advantage of the new opportunities for enhancing and catalysing innovation and capacity driven agricultural development through partnerships.

Progress report of Agrinnovate India Ltd.:

Of the total 98 research institutes of ICAR, only 62 institutes are on boarded with AgIn; while 39 institutes are still commercializing their technologies at institute level. These 62 institutes have assigned a total of 735 technologies out of which 164 technologies have been successfully commercialized to local, national and multinational industries. Besides, 3 technologies from 5 SAUs onboarded with AgIn have also been licensed to the industry clients. A summary of number of institutes, technologies assigned and commercialized since inception, SMD wise is given hereunder. (Table I).

Name of the Division/ SMD	Total Institutes/SAUs	Institutes on-boarded	Institutes not on-boarded	Technologies assigned till 31.03.23	Technologies Licensed till 31.03.23	Technologies assigned during 2023-24	Technologies licensed during 2023-24 *(techs assigned in 2023-24)*	TLAs executed in 2023-24 *(total no of techs including the techs licensed many times)*
Agricultural Engineering	5	5	0	75	4	14	0	0
Animal Science	19	16	3	165	39	31	24 (12)	15 (24)
Crop Science	28	19	9	193	50	66	30 (12)	35 (39)
Fisheries Science	8	6	2	65	15	5	2 (0)	2 (2)
Horticulture Science	23	12	11	97	49	5	22 (1)	57 (76)
Natural Resource Management	15	4	11	19	7	0	4 (0)	4 (4)
Sub Total	98	62	36	614	164	121	82 (25)	113 (136)
State Agricultural Universities (SAU's)	63	5	58	3	2	3	1 (0)	1 (1)
Grand Total	161	67	94	617	166	124	82 (25)	114 (137)

During 2023-24 a total 114 TLAs for 151 technologies have been executed fetching a total revenue of Rs. 7.41 crores Plus GST. These technologies emerged form crop science (31%), dairy and veterinary sciences (15.8%), horticulture (51%) and fisheries (1.3%). (Fig I)

SECTOR-WISE COMMERCILISATION AND REVENUE GENERATED FROM LICENSING OF TECHNOLOGIES (IN LAKHS)

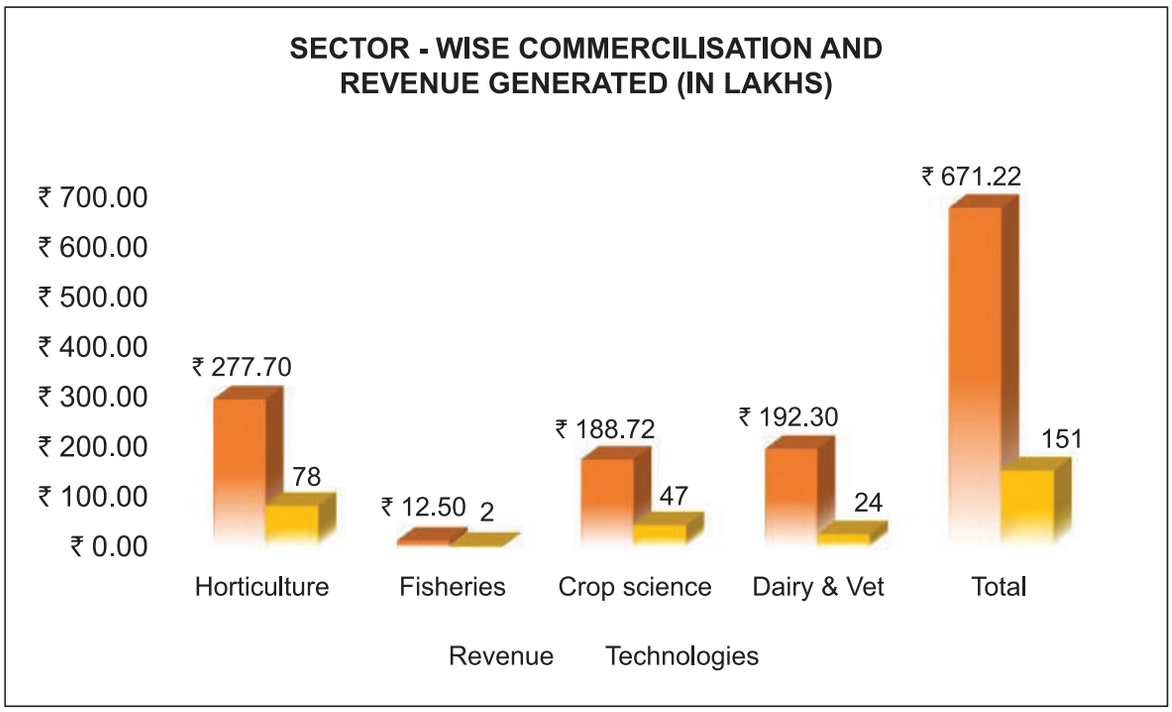

Fig I-Sector wise commercialisation and revenue generated from licensing of technologies for the Financial year 2023-24.

Business Development Activities

Constant and continuous efforts by CEO, AgIn and team resulted in widely expanding the business opportunities for the Company and nearly 600+ technologies from 61 institutes and 5 universities have been added to the list of technologies ready for commercialization through Agrinnovate.

Selected success stories of Agritech transfers through Agrinnovate India Limited:

1. ICAR-CPRI Kufri FryoM

In India, the processing industries are paying huge royalties for using the exotic processing potato varieties for making French fries. Alternatively, ICAR-CPRI, Shimla has developed 'Kufri FryoM' an early maturing, main season, high yielding processing potato variety suitable for cultivation in North West and central plains or similar agro-ecologies. It offers field resistance to late blight, possesses very good keeping quality, moderate tuber dry matter (20%) and low reducing sugar (<150 mg/100). The variety yields 30-35 t/ha and >80% processing grade tubers.

The variety will offer the profitable business opportunities in domestic and international processing markets. So far, the technology has been licensed to 15 different public/private industries on non-exclusive basis across the country and successfully catering the processing requirement of the industry. There is huge demand for processing potato varieties in India and enthusiastic clients can approach Agrinnovate India for its licensing and take the advantage of K. FryoM to cater the market demand.

2. ICAR-IARI HT trait donor rice genotype technology

In current scenario, rice cultivation practices are progressively shifted from irrigated transplantation to direct seeded rice (DSR) which is also vulnerable to weeds problems causing significant losses. Although the use of herbicides is most effective & economical viable method to control the weeds. Therefore, development of herbicide-tolerant (HT) rice is essential for broadening the compatible herbicide spectrum in rice.

Keeping the above in view; ICAR-IARI, New Delhi in collaboration with other network ICAR institutes/University have developed a 'non-GM herbicide tolerant rice genotype' possessing tolerance to Imazethapyr 10% SL (100g a.i) by using an Ethyl Methane Sulphonate induced herbicide tolerant rice mutant (Robin), as donor parent through molecular marker assisted backcross breeding. The non-GM herbicide tolerant rice genotypes tolerant to Imazethapyr 10% SL (100g a.i.), in elite rice background, enable the transfer of HT trait into other rice proprietary/ genotypes/background of the interested industry/licensee for development of non-GM HT rice genotypes. Till now, the technology has been successfully transferred to three industries in the countries who are now successfully

introgressing HT into their own background and very soon release the herbicide tolerant rice verities and make them readily available to the farmers. The technology offers huge commercial opportunities to other enthusiastic entrepreneurs who can approach Agrinnovate India for obtaining its license.

3. TILHAN TECH - ICH-5 Castor Hybrid: A Boon for Castor Cultivation

Castor crop is ideally suited from times immemorial to the rainfed agro ecosystem. Considering its resilience to harsh climatic conditions, low input requirement, ease of management, castor plays an important role in the livelihood of small holder agriculture in the rainfed ecosystems of the country. The country is the global leader in castor production and exports with Gujarat and Rajasthan contributing to the majority of the above. However, with the recent dynamics of the changing climatic scenario, the impetus on developing suitable genotypes for the rainfed ecosystem was warranted on demand driven approach. In this direction, ICH-5 was developed by ICAR-Indian Institute of Oilseeds Research, Hyderabad and was notified by CVRC in December, 2021, (Gazette Notification S.O.8 (E) dated 24.12.2021) for cultivation in the states of Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, Odisha and Maharashtra. ICH-5 has recorded mean seed yield of 1671 kg ha^{-1} under rainfed cultivation in AICRP-castor trials (2018-21), which was 15-21% higher over the existing hybrids (national check, GCH-8: 1378 kg/ha, zonal check, ICH-66: 1521 kg/ha) in the recommended states. It has also recorded higher test weight (>30 g per 100 seeds) under rainfed cultivation. The performance of the hybrid has been highly appreciated by the farmers in Andhra Pradesh, Telangana and Karnataka, during kharif, 2023, due to its drought tolerance and yielding ability despite 35-55 days of dry spell during the season. The hybrid has seed yield potential of 2000-4000 kg ha^{-1} under drip irrigation for the crop duration of 6-8 months. Considering its potential and farmer's feedback, Rayalaseema Agri Producer Company Limited (RAPC) has secured the licence for its hybrid seed production and marketing, through a tripartite agreement between ICAR-IIOR, RAPC and Agrinnovate India Ltd. (AgIn). Participation of private sector helps in castor area expansion, increasing productivity of castor cultivation and thereby farmers income in the above states.

4. ICAR-IISR Bio-capsules

ICAR-IISR Bio-capsules are designed for the encapsulation of agriculturally important microorganisms in a gelatin capsule, providing an efficient and user-friendly solution without the need for sophisticated equipment or specialized conditions. These bio-capsules produce no harmful byproducts and can be conveniently stored at room temperature for up to 18 months. The technology has been successfully commercialized to nine companies, demonstrating its effectiveness and industry acceptance.

5. ICAR-CIRB Prega-D

The urine-based pregnancy diagnosis kit utilizes a thermophilic biochemical color reaction to detect metabolites influenced by embryonic growth. This non-invasive process eliminates the need for refrigeration, ensuring ease of use and storage. The technology has been successfully transferred to the industry, fostering a Public-Private Partnership (PPP) to enhance its Technology Readiness Level (TRL).

(Praveen Malik)
Chief Executive officer

DIRECTORS' REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2023-2024

To,
The Members,
Agrinnovate India Limited

Your directors have pleasure in presenting their Thirteenth Annual Report on the business and operations of the company together with the Audited Statement of Accounts for the year ended 31st March 2024.

Financial Highlights (Standalone and Consolidated)

During the year under review, performance of your company as under:

(Rs in Hundreds)

S. No.	Particulars	2023-24	2022-23
1	Revenue from Operation	7,40,457	10,01,960
2	Other Income	6,40,220	4,62,632
3	Total Expenses	7,44,887	9,93,562
4	Gross Profit	6,35,790	4,71,030
5	Provision for Tax	1,58,235	1,19,784
6	Net Profit After Tax	4,74,117	3,51,247

The balance sheet as at 31st March 2024 and Statement of Profit and Loss for the year ending 31st March 2024 of the Company has been prepared and the same is placed for approval.

Summary of Operations

The Company has achieved Revenue from operations of Rs. 7.41 crores as against Rs. 10.01 crores in the previous Financial Year 2022-23. The Depreciation has registered during the Current Year at Rs 0.02 crores as against 0.03 crores for the previous year 2022-23. In the financial year 2023-24 the Company has earned Net Profit of Rs. 4.71 crores as against Net Profit of Rs. 3.51 crores in Financial Year 2022-23. The revenue per business manager revised from Rs. 250.49 lacs to Rs. 246.82 lacs in the financial year 2023-24.

State of Company's Affairs

The company has been actively involved in transferring technologies from across different ICAR research institutes and State Agricultural Universities, promoting technologies, creating awareness about technologies available with the organization to different stakeholders.

Important Technologies Transferred

During the year under review the Company has been able to transfer 151 technologies to various private Companies, Public sector organizations and individual entrepreneurs including farmers at a gross Revenue of Rs. 7.41 crores (excluding taxes).

Out of the 151 technologies Commercialized, the high value technologies with significant market influence and demand includes,

S. No.	Name of Technology & Institute	No. of Clients	Amount excluding taxes (in Lacs)
1	H T Trait	1	30
2	Aeroponic Technology	3	36.75
3	Sambha Masuri	1	10
4	Tv, PF, PC, Th	2	20
5	Biocapsule	2	20
6	STFR	2	20
7	Indirect Elisa for AIV	1	12.50
8	Pregnacy Diagnosis Kit	1	15
9	9 Technologies Kits	1	32.30
10	IBD for Chicken	1	17.50
11	PPR and Goat Pox Combined Vaccine	1	65
12	Live attenuated vaccine sheeppox	1	12.50
13	VL Vita, VL QPM Hybrid 45	1	10
14	Arka Banana Special, Arka vegetable, Arka mango Special	1	11
	Total	19	312.55

2. In the financial year 2023-24, 68 Techno Commercial Assessment Meetings were held out of which 6 meetings were held in physical with the following institutes:

S. No.	Name of the Institute	Date of the meeting
1	ICAR- Central Institute of Fisheries Education	09.05.2023
2	ICAR-Indian Institute of Vegetable Research, Varanasi, U.P.	18.05.2023
3	ICAR-Indian Institute of Wheat and Barley Research, Karnal	15.06.2023
4	SVPUAT, Meerut	11.08.2023
5	ICAR- National Dairy Research Institute, Karnal	28.08.2023
6	ICAR- Central Institute for Research on Buffaloes, Hisar, Haryana	01.03.2024

AgIn's promotional activities

Constant and continuous efforts by AgIn CEO and team resulted in expanding business opportunities for the company and in turn reaching breakeven point for the first time since the inception of the Company. The major highlights for the financial year 2023-24 are as follows: -

2ND AWARENESS MEETING ON SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

2nd Awareness programme on Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, prohibition and redressal) Act, 2013 was organized for the IC Committee Members and the employees of Agrinnovate India Limited on 16th January 2024.

The programme aimed on the following issues: -

1. An awareness of the POSH Act.
2. Laws governing the Sexual Harassment
3. Awareness on the acts which may constitute sexual harassment
4. Awareness on the acts which does not constitute sexual harassment
5. Behavior of employees while in workplace and outside
6. Responsibility of employees
7. Responsibilities of the employer
8. Rights available to women under this Act.
9. Procedure for filing complaints
10. Procedure for Enquiry
11. Punishment for Sexual Harassment
12. Consequences for false complaints
13. Awareness about the IC Committee etc.

REGIONAL STAKEHOLDER CONSULTATION MEETINGS:

CEO, AgIn along with the Business Team organized/participated in various Regional Stakeholder Consultations meets which includes: -

- **Organized Regional Industry stakeholder meet in collaboration with ICAR**-CITH on 25th-26th October,2023 for potential entrepreneur at Sher-e-Kashmir University of Agricultural Science & Technology (SKUAST-K), Srinagar.
- ICAR-Stakeholder Consultation regional meet at ICAR-DOGR on 20th to 22nd December,2023 (ICAR-DOGR and AgIn)
- ICAR-Stakeholder Consultation regional meet at ICAR-VPKAS on 30th -31st Jan,2024 (ICAR-VPKAS)
- ICAR-Stakeholder Consultation regional meet at ICAR-IIOR on 12th Feb,2024 (ICAR-IIOR) at Hyderabad to showcase oilseed crop varieties, biopesticides and value-added products. This event featured an interactive session on enhancing oilseed production through model farms. One-on-one discussions between the innovators and industry stakeholders focused on technology benefits and agreement options. Industry perspectives on oilseed production, protection, quality and export were also addressed.
- The Forage Technology Exhibition cum Industry meet was held by ICAR-IGFRI in collaboration with IP&TM and Agrinnovate India limited on 12-13 February 2024 in Jhansi. The Event showcased forage technology advancements and facilitated discussions between researchers, industry professionals and policymakers. In also sought stategic partners for licensing over 250 forage crop varieties.

Besides, more than 20 awareness meetings were held both physical and virtual with various ICAR institutes and Universities to explain the mechanism for valuation and process of Commercialization.

Several august bodies also invited AgIn as an expert for policy deliberations, collaborations and capacity building activities. These include: -

- CEO AgIn was bestowed with the prestigious Dr PG Pandey Oration Award at Palampur and delivered the Dr. PG Pandey Memorial Oration award lecture. He also participated in IAVMICON23, Palampur and chaired a session (07-08 Apr 2023).
- Addressed the Thematic Session on Lessons on technology delivery to farmers and the entrepreneurs on the topic 'framework for collaboration to strengthen tech led interventions delivering innovations as well as state-of-art products and services to farmers' organized by CII. (20th April 2023)
- Attended the DBT Meeting as lead discussant on -Interdisciplinary Group of Experts for 'Bovine Sexed Semen Sorting Technology' (21st April 2023).
- Invited as an Outside Expert in the Assessment Committee constituted to consider suitability of a teacher for advancement/ promotion as Professor/ Equiv.in discipline of Veterinary Microbiology LUVAS- CAS meeting at Hisar, Haryana. (2nd May 2023).
- Attended the WOAH's Virtual consultation meeting on PPP implementation in the PVS Pathway. (3-4th May 2023)
- Invited for guest lecture on "Prevention of Lumpy Skin Diseases" on the occasion of World Veterinary Day at Dehradun, Uttarakhand (15-16 May 2023).
- Invited as an Expert in the Brainstorming Session on Enhancing Agri-Infrastructure and Agri-Business Development through Public-Private Partnerships (PPPs) organized by The National Academy of Agricultural Sciences (NAAS)- (25TH May 2023).
- Attended a pre convocation brainstorming session of NAVS (I) on Livestock Health at GADVASU, Ludhiana. (1-2nd June 2023).
- Participated as an expert in the 3rd EC Meeting for performance evaluation and review of the ongoing & completed projects and 2nd level screening of new project proposals received under Strengthening, Up-scaling & Nurturing Innovations for Livelihood (SUNIL) programme of Science for Equity Empowerment and Development (SEED) division, organized by Department of Science & Technology (DST), Govt. of India at Manav Rachna University Faridabad, Haryana. - (5th June 2023)
- Invited to address the Scientist Probationers on 'Technology Commercialization through Agrinnovate India" at the 112th FOCARS programme at ICAR-NAARM, Hyderabad. (28th June 2023)
- Attended as the Chairperson the session on Regulatory Framework for Animal Health Drugs and Biologicals in National Seminar and Workshop on Disease Mitigation & Farm Productivity organized by Indian Federation of Animal Health Companies (INFAH) at India Habitat Centre New Delhi. - (14th July 2023).
- Organized 1st Advisory Committee Meeting of Agrinnovate India Ltd. (20th July 2023).
- Invited as a GUEST OF HONOUR & Eminent CHAIR in 2nd India Animal Health Summit & Awards at Holiday Inn, Aero city, New Delhi. (26th July 2023).
- Convened a discussion on One Health & Agroecology Project/ GIZ on issues like implementation of one health strategies through proposed project in context of Agro-ecology with authorities of Indo German Bio-diversity programme, GIZ, commissioned by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development. (BMZ) (1st August 2023).
- Invited by M.S. Swaminathan Research Foundation (MSSRF), Chennai for the International

Conference titled 'Mighty Millets for Food, Nutritional and Health Security' to be held at MSSRF, Chennai. (5th-7th August 2023)

- Invited as Panelist in the 64th National Symposium 2023 "Livestock Sector - Looking Beyond the Present" being held on August 18th-19th, 2023 at Hotel Le Meridien, New Delhi for presentation/ discussion on "Challenges of Feed Security: Bridging the Demand and Supply Gap". (19th August 2023)
- Attended the Regional Stakeholder Consultation in South Asia region-ILRI South Asia organized by ILRI South Asia. (24th August 2023) to Review the achievements and lessons in the region, Identified key issues and opportunities in relation to livestock, climate, and food systems within the regional and national context, Recommended priorities and interventions that ILRI and its partners should consider moving forward, Understand how ILRI can better engage and work with end-users to ensure the uptake and relevance of its research and provided the insights on research achievements in ICAR institutes and requirements in animal husbandry sector. (24th August 2023).
- Attended second meeting of National Advisory Committee for animal husbandry and dairying sector under the Chairmanship of Hon'ble Minister (FAHD). (29th August 2023).
- Attended and represented 13th meeting of Institute Technology Management Committee (ITMC)_IIVR, Varanasi. (29th August 2023)
- Invited to attend the Inaugural of the National Conclave on 'Unleashing the potential of AgriTech for the benefits of farmers organized by The Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India in partnership with CII, FICCI & PHDCCI. Also, attended the Breakout Session on Strengthening Startup Incubation ecosystem to translate innovative ideas to real solutions for farmers'. (31st August 2023)
- Attended Technical Session on "Growth and Challenges of Indian Seed Industry" at NAAS, NASC Complex (National Seed Association of India). (4th September 2023)
- Invited to attend the inaugural ceremony of Global Symposium on Farmers Rights organized by Food and Agriculture Organization, Rome hosted by Ministry of Agriculture, Govt. of India for the First Global Symposium on Farmers Rights. (12th-15th September 2023)
- Invited as Chief Guest in the valedictory function of Training programme Hands on training on Artificial Insemination in Goats at ICAR-Central Institute for Research on Goats, Makhdoom, U.P. (15th September 2023)
- Participated in the meeting of the expert committee on High risk pathogen lab Network (BSL Network) in the O/o PSA. (25th September 2023)
- Attended completion project review meeting of DBT completed project – MyDAN (DBT Network programme on Bovine Tuberculosis control: Mycobacterial diseases in animals network (MYDAN) programme). (25th September 2023)
- Participated in the "PVS Evaluation Follow-Up Mission with Rabies-Specific Content in Indonesia" as WOAH (OIE) trainee expert at Jakarta, Indonesia. (2nd-13th October 2023)
- He participated in the "PVS Evaluation Follow-Up Mission with Rabies-Specific Content in Indonesia" as WOAH (OIE) trainee expert at Jakarta, Indonesia. (16th-20th October 2023)
- Participated in the Panel Discussion on way forward to reduce impacts of animal-bird—Ocean life human conflicts to reduce disease transmission and increase survivability of both species in the online National Conference on One Health initiative on animal human conflict and its impact on transmission of diseases of public health importance, environment & survivability. (4th November 2023).

- Invited to attend the roundtable discussion organized by World Bank on biodiversity and its ecological and economic significance. The roundtable was expected to deliberate on the current challenges and priorities relating to biodiversity, including sectors such as agriculture and livestock. (10th November 2023).
- Invited as PVS Expert for PPP Targeted Support in Sri Lanka. (5th-7th December 2023)
- Eminent Panelist in the Krishi Jagran_Millionaire Farmers of India Awards 2023 (MFOI 2023) at IARI Mela Ground, New Delhi. (8th December 2023)
- Delivered a talk on the Topic "Role and Importance of Tech-transfer/ Commercialization and PPP in Agriculture &allied sectors and Agrinnovate Initiatives" during the Faculty Training on "AgriTech Fusion: Unleashing Innovations through Tech Transfer, Commercialization, and IP Strategies - Learn from Agrinnovate and BIRAC Success" at the University of Agricultural Sciences, Dharwad. (18th-19th December 2023).
- Attended Technology exhibition during camel show at NRC on Camel, Bikaner, Rajasthan and had discussion on Technology Transfer with Scientists and staff of NRC on Camel, IIPR, and CAZRI, Bikaner. (12th-15th January 2024).
- Attended International Conference on One Health Initiative: Harmonizing Human, Animal and Environmental Health (OHI-2023) at GLA University, Mathura as Plenary Speaker during the inaugural session and also Chaired the Technical Session on One Health for Food Safety, Food Security, and Sustainable Food Production. (18th January 2024).
- Delivered a lecture on the topic "Market Analysis and Value Preposition of Technology" in the Three-day Sensitization/awareness programme of In-charges of ITMUs/ZTMCs 'SRIJAN: Empowering ITMUs/ZTMCs of ICAR Institutes'. (19th January 2024).
- Attended PRMC meeting to discuss the extension for the 'Transforming Deep Sciences into Impactful Innovations for India' under "Accelerating Translation of Research and Commercialization of Technologies in Life Science" ATRACT Life Program at C-CAMP supported by PSA Office. (23rd January 2024).
- Distinguished Panelist in the Consultation Workshop organized by NSFI- a not for profit organization working towards enterprise promotion in Farm and Non-Farm Sectors; climate change, renewable energy, agriculture and livelihood generation. Recognizing the twin needs of supporting the aspiring agricultural graduates in their entrepreneurial journey and support existing startups in their last mile performance, NSFI, Agricultural Skill Council of India and Medha got together to pilot and scale YouthScape a programme that offers fellowship to agri graduates and supports them through entrepreneurship development and placing them in Startups towards a win-win outcome. The fellowship is expected to support the Startups in their last mile delivery of goods and services. (06th February 2024).
- Invited as a Guest of Honour in the Industry and Entrepreneurs Meet and Interaction with Primary Stakeholder on "Potentials of Jute and allied fibre crops and Promotion of Jute based Products" organized by ICAR-Central Research Institute for Jute and Allied Fibres (CRIJAF), Barrackpore. (08th February 2024).
- Delivered a talk in the international symposium on "Animal virus, vaccines and immunity' (AVVI 2024) at the Institute of Veterinary Science & Animal Husbandry (IVSAH) under Siksha O Anusandhan (SOA), deemed to be university, Bhubaneswar on the topic 'One Health implementation in current climate change scenario'. (09th February 2024).
- Invited as a Special Guest at the Forage Technology Exhibition cum Industry Meet organized by ICAR-Indian Grassland and Fodder Research Institute in association with IP&TM Unit ICAR and Agrinnovate India Ltd at Jhansi. (12th February 2024)

- Invited to share valuable thoughts on the topic "Market Analysis and Value Preposition of Technology" in the three-day Sensitization/awareness programme of In-charges of ITMUs/ZTMCs to enhance the capacity building by empowering the ITMUs/ZTMCs 'SRIJAN: Empowering ITMUs/ZTMCs of ICAR Institutes' (Second Batch). (14th February 2024)
- **Invited as a Guest Speaker** at a Workshop on Innovation, Technology Readiness Level (TRL) and Technology Transfer at BITS, Pilani, Pilani Campus. (28th February, 2024).
- Attended an Event (NUCLEUS 1.0, The Tech Show) as a panelist and jury member where a group of school and college students showcased their innovative prototypes. (29th February, 2024).
- Invited as a panelist in the Bangalore Chamber of Industry and Commerce (BCCI) Agro and Food Processing Expert Committee. (4th March, 2024).
- Invited as a Panelist cum Moderator to discuss "Animal disease early warning and emergency preparedness" in the Multisectoral Experts Workshop on Animal Health with One Health approach (MSEW-AH-OH) organized by Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in alignment with the Global Health Security Program of USAID. (14th March, 2024).
- Participated as an Expert in the NAAS-Expert Consultation on "Smart Animal Farming: Perspective Planning towards 5 Trillion Economy". (22nd March, 2024).
- Attended an online meeting organized by ICAR-NIFMD, Bhubaneswar regarding the change of FMDV serotype (Technical aspect of the vaccine strain from current strain A IND 40/2000 to the proposed A IND 27/2011). (27th March 2024)

Revenue contribution through technology commercialization

During the year 2023-24, AgIn effectively handheld several ICAR institutions and helped transfer a total of 151 technologies earning a gross revenue of Rs 7.41 crores (including royalty). These technologies emerged form crop science (31%), dairy and veterinary sciences (15.8%), horticulture (51%) and fisheries (1.3%).

SECTOR-WISE COMMERCILISATION AND REVENUE GENERATED FROM LICENSING OF TECHNOLOGIES (IN LAKHS)

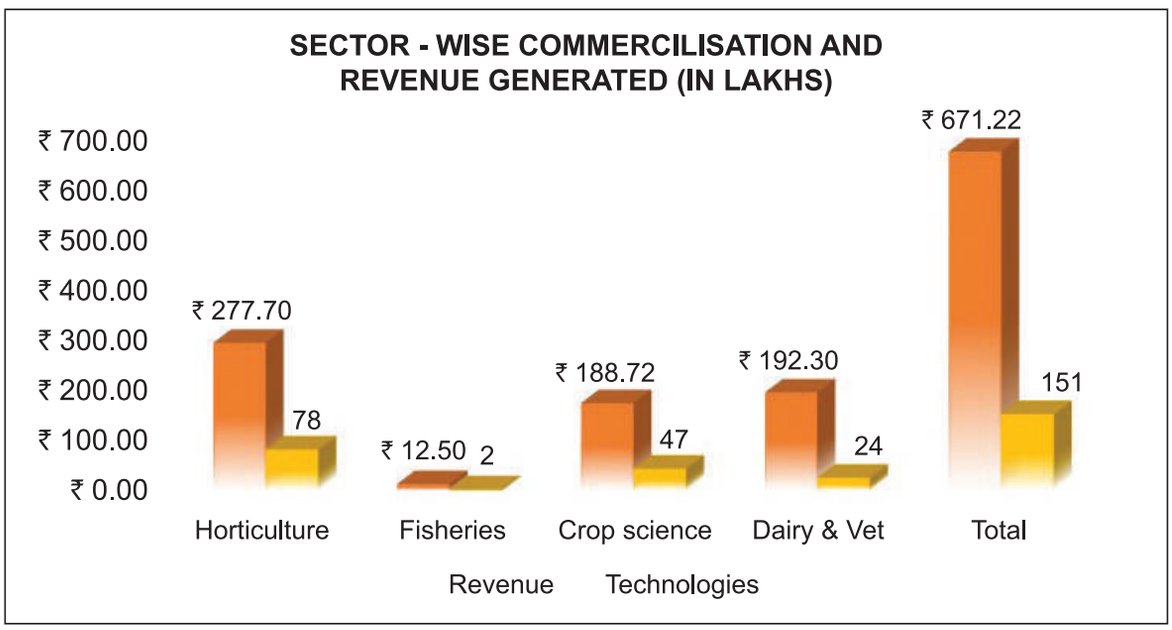

Effort is being made by AgIn to include more ICAR institutes and thus expand the technology base for commercialization, as a result AgIn has been assigned with around 600+ technologies available for licensing from 62 institutes and 5 SAUs.

Web address of the Company

The Annual Return of the Company referred to in the sub section (3) of section 92 will be placed at www.agrinnovateindia.co.in

Dividend

The board of directors recommended dividend @ 30% of PAT i.e. Rs. 1.42 crores for the year under consideration.

Amounts Transferred to Reserves

The Board of the Company proposes to carry Rs. 30.86 crores to its reserves.

Details of Directors and Key Managerial Personnel

The details of Directors/Key Managerial Personnel (KMP) appointed or ceased during the financial year 2023-24 and appointed or ceased after the end of the year and upto the date of the report is given below: -

S. No.	Name of Director/KMPs	Designation	Date of Appointment	Date of Cessation
1.	Dr. Himanshu Pathak, Secretary, DARE & DG, ICAR	Chairman	04.08.2022	-
2.	Shri Sanjay Garg, Additional Secretary, DARE and Secretary, ICAR	Vice-Chairman	02.09.2021	-
3.	Smt. Alka Arora Additional Secretary, DARE and Financial Advisor, ICAR	Director	21.11.2022	
4.	Dr. Ashok Dalwai, Nominee from the Department of Agriculture & Cooperation	Director	21.12.2016	11.08.2024*
5.	Dr. Jujjavarapu Balaji, Joint Secretary, Marine Fisheries, Department of Fisheries, Govt. of India	Additional Director	09.03.2023	17.08.2023
6.	Dr. Neeru Bhooshan, ADG (IP & TM)	Director	09.03.2023	-
7.	Shri Anand Mohan Awasthy, Non-Government Director	Director	25.02.2022	-
8.	Shri G.K Nagaraj, Non-Government Director	Director	25.02.2022	-
9.	Dr. Praveen Malik	Chief Executive Officer	22.09.2022	-
10.	Mr. Rahul Kumar	Chief Financial Officer	21.07.2022	-
11.	Ms. Dhriti Madaan	Company Secretary	18.09.2018	-

**Resigned in the Financial year 2024-25 on 11th August 2024*

Number of Board Meetings

During the Financial Year 2023-24, following five meetings of the Board of Directors of the company were held, details of which are given below:

Date of the meeting	No. of Directors attended the meeting
26.04.2023	5
12.07.2023	6
17.08.2023	6
22.11.2023	5
07.03.2024	5

Report of Compliance with the Guidelines on Corporate Governance

In compliance with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises 2010 issued by Department of Public Enterprises (DPE), the Company's Report on compliance with the Corporate Governance is prepared and annexed with the Board's Report for the Financial year 2023-24.

Déclaration by Independent Directors

Declaration from Independent Directors shall be taken as and when they are appointed and the same shall be disclosed in the Director's Report.

Extract of Annual Return

Pursuant to section 92(3) read with section 134(3)(a) of the Companies Act, 2013 ('the Act'), the annual return as on March 31, 2024 will be placed on the website of the Company. (www.agrinnovateindia.co.in).

Statutory Auditors, their Report and Notes to Financial Statements

M/s. Vivek Sanjay & Co., Chartered Accountants had been appointed as Statutory Auditors of the Company for the F.Y. 2023-24. M/s. Jagdish Chand & Co., Chartered Accountants, Noida, Uttar Pradesh was appointed as Internal Auditors of the Company for the year 2023-24.

The report of the Statutory Auditors along with notes to Schedules is enclosed to this report.

The Observations of M/s. Vivek Sanjay & Co., Chartered Accountants, Statutory Auditors of the Company for the financial year 2023-24 is as under: -

1. During the year under review, the Company failed to recognize revenue with respect to Royalty as per accounting principles generally accepted in India. The company has no proper records in respect of royalty clause in technology license agreement with the different parties. Company does not exercise control over the units manufactured / sold by the parties using the technology transferred to them on the basis of which royalty to be charged. We are unable to quantify the amount of royalty receivable due to insufficient audit evidences. This has resulted in under-statement of profit by the royalty receivable for the year under audit.

2. During the year under review, the Company failed to reconcile GST Input credit with GST input claimed through returns filed under Goods and Service Tax Act, 2017. The company has shown un-reconciled balance of GST Input credit of Rs. 25,65,286/- in Note 10 of Balance Sheet. The treatment of GST input credit is not definite due to lack of information whether company can claim this input credit or not as per provisions of GST Act. This has resulted in over-statement of current assets in Balance Sheet as at 31 March,2024.

3. The company is providing services of marketing of technology developed by different Institutes. As per AS 9 the revenue from transfer of technology under an agreement should be recognized in the Statement of Profit and Loss only when the rendering of services under a contact is completed or substantially completed. The company as a practice recognizing revenue on the basis of receipt of advance. As per technology transfer agreement, the date of transfer of technology is w.e.f. date of signing of Technology transfer agreement. Whereas the company is recognizing revenue before completion of contact which is against the accounting principles. During the year, the company has recognized revenue of Rs. 49,50,000/- for which agreement for transfer of technology executed in next financial year i.e. 2024-25. This has resulted in over- statement of profit by Rs. 49,50,000/- for the year under audit.

4. The company has shown Other Payables of Rs. 41,500/-, Sharing of License fee – ICAR of Rs. 2,87,57,505/- and Sharing of License fee – Institutes of Rs. 5,07,73,657/- in Note no. 5 of Balance Sheet for which we have not received any third party confirmation, therefore we are unable to comment on such balances.

The comments/ clarifications on the above-mentioned Audit observations has been provided by the Company and further the notes to accounts are self- explanatory and there is no need to give any further remarks.

Further, Pursuant to Section 394(1) read with Section 143 (5) of the Companies Act, 2013, the Auditors of a Government Company shall be appointed or reappointed by the Comptroller and Auditor General (C&AG) of India and their remuneration has to be fixed by the Company in the Annual General Meeting.

Details in respect of Fraud reported by Auditors under sub section (12) of Section 143

M/s Vivek Sanjay & Co., Chartered Accountants, Statutory Auditors of the Company have reported that no fraud has taken place in the Company during the Financial Year 2023-24.

Secretarial Audit Report

In terms of Section 204 of the Act and Rules made there under, M/s VAP & Associates, Company Secretaries, Ghaziabad, have been appointed Secretarial Auditors of the Company. The report of the Secretarial Auditors is enclosed with this report.

The Secretarial Auditor has given few observations in their report such as appointment of Independent Director and compliances related to DPE.

With reference to Secretarial Auditor's remarks, directors would like to state that it has been commented that Pursuant to section 149 and Rule 4 of Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, the company has not yet appointed any Independent Director. In this regard, the Directors would like to state that the Company is in the process of appointment of Independent Directors with Department of Public Enterprises (DPE).

Apart from the above, the management is working on and implementing the guidelines issued by DPE. The other observations are noted for future compliance.

Particulars of Contracts or Arrangements with Related Parties

The Company has not entered into any contracts or arrangements with related parties referred to in Section 188(1) of the Companies Act 2013 for the Financial Year 2023-24.

Material Changes Affecting the Financial Position of the Company

There have been no material changes and commitments affecting the financial position of the Company between the end of the financial year and the date of the report.

Details of significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future

There have been no significant or material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operation between the end of the financial year and date of the report.

Audit Committee

The Audit Committee comprises of the following members:

a. Dr Ashok Dalwai- Chairman

b. Smt. Alka Arora- Member

c. Dr. Neeru Bhooshan – Member

d. Shri Anand Mohan Awasthy- Member

The Audit Committee shall have an oversight of the Company's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible; review with the management, the annual financial statements before submission to the Board for approval; review the adequacy of internal audit function, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure, coverage and frequency of internal audit; have discussion with Internal Auditors, any significant findings and follow up thereon, etc.

Nomination & Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee comprising of

1. Dr. Ashok Dalwai- Chairman
2. Dr. Neeru Bhooshan- Member
3. Shri G.K Nagaraj - Member

The Nomination and Remuneration Committee has been entrusted with the responsibility to formulate criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a director and recommend to the board a policy, relating to the remuneration for the directors, key managerial personnel, and other employees; to ensure that level and composition of remuneration is reasonable and sufficient, relationship of remuneration to performance is clear and meets performance benchmarks, and involves a balance between fixed and incentive pay; To carry out evaluation of every director's performance and recommend to the board his/her appointment and removal based on the performance, etc.

Particulars of Loan, Guarantees and Investments under Section 186:

Details of Loans:

S. No.	Date of making loan	Details of Borrower	Amount	Purpose for which the loan is to be utilized by the recipient	Time period for which it is given	Date of BR	Date of SR (if reqd)	Rate of Interest	Security
				NIL					

Details of Investments:

S. No.	Date of investment	Details of Investee	Amount	Purpose for which the proceeds from investment is proposed to be utilized by the recipient	Date of BR	Date of SR (if reqd)	Expected rate of return
			NIL				

Details of Guarantee / Security Provided:

S. No.	Date of providing security/ guarantee	Details of recipient	Amount	Purpose for which the security/guarantee is proposed to be utilized by the recipient	Date of BR	Date of SR (if any)	Commission
			NIL				

Conservation of Energy, Technology, Absorption, Foreign Exchange Earnings and Outgo. The details of Energy, Technology, Absorption, Foreign Exchange Earnings and Outgo are as under:

Conservation of Energy:

Steps taken for conservation	NA
Steps taken for utilizing alternate sources of energy	NA
Capital investment on energy conservation equipments	NA

Technology Absorption:

Efforts made for technology absorption	NA
Benefits derived	NA
Expenditure on Research &Development, if any	NA
Details of technology imported, if any	NA
Year of import	NA
Whether imported technology fully absorbed	NA
Areas where absorption of imported technology has not taken place, if any	NA

Foreign Exchange Earnings/ Outgo:

(Rs. In hundreds)

Earnings	NIL
Outgo	NIL

Internal financial controls

The internal financial controls with reference to the Financial Statements are commensurate with the size and nature of business of the Company.

Deposits

Your Company has not accepted any fixed deposits and, as such, no amount of principal or interest was outstanding as of the Balance Sheet date.

Corporate Social Responsibility (CSR)

The Company has been intimated by Ministry of Corporate Affairs vide OM. No. CSR-15/0008/2014-Dir (CSR) dated 23/01/2017 which states that the DPE Guidelines for CSR have been withdrawn with the approval of Minister (HI& PE). And it has also been suggested that the Company undertake CSR activities in future as per the provisions of Companies Act, 2013.

Currently, the provisions of Corporate Social Responsibility under Companies Act, 2013 are not applicable to Agrinnovate India Limited.

Prevention of Sexual Harassment Policy

The Company is committed to provide a safe and conducive work environment to its employees. Further, the Company has zero tolerance towards sexual harassment at the workplace and has adopted a policy on prevention, prohibition and redressal of sexual harassment at workplace in the line with the

provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and the rules made thereunder. The Constitution of the Committee is as under: -

Dr. Nidhi Verma, Principal Scientist, Agricultural Education Division, ICAR KAB-II, Presiding Officer;

1. Mrs. Dhriti Madaan, Company Secretary, Agrinnovate India Limited, Member;
2. Mrs. Swati Bhandari, Senior Executive (Admin), Agrinnovate India Limited, Member
3. Shri S.P Singh, Additional Session Judge (Retired)

During the year under review, the Committee has not received any complaint in this regard.

The following is a summary of sexual harassment complaints received and disposed off during the Financial Year 2023-24.

No. of Complaints Received: NIL

No of Complaints disposed off: NIL

During the year under review, the Company organized an 2nd Awareness Meeting on Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 on 16th January 2024 for its employees. The event was a huge success in terms of active participation from all the employees and in depth understanding of the provisions of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

Directors Responsibility Statement

In accordance with the provisions of Section 134(5) of the Companies Act 2013, your directors confirm that:

a) in the preparation of the annual accounts for the financial year ended 31stMarch 2023, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at 31st March 2024 and of the profit /loss of the Company for that period;

c) the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act 2013 for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d) the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis;

e) There is no application made or any proceeding pending under the Insolvency and bankruptcy Code 2016 during the year along with their status as at the end of the financial year.

f) There is no case of difference between amount of the valuation done at the time of one time settlement and the valuation done while taking loan from the Banks or Financial Institutions. The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

Presidential Directives

The Company is committed to comply with the presidential Directives issued by the Central Government from time to time. No presidential Directives are issued to the Company till date.

Right to Information (RTI)

The management has notified CPIO the first Appellate Authority in compliance with the requirement of the RTI Act.

The status of RTI applications/ appeals received during the financial year 2023-24 is as follows: -

RTI Applications/Appeals	RTI Applications			
	Received	Rejected	Information provided	Pending as on 31.03.2024
Applications	30	0	30	NIL
Appeals	0	0	0	NIL

Secretarial Standards

The applicable Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India from time to time have been complied by the Company for the financial year 2023-24.

Acknowledgment

Your directors place on records their appreciation for employees, customers, vendors and academic partners at all levels, who have contributed to the growth and performance of the Company and for their continuous support.

We also wish to thank the Government of India, various Government departments and agencies, private and public sector organizations involved with the activities of AgIn for their continued support and cooperation.

Your directors take this opportunity to express their deep appreciation for the valuable support and guidance given by the present and past Members of the Board from time to time. We also wish to place on record our sincere gratitude for the guidance and cooperation extended by the Department of Agricultural Research and Education, Government of India, ICAR, Statutory as well as Internal auditors of the Company, Secretarial Auditors, Officials of the C&AG and bankers of the Company.

For and on behalf of the Board of Directors

Place: New Delhi
Date: October 10, 2024

(Sanjay Garg)
DIN No. 03401035
Address: C-1/37, Bapa Nagar,
Subramanian Bharti Marg
Central Delhi-110003

(Alka Nangia Arora)
DIN No. 03165567
Address: EF 18-B Block C, Tata
Primanti Sector-72 Gurgaon,
Haryana-122101

Company's Report on Corporate Governance

A. Corporate Governance

The Company's philosophy on Corporate Governance reflects the ethos of the Company and its continuous commitment to ethical business principles across its operations. Sustaining a culture of integrity along with high performance orientation and an adaptive management style in today's dynamic business environment needs a robust governance structure.

Corporate Governance is more than set of processes and compliances at Agrinnovate India Limited is having a well defined corporate structure that establishes checks and balances and delegates decision making to appropriate levels in the organization, though the board remains in effective control of the affairs of the company. Agrinnovate India Limited believes that good Corporate Governance practices are essential for generating long term value and maintaining a sustainable business model.

The Corporate Governance structure of the Company is multi-tiered, comprising of Board of Directors at the apex level and various committees, which collectively ensure highest standards of Corporate Governance and transparency in the Company's functioning. Board is committed to ensuring there is a strong and effective system of corporate governance in place to support the successful execution of Company's strategy. The Board exercises independent judgment in overseeing management performance and plays a vital role in the oversight and management of the Company.

B. Board of Directors

During the year 2023-24, five meetings of Board of Directors were held.

The details regarding attendance of the Directors in the Board Meetings and the last AGM held on 22.11.2023 and number of other directorships & committee memberships, Chairmanships are as follows:-

Name of the Director	Category	Number of Board meetings attended during 2023-24	Attendance in last AGM	Number of Directorship in Other Companies	Number of Membership in Committees (including Audit Committee and NRC Committee)	
					Member	Chairman
Dr. Himanshu Pathak	Chairman	3	No	NIL	NIL	NIL
Shri Sanjay Garg	Vice Chairman	5	Yes	NIL	NIL	NIL
Smt. Alka Nangia Arora	Director	4	No		1	NIL
Dr. Ashok Dalwai	Director	4	No	NIL	2	2
Dr. J. Balaji	Additional Director	NIL	No	NIL	-	-
Dr. Neeru Bhooshan	Director	4	No	NIL	2	-
Shri Anand Mohan Awasthy	Director	5	Yes	NIL	1	NIL
Shri G.K Nagaraj	Director	3	No	NIL	1	NIL

C. Audit Committee

Agrinnovate India Limited has in place an Audit Committee in terms of Section 177 of the Companies Act, 2013 and also as per DPE guidelines. The Audit Committee inter-alia reviews the financial statements, internal control system, internal auditors report, statutory auditors report, comments of C&AG. The Committee also oversees Company's Financial Report Process and disclosure of its financial information to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. Reviewing the adequacy of the internal audit function is also undertaken by the Audit Committee. The Terms of Reference of Audit Committee are as per provisions of section 177 of the Companies Act, 2013 as well as DPE guidelines.

During the financial year 2023-24, the Audit Committee held 4 meetings on 26th April 2023, 17th August 2023, 22nd November 2023 and 7th March 2024.

The composition of Audit Committee and attendance in Audit Committee meetings held during the year 2023-24 is given below: -

S. No.	Name of the Director	Designation	Category	Attendance	Remarks
1	Dr. Ashok Dalwai	Chairman	Non- Executive Director	3	-
2	Smt. Alka Nangia Arora	Member	Non- Executive Director	1	-
3	Dr. Neeru Bhooshan	Member	Non- Executive Director	0	-
4	Shri Anand Mohan Awasthy	Member	Non- Government Director	1	-

D. Nomination & Remuneration Committee

Your Company has a duly constituted Nomination & Remuneration Committee pursuant to the provisions of section 178 of the Companies Act, 2013 as well as DPE guidelines on Corporate Governance. The functions of the Nomination & Remuneration Committee are as specified in the above mentioned provisions except those exempted for Government companies.

The Nomination & Remuneration Committee comprised of Dr. Ashok Dalwai, Dr. Neeru Bhooshan and Shri G.K Nagaraj as Members.

During the financial year 2023-24, one meeting of the Nomination & Remuneration Committee was held on 21st November 2023.

E. Annual General Meetings

Details of last three (3) Annual General Meetings are given as follows:

No. of AGM	Financial year	Date	Time	Venue	Special Resolution
12	2022-23	22.11.2023	12.30 PM	Board Room, International Guest House, NASC Complex, DPS Marg New Delhi	2
11	2021-22	23.09.2022	12.00 noon	Board Room, International Guest House, NASC Complex, DPS Marg New Delhi	3
10	2020-21	30.09.2021	11.30 AM	Board Room, International Guest House, NASC Complex, DPS Marg New Delhi	2

F. Disclosures

i) Disclosure on materially significant Related Party Transactions.

Details of the Related Party Transactions as per Indian Accounting Standard-24 forms part of the Notes to the Accounts.

ii) There is no significant non-compliance by the Company and no penalties, strictures have been imposed on the Company by any Statutory Authority on any matter related to any guidelines issued by Government during the last three years.

iii) Certificate from Practicing Company Secretary regarding compliance of Corporate Governance Guidelines

Certificate from practicing Company Secretary regarding compliance of Corporate Governance Guidelines has been received and the same is included in the Board's Report.

v) Presidential Directives

No Presidential directive was issued by the Central Government during the last three years.

G. Internal Audit / Internal Control System / Delegation of Powers

During the financial year 2023-24 the Internal Audit has been carried out by M/s Jagdish Chand & Co, Internal Auditors of the Company. Observations of Internal Audit are reviewed by the Audit Committee of the Board and necessary directions are issued whenever required. The Company has established adequate Internal Financial Control System & Procedures. The Company has a well-defined Delegation of Financial Powers to its various executives through the Delegation of Powers Manual.

H. Training of Board Members

The new Directors are given orientation and induction regarding company's vision, core value including ethics, financial matters, business operations, risk matters. The normal practice is to furnish booklets, brochures, Annual report, Memorandum & Article of Association of the company, guidelines on Corporate Governance etc.

Apart from above, Directors are also nominated for training on Corporate Governance and other subjects conducted by DPE and other Institutions.

I. Means of Communication

Annual results to the shareholders are sent by way of Annual report and the Annual Report is also posted on website of the Company i.e. www.agrinnovateindia.co.in On the website, tenders and career opportunities are also posted.

CHAIRMAN'S REPORT

Dear Members

I am pleased to present our Annual Report for the year ended 31st March 2024 and welcome you to the Thirteenth Annual General Meeting of our Company Agrinnovate India Limited (AgIn). Auditors' Report has already been circulated and with your permission, I consider them as read.

It gives me immense satisfaction to see that the ideas we conceived during the various board meetings are being effectively executed by the team and I am hopeful of even better performance in the upcoming year. I would like to place on record, my sincere appreciation to the team, AgIn for their performance during the year.

I am delighted to see that the Guidelines for commercialization of technologies developed under ICAR and Institutions under the National Agricultural Research System (NARS) have finally been harmonized with AgIn thereby widening the scope for commercialization cutting across disciplines /sectors. We are now in a certain position to take advantage of the new opportunities for enhancing and catalysing innovation and capacity driven agricultural development through partnerships.

Important Technologies Transferred

During the year under review the Company has been able to transfer 151 technologies to various private Companies, Public sector organizations and individual entrepreneurs including farmers at a gross Revenue of Rs. 7.41 crores (excluding taxes).

Out of the 151 technologies Commercialized, the high value technologies with significant market influence and demand includes,

S. No.	Name of Technology & Institute	No. of Clients	Amount excluding taxes (in Lacs)
1	H T Trait	1	30
2	Aeroponic Technology	3	36.75
3	Sambha Masuri	1	10
4	Tv,PF,PC,Th	2	20
5	Biocapsule	2	20
6	STFR	2	20
7	Indirect Elisa for AIV	1	12.50
8	Pregnacy Diagnosis Kit	1	15
9	9 Technologies Kits	1	32.30
10	IBD for Chicken	1	17.50
11	PPR and Goat Pox Combined Vaccine	1	65
12	Live attenuated vaccine sheeppox	1	12.50
13	VL Vita, VL QPM Hybrid 45	1	10
14	Arka Banana Special, Arka vegetable, Arka mango Special	1	11
	Total	19	312.55

2. In the financial year 2023-24, 68 Techno Commercial Assessment Meetings were held out of which 6 meetings were held in physical with the following institutes:

S. No.	Name of the Institute	Date of the meeting
1.	ICAR- Central Institute of Fisheries Education	09.05.2023
2.	ICAR-Indian Institute of Vegetable Research, Varanasi, U.P.	18.05.2023
3.	ICAR-Indian Institute of Wheat and Barley Research, Karnal	15.06.2023
4.	SVPUAT, Meerut	11.08.2023
5.	ICAR- National Dairy Research Institute, Karnal	28.08.2023
6.	ICAR- Central Institute for Research on Buffaloes, Hisar, Haryana	01.03.2024

AgIn's promotional activities

Constant and continuous efforts by AgIn CEO and team resulted in expanding business opportunities for the company and in turn reaching Breakeven point for the first time since the inception of the Company. The major highlights for the financial year 2023-24 are as follows:-

2ND AWARENESS MEETING ON SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

2nd Awareness programme on Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, prohibition and redressal) Act, 2013 was organized for the IC Committee Members and the employees of Agrinnovate India Limited on 16th January 2024.

- The programme aimed on the following issues: -
- An awareness of the POSH Act.
- Laws governing the Sexual Harassment
- Awareness on the acts which may constitute sexual harassment
- Awareness on the acts which does not constitute sexual harassment
- Behavior of employees while in workplace and outside
- Responsibility of employees
- Responsibilities of the employer
- Rights available to women under this Act.
- Procedure for filing complaints
- Procedure for Enquiry
- Punishment for Sexual Harassment
- Consequences for false complaints
- Awareness about the IC Committee etc.

Regional Stakeholder Consultation Meetings:

CEO, AgIn along with the Business Team organized/participated in various Regional Stakeholder Consultations meets which includes: -

- **Organized Regional Industry stakeholder meet in collaboration with ICAR**-CITH on 25th-26th October,2023 for potential entrepreneur at Sher-e-Kashmir University of Agricultural Science & Technology (SKUAST-K), Srinagar.

- ICAR-Stakeholder Consultation regional meet at ICAR-DOGR on 20th to 22nd December,2023 (ICAR-DOGR and AgIn)
- ICAR-Stakeholder Consultation regional meet at ICAR-VPKAS on 30th -31st Jan,2024 (ICAR-VPKAS)
- ICAR-Stakeholder Consultation regional meet at ICAR-IIOR on 12th Feb,2024 (ICAR-IIOR) at Hyderabad to showcase oilseed crop varieties, biopesticides and value-added products. This event featured an interactive session on enhancing oilseed production through model farms. One-on-one discussions between the innovators and industry stakeholders focused on technology benefits and agreement options. Industry perspectives on oilseed production, protection, quality and export were also addressed.
- The Forage Technology Exhibition cum Industry meet was held by ICAR-IGFRI in collaboration with IP&TM and Agrinnovate India limited on 12-13 February 2024 in Jhansi. The Event showcased forage technology advancements and facilitated discussions between researchers, industry professionals and policymakers. It also sought stategic partners for licensing over 250 forage crop varieties.

Besides, more than 20 awareness meetings were held both physical and virtual with various ICAR Institutes and Universities to explain the mechanism for valuation and process of Commercialization.

Several august bodies also invited AgIn as an expert for policy deliberations, collaborations and capacity building activities. These include: -

- CEO AgIn was bestowed with the prestigious Dr PG Pandey Oration Award at Palampur and delivered the Dr. PG Pandey Memorial Oration award lecture. He also participated in IAVMICON23, Palampur and chaired a session (07-08 April 2023).
- Addressed the Thematic Session on Lessons on technology delivery to farmers and the entrepreneurs on the topic 'Framework for collaboration to strengthen tech led interventions delivering innovations as well as state-of-art products and services to farmers' organized by CII. (20th April 2023)
- Attended the DBT Meeting as lead discussant on -Interdisciplinary Group of Experts for 'Bovine Sexed Semen Sorting Technology' (21st April 2023).
- Invited as an Outside Expert in the Assessment Committee constituted to consider suitability of a teacher for advancement/ promotion as Professor/ Equiv.in discipline of Veterinary Microbiology LUVAS- CAS meeting at Hisar, Haryana. (2nd May 2023).
- Attended the WOAH's Virtual consultation meeting on PPP implementation in the PVS Pathway. (3th-4th May 2023)
- Invited for guest lecture on "Prevention of Lumpy Skin Diseases" on the occasion of World Veterinary Day at Dehradun, Uttarakhand (15th-16th May 2023).
- Invited as an Expert in the Brainstorming Session on Enhancing Agri-Infrastructure and Agri-Business Development through Public-Private Partnerships (PPPs) organized by The National Academy of Agricultural Sciences (NAAS)- (25th May 2023).
- Attended a pre convocation brainstorming session of NAVS (I) on Livestock Health at GADVASU, Ludhiana. (1st-2nd June 2023).
- Participated as an expert in the 3rd EC Meeting for performance evaluation and review of the ongoing & completed projects and 2nd level screening of new project proposals received under Strengthening, Up-scaling & Nurturing Innovations for Livelihood (SUNIL) programme of Science for Equity Empowerment and Development (SEED) division, organized by

Department of Science & Technology (DST), Govt. of India at Manav Rachna University Faridabad, Haryana. - (5th June 2023)

- Invited to address the Scientist Probationers on 'Technology Commercialization through Agrinnovate India" at the 112th FOCARS programme at ICAR-NAARM, Hyderabad. (28th June 2023)
- Attended as the Chairperson the session on Regulatory Framework for Animal Health Drugs and Biologicals in National Seminar and Workshop on Disease Mitigation & Farm Productivity organized by Indian Federation of Animal Health Companies (INFAH) at India Habitat Centre New Delhi. - (14th July 2023).
- Organized 1st Advisory Committee Meeting of Agrinnovate India Ltd. (20th July 2023).
- Invited as a GUEST OF HONOUR & Eminent CHAIR in 2nd India Animal Health Summit & Awards at Holiday Inn, Aero city, New Delhi. (26th July 2023).
- Convened a discussion on One Health & Agroecology Project/ GIZ on issues like implementation of one health strategies through proposed project in context of Agro-ecology with authorities of Indo German Bio-diversity programme, GIZ, commissioned by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development. (BMZ) (1st August 2023).
- Invited by M.S. Swaminathan Research Foundation (MSSRF), Chennai for the International Conference titled 'Mighty Millets for Food, Nutritional and Health Security' to be held at MSSRF, Chennai. (5th-7th August 2023)
- Invited as Panelist in the 64th National Symposium 2023 "Livestock Sector - Looking Beyond the Present" being held on August 18-19, 2023 at Hotel Le Meridien, New Delhi for presentation/ discussion on "Challenges of Feed Security: Bridging the Demand and Supply Gap". (19th August 2023)
- Attended the Regional Stakeholder Consultation in South Asia region-ILRI South Asia organized by ILRI South Asia. (24th August 2023) to Review the achievements and lessons in the region, Identified key issues and opportunities in relation to livestock, climate, and food systems within the regional and national context, Recommended priorities and interventions that ILRI and its partners should consider moving forward, Understand how ILRI can better engage and work with end-users to ensure the uptake and relevance of its research and provided the insights on research achievements in ICAR Institutes and requirements in animal husbandry sector. (24th August 2023).
- Attended second meeting of National Advisory Committee for animal husbandry and dairying sector under the Chairmanship of Hon'ble Minister (FAHD). (29th August 2023).
- Attended and represented 13th meeting of Institute Technology Management Committee (ITMC)_IIVR, Varanasi. (29th August 2023)
- Invited to attend the Inaugural of the National Conclave on 'Unleashing the potential of AgriTech for the benefits of farmers organized by The Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India in partnership with CII, FICCI & PHDCCI. Also, attended the Breakout Session on Strengthening Startup Incubation ecosystem to translate innovative ideas to real solutions for farmers'. (31st August 2023)
- Attended Technical Session on "Growth and Challenges of Indian Seed Industry" at NAAS, NASC Complex (National Seed Association of India). (4th September 2023)
- Invited to attend the inaugural ceremony of Global Symposium on Farmers Rights organized by Food and Agriculture Organization, Rome hosted by Ministry of Agriculture, Govt. of India for the First Global Symposium on Farmers Rights. (12-15th September 2023)

- Invited as Chief Guest in the valedictory function of Training programme Hands on training on Artificial Insemination in Goats at ICAR-Central Institute for Research on Goats, Makhdoom, U.P. (15th September 2023)
- Participated in the meeting of the expert committee on High risk pathogen lab Network (BSL Network) in the O/o PSA. (25th September 2023)
- Attended completion project review meeting of DBT completed project – MyDAN (DBT Network programme on Bovine Tuberculosis control: Mycobacterial diseases in animals network (MYDAN) programme). (25th September 2023)
- Participated in the "PVS Evaluation Follow-Up Mission with Rabies-Specific Content in Indonesia" as WOAH (OIE) trainee expert at Jakarta, Indonesia. (2-13 October 2023)
- He participated in the "PVS Evaluation Follow-Up Mission with Rabies-Specific Content in Indonesia" as WOAH (OIE) trainee expert at Jakarta, Indonesia. (16-20 October 2023)
- Participated in the Panel Discussion on way forward to reduce impacts of animal-bird—Ocean life human conflicts to reduce disease transmission and increase survivability of both species in the online National Conference on One Health initiative on animal human conflict and its impact on transmission of diseases of public health importance, environment & survivability. (4th November 2023).
- Invited to attend the roundtable discussion organized by World Bank on biodiversity and its ecological and economic significance. The roundtable was expected to deliberate on the current challenges and priorities relating to biodiversity, including sectors such as agriculture and livestock. (10th November 2023).
- Invited as PVS Expert for PPP Targeted Support in Sri Lanka. (5-7 December 2023)
- Eminent Panelist in the Krishi Jagran_Millionaire Farmers of India Awards 2023 (MFOI 2023) at IARI Mela Ground, New Delhi. (8TH December 2023)
- Delivered a talk on the Topic "Role and Importance of Tech-transfer/ Commercialization and PPP in Agriculture &allied sectors and Agrinnovate Initiatives" during the Faculty Training on "AgriTech Fusion: Unleashing Innovations through Tech Transfer, Commercialization, and IP Strategies - Learn from Agrinnovate and BIRAC Success" at the University of Agricultural Sciences, Dharwad. (18th-19th December 2023).
- Attended Technology exhibition during camel show at NRC on Camel, Bikaner, Rajasthan and had discussion on Technology Transfer with Scientists and staff of NRC on Camel, IIPR, and CAZRI, Bikaner. (12th-15th January 2024).
- Attended International Conference on One Health Initiative: Harmonizing Human, Animal and Environmental Health (OHI-2023) at GLA University, Mathura as Plenary Speaker during the Inaugural session and also Chaired the Technical Session on One Health for Food Safety, Food Security, and Sustainable Food Production. (18th January 2024).
- Delivered a lecture on the topic "Market Analysis and Value Preposition of Technology" in the Three-day Sensitization/awareness programme of In-charges of ITMUs/ZTMCs 'SRIJAN: Empowering ITMUs/ZTMCs of ICAR Institutes'. (19th January 2024).
- Attended PRMC meeting to discuss the extension for the 'Transforming Deep Sciences into Impactful Innovations for India' under "Accelerating Translation of Research and Commercialization of Technologies in Life Science" ATRACT Life Program at C-CAMP supported by PSA Office. (23rd January 2024).
- Distinguished Panelist in the Consultation Workshop organized by NSFI- a not for profit organization working towards enterprise promotion in Farm and Non-Farm Sectors; climate

change, renewable energy, agriculture and livelihood generation. Recognizing the twin needs of supporting the aspiring agricultural graduates in their entrepreneurial journey and support existing startups in their last mile performance, NSFI, Agricultural Skill Council of India and Medha got together to pilot and scale YouthScape a programme that offers fellowship to agri graduates and supports them through entrepreneurship development and placing them in Startups towards a win-win outcome. The fellowship is expected to support the Startups in their last mile delivery of goods and services. (06th February 2024).

- Invited as a Guest of Honour in the Industry and Entrepreneurs Meet and Interaction with Primary Stakeholder on "Potentials of Jute and allied fibre crops and Promotion of Jute based Products" organized by ICAR-Central Research Institute for Jute and Allied Fibres (CRIJAF), Barrackpore. (08th February 2024).
- Delivered a talk in the international symposium on "Animal virus, vaccines and immunity' (AVVI 2024) at the Institute of Veterinary Science & Animal Husbandry (IVSAH) under Siksha O Anusandhan (SOA), deemed to be university, Bhubaneswar on the topic 'One Health implementation in current climate change scenario'. (09th February 2024).
- Invited as a Special Guest at the Forage Technology Exhibition cum Industry Meet organized by ICAR-Indian Grassland and Fodder Research Institute in association with IP&TM Unit ICAR and Agrinnovate India Ltd at Jhansi. (12th February 2024)
- Invited to share valuable thoughts on the topic "Market Analysis and Value Preposition of Technology" in the three-day Sensitization/awareness programme of In-charges of ITMUs/ZTMCs to enhance the capacity building by empowering the ITMUs/ZTMCs 'SRIJAN: Empowering ITMUs/ZTMCs of ICAR Institutes' (Second Batch). (14th February 2024)
- **Invited as a Guest Speaker** at a Workshop on Innovation, Technology Readiness Level (TRL) and Technology Transfer at BITS, Pilani, Pilani Campus. (28th February, 2024).
- Attended an Event (NUCLEUS 1.0, The Tech Show) as a panelist and jury member where a group of school and college students showcased their innovative prototypes. (29th February, 2024).
- Invited as a panelist in the Bangalore Chamber of Industry and Commerce (BCCI) Agro and Food Processing Expert Committee. (4th March, 2024).
- Invited as a Panelist cum Moderator to discuss "Animal disease early warning and emergency preparedness" in the Multisectoral Experts Workshop on Animal Health with One Health approach (MSEW-AH-OH) organized by Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in alignment with the Global Health Security Program of USAID. (14th March, 2024).
- Participated as an Expert in the NAAS-Expert Consultation on "Smart Animal Farming: Perspective Planning towards 5 Trillion Economy". (22nd March, 2024).
- Attended an online meeting organized by ICAR-NIFMD, Bhubaneswar regarding the change of FMDV serotype (Technical aspect of the vaccine strain from current strain A IND 40/2000 to the proposed A IND 27/2011). (27th March 2024)

Revenue contribution through technology commercialization

During the year 2023-24, AgIn effectively handheld several ICAR institutions and helped transfer a total of 151 technologies earning a gross revenue of Rs 7.41 crores (including royalty). These technologies emerged from crop science (31%), dairy and veterinary sciences (15.8%), horticulture (51%) and fisheries (1.3%).

SECTOR-WISE COMMERCILISATION AND REVENUE GENERATED FROM LICENSING OF TECHNOLOGIES (IN LAKHS)

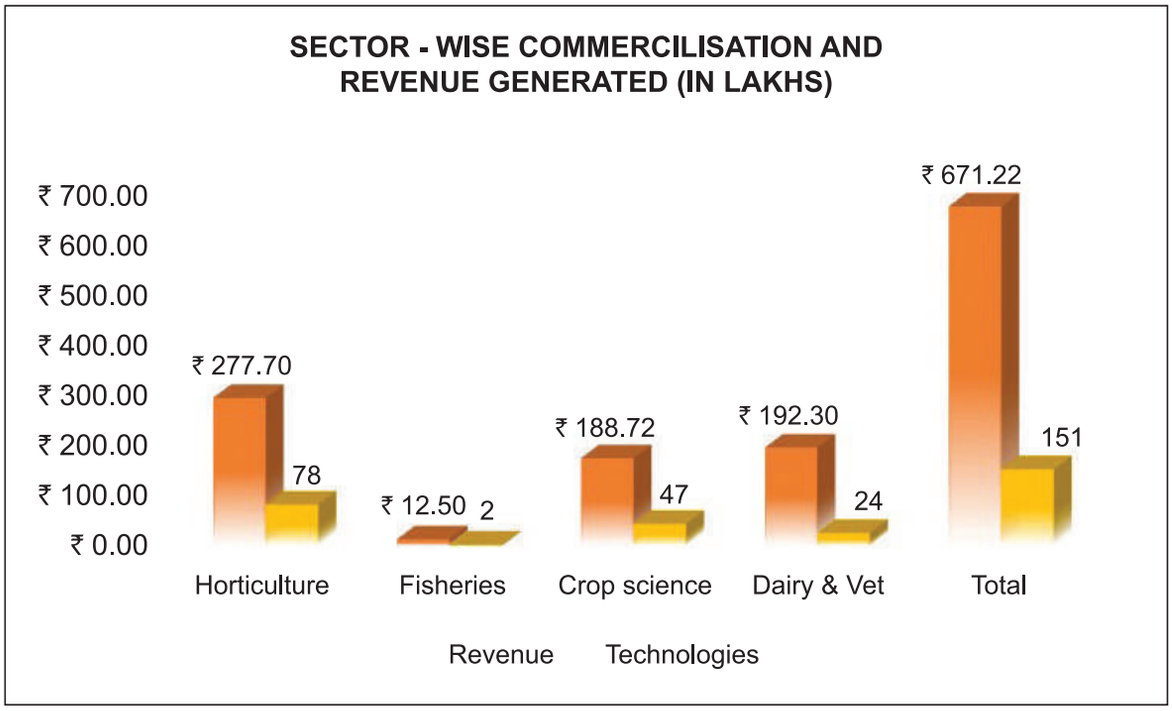

Effort is being made by AgIn to include more ICAR institutes and thus expand the technology base for commercialization, as a result AgIn has been assigned with around 600+ technologies available for licensing from 62 institutes and 5 SAUs.

Financial Highlights

The Company has achieved Revenue from operations of Rs. 7.41 crores as against Rs. 10.01 crores in the previous Financial Year 2022-23. The Depreciation has registered during the Current Year at Rs 0.02 crores as against 0.03 crores for the previous year 2022-23. In the financial year 2023-24 the Company has earned Net Profit of Rs. 4.71 crores as against Net Profit of Rs. 3.51 crores in Financial Year 2022-23. The revenue per business manager revised from Rs. 250.49 lacs to Rs. 246.82 lacs in the financial year 2023-24.

Report of Compliance with the Guidelines on Corporate Governance

In compliance with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises 2010 issued by Department of Public Enterprises (DPE), the Company's Report on compliance with the Corporate Governance is prepared and annexed with the Board's Report for the Financial year 2023-24.

Acknowledgment

I place on record my appreciation for employees, customers, vendors and academic partners at all levels, who have contributed to the growth and performance of the Company and for their continuous support.

I also wish to thank the Government of India, various Government departments and agencies, private

and public sector organizations involved with the activities of AgIn for their continued support and cooperation.

I take this opportunity to express my deep appreciation for the valuable support and guidance given by the present and past Members of AgIn Board from time to time. I also wish to place on record my sincere gratitude for the guidance and cooperation extended by the Department of Agricultural Research and Education, Government of India, ICAR, Statutory as well as Internal auditors of the Company, Secretarial Auditors, Officials of the C&AG and bankers of the Company.

Thanking you
Yours truly,

(Dr. Himanshu Pathak)
Chairman & Director
Agrinnovate India Limited

Place: New Delhi
Date: October 10, 2024

Agrinnovate India Limited

Balance Sheet as at 31st March, 2024

(₹ in Hundreds)

Particulars		Note No.	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
I.	**EQUITY AND LIABILITIES**			
(1)	**Shareholders' Funds**			
(a)	Share Capital	2	50,00,000.00	50,00,000.00
(b)	Reserves and Surplus	3	30,85,734.62	26,12,061.81
(2)	**Current Liabilities**			
(a)	Trade Payable	4	-	846.60
(b)	Other Current Liabilities	5	8,62,511.70	11,40,113.85
(c)	Short Term Provisions	6	1,77,846.58	1,41,625.53
	Total		**91,26,092.90**	**88,94,647.79**
II.	**ASSETS**			
(1)	**Non-Current Assets**			
(a)	Property, Plant and Equipment and Intangible Assets			
	(i) Property, Plant & Equipment	7	15,075.11	12,688.70
(d)	Deferred Tax Assets	16	4,443.00	6,112.63
(2)	**Current Assets**			
(a)	Trade Receivables	8	13,673.31	8.00
(b)	Cash and Bank Balance	9	88,23,887.22	87,08,409.10
(c)	Other Current Assets	10	2,69,014.26	1,67,429.36
	Total		**91,26,092.90**	**88,94,647.79**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES		1		

The accompanying notes form an integral part of the financial statements.

As per our report of even date attached.

For VIVEK SANJAY AND CO.
Chartered Accountants
Firm's Regn. No. 014189N

CA Ajay Khandelwal.
Partner
M. No. 519516

Place : New Delhi
Date: 10.10.2024

For and on behalf of Board of Directors of
AGRINNOVATE INDIA LIMITED (AgIn)

Alka Nangia Arora
Director
DIN: 03165567

Sanjay Garg
Director
DIN: 03401035

Dr. Praveen Malik
Chief Executive Officer
PAN: ADUPM5768N

Dhriti Madaan
Company Secretary
M. No. A-27642

Rahul Kumar
Chief Financial Officer
PAN : DIHPK6798B

Agrinnovate India Limited

Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March, 2024

(₹ in Hundreds)

	Particular	Note No.	Year ended 31st March 2024	Year ended 31st March 2023
	INCOME:			
I.	Revenue from Operations	11	7,40,457.31	10,01,960.09
II.	Other Income	12	6,40,220.27	4,62,631.95
III.	**Total Income (I+II)**		**13,80,677.58**	**14,64,592.04**
IV.	**EXPENSES :**			
	Direct Expenses	14	5,93,265.85	8,11,638.51
	Employee Benefits Expense	13	96,703.43	1,17,751.57
	Depreciation and Amortization Expense	7	2,620.18	2,708.00
	Other Expenses	15	52,297.90	61,463.97
	Total Expenses		**7,44,887.35**	**9,93,562.05**
V.	**Profit before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV)**		**6,35,790.23**	**4,71,029.99**
VI.	Exceptional items (Prior Period expenses)		1,767.56	-
VII.	**Profit before extraordinary items and tax (V - VI)**		**6,34,022.66**	**4,71,029.99**
VIII.	Extraordinary Items			
IX.	Profit before Tax (VII- VIII)		**6,34,022.66**	**4,71,029.99**
	Exceptional Items		-	-
	Profit Befor Tax		**6,34,022.66**	**4,71,029.99**
X.	Tax Expenses:			
	(1) Current Year		1,58,680.23	1,19,241.55
	(2) Deferred Tax	16	1,669.63	542.00
XI.	**operations (IX-X)**		**4,73,672.81**	**3,51,246.44**
XII.	Profit/(loss) from discontinuing operations		-	-
XIII.	Tax expense of discontinuing operations		-	-
XIV.	**Profit/(loss) from Discontinuing operations (after tax) (XII-XIII)**		-	-
XV	Profit and Loss for the Period (XI-XIV)		**4,73,672.81**	**3,51,246.44**
XVI.	Earnings per equity share:			
	(1) Basic		**0.95**	**0.70**
	(2) Diluted		**0.95**	**0.70**
	SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	1		

The accompanying notes form an integral part of the financial statements.

As per our report of even date attached.

For and on behalf of Board of Directors of
AGRINNOVATE INDIA LIMITED (Agln)

For VIVEK SANJAY AND CO.
Chartered Accountants
Firm's Regn. No. 014189N

CA Ajay Khandelwal.
Partner
M. No. 519516

Place : New Delhi
Date: 10.10.2024

Dr. Praveen Malik
Chief Executive Officer
PAN: ADUPM5768N

Alka Nangia Arora
Director
DIN: 03165567

Sanjay Garg
Director
DIN: 03401035

Dhriti Madaan
Company Secretary
M. No. A-27642

Rahul Kumar
Chief Financial Officer
PAN : DIHPK6798B

Agrinnovate India Limited

Cash Flow Statement for the year ended on March 31, 2024

(₹ in Hundreds)

Particular	Year ended 31st March 2024	Year ended 31st March 2023
A. Cash flow from operating activities		
Net Profit / (Loss) before tax	6,34,022.66	4,71,029.99
Adjustments for:		
Depreciation	2,620.18	2,708.00
Depreciation Adjustment	4,921.00	
Interest income	-6,35,299.62	-4,62,625.07
Operating profit / (loss) before working capital changes	**-3,577.78**	**11,112.92**
Changes in working capital:		
Adjustments for (increase) / decrease in operating assets:		
Trade Receivables	-13,665.86	61.00
Other Current Assets	-1,01,584.90	51,372.09
Adjustments for increase / (decrease) in operating liabilities:		
Trade Payables	-846.60	846.60
Other current liabilities	-2,77,602.15	4,48,848.85
Short-term provisions	36,221.05	1,23,916.12
Net income tax (paid) / refunds	-1,58,680.23	-1,19,241.55
Net cash flow from / (used in) operating activities (A)	**-5,19,736.46**	**5,16,916.03**
B. Cash flow from investing activities		
Interest On Fixed Deposits	6,35,299.62	4,62,625.07
Increase in FDR	-5,48,534.12	-78,34,006.54
Purchase of Fixed assets	-85.04	
Net cash flow from / (used in) investing activities (B)	**86,680.46**	**-73,71,381.47**
C. Cash flow from financing activities	-	-
Net cash flow from / (used in) financing activities (C)	-	-
Net increase / (decrease) in Cash and cash equivalents (A+B+C)	-4,33,056.00	-68,54,465.44
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	8,74,402.56	77,28,953.00
Cash and cash equivalents at the end of the year	**4,41,346.56**	**8,74,402.56**

In terms of our audit report of even date attached.

As per our report of even date attached.

For VIVEK SANJAY AND CO.
Chartered Accountants
Firm's Regn. No. 014189N

CA Ajay Khandelwal.
Partner
M. No. 519516

For and on behalf of Board of Directors of
AGRINNOVATE INDIA LIMITED (AgIn)

Alka Nangia Arora
Director
DIN: 03165567

Sanjay Garg
Director
DIN: 03401035

Place : New Delhi
Date: 10.10.2024

Dr. Praveen Malik
Chief Executive Officer
PAN: ADUPM5768N

Dhriti Madaan
Company Secretary
M. No. A-27642

Rahul Kumar
Chief Financial Officer
PAN : DIHPK6798B

AGRINNOVATE INDIA LIMITED

NOTE 1: SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Note. 1

1.1 Corporate Information

(a). The company has incorporated on 19th October, 2011. The Company is a 100% Government of India Company under Department of Agriculture Research & Education, Ministry of Agriculture.

(b). Mr. Rahul Kumar, CFO is an employee of ICAR looking after the affair of the company. No payment is made either to them or ICAR in this respect.

(c). Dr Praveen Malik, CEO is an employee of ICAR looking after the affair of the company. Provision for payment on account of salary, pension contribution and leave salary contribution is being made for deputation from IIHR-Bangalore.

(d) The Authorized Share Capital of the company is Rs. 100 Crores whereas the Issued, Subscribed and paid up share Capital of the company is Rs. 50 Crores

Basis of Accounting and Preparation of Financial Statements

The financial statements of the Company have been prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) to comply with the Accounting Standards prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. The financial statements have been prepared on accrual basis under the historical cost convention. The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those followed in the previous year.

1.2 Use of Estimates

The preparation of the financial statements in conformity with Indian GAAP requires the Management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) and the reported income and expenses during the year. The Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ due to these estimates and the differences between the actual results and the estimates are recognized in the periods in which the results are known / materialize.

1.3 Cash and Bank Balances

Cash comprises cash on hand and cash in foreign currency. Cash equivalents are short-term balances (with an original maturity of three months or less from the date of acquisition), highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value.

1.4 Depreciation

Depreciation has been provided on the written down value method as per the rates and manner prescribed in under Schedule II of the Companies Act, 2013. Depreciation on fixed assets added/ disposed off during the year is provided on pro-rata basis.

1.5 Leases

Leases, where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership of the leased item, are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the statement of profit and loss on a straight-line basis over the lease term.

1.6 Revenue Recognition

Agrinnovate India Ltd (AgIn) aim to work on the strength of DARE's ICAR as an independent aim to promote the development and spread of R & D outcomes through IPR protection. Commercialization an forgoing partnership both in the country and outside for the public benefit.

Policy for Interest Income:

Revenue from interest on Fixed Deposit & Flexi Deposit Account is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.

Policy for Royalty Income

Royalty is recognized and accrued on due basis as per licensing agreement.

Policy for License Fees

License fees is recognized when the complete technical knowhow, demonstrate and training of the particular license is provided to the license as per licensing agreement. Corresponding Expense for assigning license has been presented as cost of license (Expenses).

Policy of Training Programme

Revenue from conducting the training programme is recognized on completion of the respective training.

1.7 Foreign Currency Transactions and Translations

a) Foreign currency transactions, on initial recognition, are recorded by applying to the foreign currency amount the exchange rate at the date of the transaction. At each balance sheet date, foreign currency monetary items are reported using the closing rate and non-monetary items carried at historical cost denominated in foreign currency are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

b) Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on reporting monetary items at rates different from those at which they were initially recorded during the year, or reported in previous financial statements, are recognized as income or as expenses in the year in which they arise.

1.8 Employee Benefits

The provision of Provident fund and ESIC are not applicable to the company.

Since none of the employee of the company is covered under the provision of the Gratuity Act, 1972, hence no provision has been made in respect of the gratuity for the year ended 31st March, 2024.

1.9 Property, Plant & Equipment

Fixed assets are carried at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. The cost of fixed assets includes interest on borrowings attributable to acquisition of qualifying

fixed assets up to the date the asset is ready for its intended use and other incidental expenses incurred up to that date. Subsequent expenditure relating to fixed assets is capitalized only if such expenditure results in an increase in the future benefits from such assets beyond its previously assessed standard of performance.

1.10 Earnings Per Share

Basic earnings per share is computed by dividing the profit / (loss) after tax (including the post tax effect of extraordinary items, if any) by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. Diluted earnings per share is computed by dividing the profit / (loss) after tax (including the post tax effect of extraordinary items, if any) as adjusted for dividend, interest and other charges to expense or income relating to the dilutive potential equity shares, by the weighted average number of equity shares considered for deriving basic earnings per share and the weighted average number of equity shares which could have been issued on the conversion of all dilutive potential equity shares.

1.11 Taxes on Income

Current tax is the amount of tax payable on the taxable income for the year as determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961.

Deferred tax is recognized on timing differences, being the differences between the taxable income and the accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax is measured using the tax rates and the tax laws enacted or substantially enacted as at the reporting date. Deferred tax liabilities are recognized for all timing differences. Deferred tax assets in respect of unabsorbed depreciation and carry forward of losses are recognized only if there is virtual certainty that there will be sufficient future taxable income available to realize such assets. Deferred tax assets are recognized for timing differences of other items only to the extent that reasonable certainty exists that sufficient future taxable income will be available against which these can be realized. Deferred tax assets and liabilities are offset if such items relate to taxes on income levied by the same governing tax laws and the Company has a legally enforceable right for such set off. Deferred tax assets are reviewed at each Balance Sheet date for their realisability.

1.12 Impairment of Assets

The carrying values of assets / cash generating units at each Balance Sheet date are reviewed for impairment. If any indication of impairment exists, the recoverable amount of such assets is estimated and impairment is recognized, if the carrying amount of these assets exceeds their recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the net selling price and their value in use. Value in use is arrived at by discounting the future cash flows to their present value based on an appropriate discount factor. When there is indication that an impairment loss recognized for an asset in earlier accounting periods no longer exists or may have decreased, such reversal of impairment loss is recognized in the Statement of Profit and Loss, except in case of revalued assets.

1.13 Provisions and Contingencies

A provision is recognized when the Company has a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions (excluding retirement benefits) are not

discounted to their present value and are determined based on the best estimate required to settle the obligation at the Balance Sheet date. These are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current best estimates.

AGRINNOVATE INDIA LIMITED (AgIn)

Notes on Financial Statements for the year ended 31st March 2024

Note : 2 Share Capital

(₹ in Hundreds excepts shares and per share data unless otherwise stated)

S. No.	Particulars	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
1	**AUTHORIZED**		
	10,00,00,000 (10,00,00,000) Equity Shares of Rs. 10/- each.	1,00,00,00,000.00	1,00,00,00,000.00
2	**ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID UP**	1,00,00,00,000.00	1,00,00,00,000.00
	5,00,00,000 (5,00,00,000) Equity Shares of Rs. 10/- each, Fully Paid up	50,00,000.00	50,00,000.00
	Total	50,00,000.00	50,00,000.00

(a) Terms / rights attached to equity shares:

The Company has only one class of issued equity shares having at par value of 10/- per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share. In the event of liquidation of the Company, the holders of equity shares will be entitled to receive remaining assets of the Company, after distribution of all preferential amount. The distribution will be in proportion to the number of equity shares held by the shareholders.

(b) Details of Equity shares held by shareholders holding more than 5% of the aggregate shares in the Company

S. No.	Name of Shareholders	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
		No. of Shares	No. of Shares
1	President of India, Government of India	5,00,00,000.00	5,00,00,000.00
	(Percentage of Holdings)	100%	100%

(c) Reconciliation of the shares outstanding at the beginning and at the end of reporting period

S. No.	Particulars	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
		No. of Shares	**No. of Shares**
	At the beginning of the year	5,00,00,000.00	5,00,00,000.00
	At the end of the year	**5,00,00,000.00**	**5,00,00,000.00**

(d) Shares held by promoters at the end of the year

S. No.	Promoter name	No. of Shares	%of total shares	% Change during the year
1	President of India, Government of India	4,99,99,940	99.9988 %	Nil
2	Mr Balraj, as Nominee of President of India	10	0.00002%	Nil
3	Mr. S.K.Upadhyay,as Nominee of President of India	10	0.00002%	Nil
4	Mr.Sunil Kumar Meena , as Nominee of President of India	10	0.00002%	Nil
5	Mr. Rajesh Gupta, as Nominee of President of India	10	0.00002%	Nil
6	Shri Shaleen Agrawal, as Nominee of President of India	10	0.00002%	Nil
7	Mr. Surajiy Saha ,as Nominee of President of India	10	0.00002%	Nil
	Total	5,00,00,000	100%	

(e) Shares held by promoters at the beginning of the year

S. No.	Promoter name	No. of Shares	%of total shares	% Change during the year
1	President of India, Government of India	4,99,99,940	99.9988 %	Nil
2	Dr. T. Mohapatra, as Nominee of President of India	10	0.00002%	Nil
3	Mr. S.K. Upadhyay, as Nominee of President of India	10	0.00002%	Nil
4	Mr. Prem Parkash Mauriya, as Nominee of President of India	10	0.00002%	Nil
5	Mr. Rajesh Kumar, as Nominee of President of India	10	0.00002%	Nil
6	Shri Shaleen Agrawal, as Nominee of President of India	10	0.00002%	Nil
7	Mr. Jitendra Mishra, as Nominee of President of India	10	0.00002%	Nil
	Total	5,00,00,000	100%	

AGRINNOVATE INDIA LIMITED

Notes on Financial Statements for the year ended 31st March 2024

Note : 3 Reserves and Surplus

S. No.	Particulars	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
1	**Surplus as per Statement of Profit and Loss:**		
	Balance brought forward from last Financial Statements	26,12,061.81	22,60,815.80
	Add: Profit for the year	4,73,672.81	3,51,246.01
	Total	**30,85,734.62**	**26,12,061.81**

Note : 4 Trade Payables

S. No.	Particulars	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
1	Total Outstanding dues to MSME	-	-
2	Total Outstanding dues to Other than MSME		
	a)-Sharing of Licence Fees - ICAR's Share	-	-
	b)-Sharing of Licence Fees - Institutes' Share	-	-
	c)-Other's	-	846.60
	Total	-	**846.60**

Note : 4.1 Trade Payables Ageing Schedule as at March 31, 2024

S. No.	Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
	(i) MSME	-	-	-	-	-
	(ii) Others	-	-	-	-	-
	(iii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-
	(iv) Disputed dues – Others	-	-	-	-	-
	(iv) Disputed dues – Others	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-

Note : 5 Other Current Liabilities

S. No.	Particulars	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
1	Statutory Dues Payable	53,878.63	20,309.84
2	Security Deposits	550.00	500.00
3	Other Payable	415.00	2,607.00
4	Contract Salary Payable	4,073.05	3,649.00
5	Sharing of Licence Fees - ICAR's Share	2,87,575.05	2,21,238.88
6	Sharing of Licence Fees - Institutes' Share	5,07,736.57	8,88,334.13
7	Other's	1,178.67	525.00
8	Advance from Customers	7,104.73	2,950.00
	Total	**8,62,511.70**	**11,40,113.85**

Note: Share of License Fees-ICAR & Institute Share are subject to the confirmation

Note : 6 Short-Term Provisions

S. No.	Particulars	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
1	Provision for Expenses	19,166.35	22,383.98
2	Provision for Income Tax	1,58,680.23	1,19,241.55
	Total	**1,77,846.58**	**1,41,625.53**

AGRINNOVATE INDIA LIMITED

Notes on Financial Statements for the year ended 31st March 2024

Note: 7 Property, Plant and Equipment and Intangible Assets

(₹ in Hundreds)

S. No.	Assets	Gross Block				Depreciation				Net Block	
		As at 01.04.2023	Additions during the year	Deletions/ Adjustments	As at 31.03.2024	As at 01.04. 2023	Additions during the year	Adjustments, if any	As at 31.03.2024	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
(A)	**Property, Plant and Equipments**										
1	Building Improvement	17,148.80	-	-	17,148.80	9,698.85	1,175.00	4,920.65	5,953.20	11,195.60	7,449.95
2	Furniture and Fixtures	44,691.34		-	44,691.34	41,013.47	952.14	-	41,965.61	2,725.73	3,677.87
3	Office Equipments	29,660.00	85.94	-	29,745.94	29,265.63	185.35	-	29,450.98	294.96	394.37
4	Electric installation and equipments	13,975.60	-	-	13,975.60	12,824.40	297.98	-	13,122.38	853.22	1,151.20
5	Computers and Accessories	11,605.67	-	-	11,605.67	11,590.36	9.71	-	11,600.07	5.60	15.31
6	Leasehold Building	0.01			0.01					0.01	
	Sub-Total	1,17,081.41	85.94	-	1,17,167.35	1,04,392.71	2,620.18	4,920.65	1,02,092.24	15,075.11	12,688.70
(B)	**Intangible Assets**										
1	Software	1,658.38	-	-	1,658.38	1,658.38	-	-	1,658.38	-	-
	Sub-Total	1,658.38	-	-	1,658.38	1,658.38	-	-	1,658.38	-	-
	Grand Total (Current Year)	1,18,739.79	85.94	-	1,18,825.73	1,06,051.09	2,620.18	4,920.65	1,03,750.62	15,075.11	12,688.70
	Grand Total (Previous Year)	1,18,574.00	165.00	-	1,18,739.00	1,03,260.00	2,708.00	82.30	1,06,050.30		12,688.70

AGRINNOVATE INDIA LIMITED

Notes on Financial Statements for the year ended 31st March 2024

Note : 8 Trade Receivables

(₹ in Hundreds)

S. No.	Particulars	Less than 6 months	6 months -1 year	6 months -1 year	2-3 years	More than 3 years	Total
1	(i) Undisputed Trade receivables – considered good	12,985.00	680 .31	-	8 .00	-	13,673.31
2	(ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful		-	-	-	-	-
3	(iii) Disputed Trade Receivables considered good		-	-	-	-	-
4	(iv) Disputed Trade Receivables considered doubtful	-	-	-	-	-	-
	Total						**13,673.31**

Note: Trade Receivables are subject to the confirmation

Note : 9 Cash and Bank Balance

S. No.	Particulars	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
1	**Cash and Cash Equivalents**		
	A) Cash in Hand		46.61
	Balances with Banks		
	- In Current Accounts	1,26,428.42	1,09,425.25
	- In Fixed Deposit Accounts with maturity less than 3 months	3,14,404.63	7,64,930.70
	- Interest Accrued on FDR	513.51	-
	Total (a)	4,41,346.56	8,74,402.56
	b) Other Bank Balance		
	- In Fixed Deposit Accounts with maturity More than 3 months	80,00,000.00	75,00,000.00
	- Interest Accrued on FDR with maturity More than 3 months	3,82,540.66	3,34,006.54
	Total (b)	83,82,540.66	78,34,006.54
	Total (a+b)	**88,23,887.22**	**87,08,409.10**

Note : 10 Other Current Assets

S. No.	Particulars	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
1	Balances with Revenue Authorities	2,68,624.58	1,67,429.36
2	Prepaid Expenses	375.22	-
3	Advance to Suplier	14.46	
	Total	**2,69,014.26**	**1,67,429.36**

AGRINNOVATE INDIA LIMITED

Notes on Financial Statements for the year ended 31st March 2024

Note : 11 Revenue from Operations

(₹ in Hundreds)

S. No.	Particulars	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
1	Licence Fees	668,375.00	958,557.70
2	Consultancy Fee	72,082.31	43,402.39
	Total	**7,40,457.31**	**10,01,960.09**

Note : 12 Other Income

S. No.	Particulars	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
1	Interest on Fixed Deposit	6,35,299.20	4,60,801.99
2	Interest on TDS Refund	0.42	1,823.08
3	Miscellaneous	-	6.88
4	Deprecition Adjustment	4,920.65	-
	Total	**6,40,220.27**	**4,62,631.95**

Note : 13 Employee Benefits Expense

S. No.	Particulars	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
1	Salary:-		
	To Permanent Employees	-	30,946.76
	To Contract Employees	50,117.17	47,606.00
	To Employees employed through Agency	45,208.20	38,268.93
2	Reimbursement of Expenses	1,378.06	929.88
	Total	**96,703.43**	**1,17,751.57**

Note : 7 Depreciation and Amortization Expense

S. No.	Particulars	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
1	Depreciation	2,620 .18	2,708.00
	Total	**2,620 .18**	**2,708.00**

Note : 14 Cost of Sales

S. No.	Particulars	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
	Direct Costs		
1	Cost of Licence Fees	593265.85	801557.51
2	Access Benefit Share(NBA)	-	10081.00
	Total	**593265.85**	**811638.51**

AGRINNOVATE INDIA LIMITED

Notes on Financial Statements for the year ended 31st March 2024

Note : 16 Other Expenses

S. No.	Particulars	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
	Other Direct Costs		
1	Administrative Expenses	3,390.97	1,671.62
2	Electricity and Water	2,916.02	4,066.05
3	Rent, Rates and Taxes	1,748.01	-
4	Common Service Charges	8,425.85	6,481.50
5	Printing and Stationery	2,479.47	3,372.15
6	Communication	4,152.09	6,032.60
7	Vehicle Hire Charges	8,590.56	8,081.55
8	Travelling Inland	5,483.01	4,423.09
9	Advertisement	966.71	629.34
10	Fee and Subscription	306.25	3,163.08
11	Insurance	-	109.27
12	Repairs and Maintenance		
	-Others	2,032.53	10,204.38
13	Legal and Professional Charges	3,095.60	4,271.48
14	Internal Audit Fees	250.00	250.00
15	Secretarial Audit Fee	76.61	59.50
16	Auditor's Remuneration		
	- Audit Fee	460.00	460.00
17	Interest on GST/RCM	81.39	84.99
18	Interest on TDS	27.31	-
19	Provisions (P/Y)	1,301.29	4,880.63
20	Miscellaneous	6,440.26	3,040.53
21	Software written off	-	82.92
22	Exchange Difference	-	13.27
23	Bank Charges	73.97	86.02
			-
	Total	**52,297.90**	**61,463.97**

AGRINNOVATE INDIA LIMITED (AgIn)

Notes on Financial Statements for the year ended 31st March 2024

Note : 17 Deferred Tax Assets/Liability

(₹ in Hundreds)

S. No	Particulars	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
1	**On account of W D V**		
	As per Companies Act	15,075.11	12,691.00
	As per Income Tax	32,729.64	36,977.00
	Excess of WDV as Income Tax Act over Companies Act	-17,654.53	-24,286.00
	Total	17,654.53	24,286.00
	Deferred Tax Assets @ 25.168%	4,443.00	6,112.63
	Recognised in Statement of Profit and Loss	**1,669.63**	**542.00**

Note : 18 Earnings per Equity Share

Particulars	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
Net Profit as per Statement of Profit and Loss available to	4,73,672.81	3,51,246.44
Equity Shareholders	5,00,00,000.00	5,00,00,000.00
Weighted average number of Equity Shares	5,00,00,000.00	5,00,00,000.00
A. Basic Earnings Per Share of Rs.10/- each	**0.95**	**0.70**
B. Diluted Earnings Per Share of Rs.10/- each	**0.95**	**0.70**

Note : 19 Contingent Liabilities

Particulars	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
Contingent Liabilities exists in respect of:-		
a) Claims against the Company not acknowledged as debts		
-Goods and Service Tax Matters	Nil	Nil
-Income Tax Matters	Nil	Nil
-Other Matters	Nil	Nil
Salary of Mrs. Nidhi Godha	Nil	41,930.00
b) Estimated amount of contracts remaining to be executed on Capital Accounts	Nil	Nil
	Nil	Nil
c) Other money for which the company is contingent liable		

Agrinnovate India Limited

Note: 19 Related Party Transections Disclosures

(i) Names of the related parties where control exists and related parties with whom transactions have taken place and relationship :

a) Key Managerial Personnel / Individuals having significant influence on the Company:

- Dr. Himanshu Pathak, Chairman & Director
- Mr. Sanjay Garg, Director
- Dr. Ashok Mahadev Rao Dalwai, Director
- Mrs. Alka Nangia Arora, Director
- Dr. Neeru Bhooshan, Director
- Mr. Anand Mohan Awasthy, Director
- Mr. Gounder Karupana Nagaraj, Director
- Dr Praveen Malik, Chief Executive Officer
- Mr. Rahul Kumar, Chief Financial Officer
- Ms. Dhriti Madaan, Company Secretary

Disclosure in respect of Related Party Transactions during the year

(₹ in Hundreds)

S. No	Particulars	Relationship	For the year ended March 31, 2024	For the year ended March 31, 2023
1	**Managerial Remuneration**			
	Dr. Praveen Malik	Chief Executive Officer	-	
	Ms Dhriti Madaan	Company Secretary	8,719.00	7,920.00
2	**Reimbursement of Expenses**			
	Dr Praveen Malik	Chief Executive Officer	1,121.83	723.00
	Mr. Sudha Mysore	Chief Executive Officer	-	1,449.00
	Mr.Saurabh Muni	Chief Financial Officer	-	113.00
	Mr.Rahul Kumar	Chief Financial Officer	217.27	292.00
	Ms Dhriti Madaan	Company Secretary	253.75	602.00
3	**Director Sitting Fees**			
	Mr. Anand Mohan Awasthy	Director	594.00	540.00
	Mr. Gounder Karupana Nagaraj	Director	342.00	500.00

Note 20 Details of dues to micro and small enterprises as defined under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED Act, 2006)

Dues to micro and small enterprises

The Ministry of Corporate Affairs has issued notification no.G.S.R 1022(E) dated October 11, 2018 which prescribes certain disclosures regarding amount payable to micro enterprises and small enterprises. Accordingly, the disclosure in respect of the amounts payable to such enterprises has been made in the financial statements based on information received from the vendors. The necessary information in this regard is given here under :

Particulars	As at March 31 2024	As at March 31 2023
The principal amount and the interest due thereon remaining unpaid to any supplier as at the end of each accounting year;		
– Principal	-	-
– Interest	-	-
The amount of interest paid by the buyer in terms of Section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, (the Act) along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year	-	-
The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the said Act	-	-
The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each year	-	-
The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise.	-	-

Note 21 Deferred Tax Liabilities/ Assets

The company has been following AS-22 on "Accounting for Taxes on Income" issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Deferred tax asset is recognized and carried forward only to the extent that there is a virtual certainty that the asset will be realized in future.

Note 22 Disclosure of Key Ratios

S. No.	Particulars	Numerator	Denominator	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023	% of } Variance	Reason for Variance if above 25%
1	Current Ratio (times)	Total Current Assets	Total Current Liabilities	8.75	6.92	26%	Due to increase in liability in relation to Institute and ICAR share still to be paid.
2	"Debt-equity Ratio (times)"	Total Debt	Total equity	NA	NA	NA	NA
3	"Debt service coverage Ratio (times)"	Earnings available for debt service (1)	Debt service	NA	NA	NA	NA
4	"Return on equity Ratio (%)"	Profit for the year	Shareholder Equity	6%	5%	1%	Not significant
6	"Trade receivables turnover Ratio (times)"	Revenue from contracts with customers	Average trade receivables	NA	NA	-	
7	"Trade payables turnover Ratio (times)"	"Net Credit Purchases"	Average trade payable for Goods	NA	NA	NA	NA
8	Net capital turnover ratio	Revenue from contracts with customers	Average working capital	0.18	0.26	31%	Due to Decrease in Turnover compared to previous year
9	Operating margin (%)	Earnings before Interest, Tax and Exceptional Items less Other Income	Value of Sales & Services	0.85%	0.47%	80.00%	Due to Decrease in Turnover compared to previous year
10	"Return on capital employed (%)"	Profit before tax add finance costs	"Capital Employed"	8%	6%	33%	Due to increase in non operating income
11	Return on Investment	Net Profit/PAT	Cost of Invetment	9%	7%	42%	Due to increase in non operating income

Note 23 Other Statutory Information

a) The Company does not have any Benami property, where any proceeding has been initiated or pending against the Company for holding any Benami property.

b) The Company has not advanced any loans or advances in the nature of loans to specified persons viz. promoters, directors, KMPs, related parties; which are repayable on demand or where the agreement does not specify any terms or period of repayment.

c) The Company has not been declared as a wilful defaulter by any lender who has powers to declare a company as a wilful defaulter at any time during the financial year or after the end of reporting period but before the date when financial statements are approved.

d) The Company has not advanced or loaned or invested funds to any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (Intermediaries) with the understanding that the Intermediary shall: (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) or (ii) provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

e) The Company has not received any fund from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (Funding Party) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the Company shall: (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries) or (ii) provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

f) There are no transactions and / or balance outstanding with companies struck off under section 248 of the Companies Act, 2013.

g) The Company does not have any transaction which is not recorded in the books of accounts but has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (such as, search or survey or any other relevant provisions of the Income Tax Act, 1961).

h) The Company has not traded or invested in Crypto currency or Virtual Currency during the financial year.

i) The Company has complied with the number of layers prescribed under clause (87) of section 2 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Restriction on number of Layers) Rules, 2017.

j) The Company does not have any charges or satisfaction which is yet to be registered with the Registrar of Companies (ROC) beyond the statutory period.

k) Foreign exchange earnings and outgo

(₹ in Hundreds)

Particulars	FY 2023-24
Outgo	NIL
Earnings	NIL

Note: 25 Previous Year's Figures

Previous year's figures have been regrouped/ reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification/ disclosure.

As per our report of even date attached.

For VIVEK SANJAY AND CO.
Chartered Accountants
Firm's Regn. No. 014189N

CA Ajay Khandelwal.
Partner
M. No. 519516

Place : New Delhi
Date: 10.10.2024

For and on behalf of Board of Directors of
AGRINNOVATE INDIA LIMITED (AgIn)

Alka Nangia Arora
Director
DIN: 03165567

Sanjay Garg
Director
DIN: 03401035

Dr. Praveen Malik
Chief Executive Officer
PAN: ADUPM5768N

Dhriti Madaan
Company Secretary
M. No. A-27642

Rahul Kumar
Chief Financial Officer
PAN : DIHPK6798B

Agrinnovate India Limited

Statutory Dues Payable

S. No	Particulars		As at 31st March 2024
1	Tax Deducted at source		47,661.17
2	TDS on GST		5,655.75
3	Interest Payable		108.67
4	Provision for CGST RCM		220.86
5	Provision for SGST RCM		220.86
6	Provision for IGST RCM	-	11.32
	Total	-	53,878.63

Balances with Banks in Current Accounts

S. No	Particulars	As at 31st March 2024
1	Canara Bank	85,730.82
2	Central Bank of India	40,697.60
		-
	Total	**1,26,428.42**

Other Payables

S. No	Particulars	As at 31st March 2024
1	Beej Sheetal Research Pvt. Ltd. Sensartics Pvt. Ltd.	45.00
2	Surajshree Chemicals Ltd.	100.00
3	W S Telematics Pvt Ltd	250.00
4	W S Telematics Pvt Ltd	20.00
	Total	**415.00**

Advance from Customers

S. No	Particulars	As at 31st March 2024
1	Aimil Pharmaceuticals India Limited	250.00
2	IIL Biologicals Limited	250.00
3	Inera Cropscience Private Limited	2,150.00
4	Nilanchal Agriscience LLP	100.00
5	Penetron Products Pvt Ltd/Ramraj Ass	500.00
6	RCAD Cultivation and Habitation	825.00
7	Sunnah Enterprises	2,212.50
8	Next-Gen Agro	817.23
		7,104.73

Advance to Supliers

S. No	Particulars	As at 31st March 2024
1	Professional Catering Services Pvt. Ltd	0.96
2	ICAR- National Institute of Animal Nutrition and Physiology NIANP	13.50
		14.46

Balances with Revenue Authorities

S. No	Particulars	As at 31st March 2024
1	Balances with Revenue Authorities	1,84,455.16
2	GST ITC	69,107.54
3	Income Tax Refundable (A.Y 2020-21)	15,050.56
4	RCM Input IGST	11.32
	Total	**2,68,624.58**

Trade Receivables Ageing Schedule

S. No	Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					
		Less than 6 months	6 months -1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
1	COE-Department of Horticulture	12,985.00					**12,985.00**
2	Distt. Herticulture Office		165.20				**165.20**
3	Florecer Services Pvt Ltd		24.71				**24.71**
4	Potato Research Center		330.40				**330.40**
5	Terrestrial Foods Limited		160.00	8.00			**168.00**
							-
	TOTAL	**12,985**	**680.31**	**8.00**	-	-	**13,673.31**

AGRINNOVATE INDIA LIMITED

PARTICULARS OF DEPRECIATION AS PER INCOME TAX ACT, 1961

(₹ in Hundreds)

Particulars	Rate of Dep.	WDV As at 1st April, 2023	Additions During the Year			Sales/ Adjustment	Total As at 31st March, 2024	Depre-ciation for the Year	WDV As at 31st March, 2024
			1st April, 2023 to 30th September, 2023	1st October, 2023 to 31st March, 2024	Total Additions				
Building	10%	7,013.00			-	-	7,013.00	701.30	6,311.70
Furniture & fixtures including Electric fitting	10%	18,169.00			-		18,169.00	1,816.90	16,352.10
Office Equipment	15%	11,635.00	-	85.94	85.94		11,720.94	1,751.70	9,969.24
Computers & Accessories	40%	161.00	-	-	-	-	161.00	64.40	96.60
Total		**36,978.00**	**-**	**85.94**	**85.94**	**-**	**37,063.94**	**4,334.30**	**32,729.64**

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of
Agrinnovate India Limited, New Delhi

Report on the Audit of Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the financial statements of **AGRINNOVATE INDIA LIMITED, New Delhi** ("the company") which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2024, and the statement of profit and loss, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the financial statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act 2013("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the company as at March 31, 2024, and its profit, and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

During the year under review, the Company failed to recognize revenue with respect to Royalty as per accounting principles generally accepted in India. The company has no proper records in respect of royalty clause in technology license agreement with the different parties. Company does not exercise control over the units manufactured / sold by the parties using the technology transferred to them on the basis of which royalty to be charged. We are unable to quantify the amount of royalty receivable due to insufficient audit evidences. This has resulted in under-statement of profit by the royalty receivable for the year under audit.

During the year under review, the Company failed to reconcile GST Input credit with GST input claimed through returns filed under Goods and Service Tax Act, 2017. The company has shown un-reconciled balance of GST Input credit of Rs. 25,65,286/- in Note 10 of Balance Sheet. The treatment of GST input credit is not definite due to lack of information whether company can claim this input credit or not as per provisions of GST Act. This has resulted in over-statement of current assets in Balance Sheet as at 31 March,2024.

The company is providing services of marketing of technology developed by different Institutes. As per AS 9 the revenue from transfer of technology under an agreement should be recognized in the Statement of Profit and Loss only when the rendering of services under a contact is completed or substantially completed. The company as a practice recognizing revenue on the basis of receipt of advance. As per technology transfer agreement, the date of transfer of technology is w.e.f. date of signing of Technology transfer agreement. Whereas the company is recognising revenue before completion of contract which is against the accounting principles. During the year, the company has recognized revenue of Rs. 49,50,000/- for which agreement for transfer of technology executed in next financial year i.e. 2024-25. This has resulted in over-statement of profit by Rs. 49,50,000/- for the year under audit.

The company has shown Other Payables of Rs. 41,500/-, Sharing of License fee – ICAR of Rs. 2,87,57,505/- and Sharing of License fee – Institutes of Rs. 5,07,73,657/- in Note no. 5 of Balance Sheet for which we have not received any third party confirmation, therefore we are unable to comment on such balances.

We conducted our audit in accordance with the standards on auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act 2013. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the financial statement section of our report. We are independent of the company in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provision of the Companies Act, 2013 and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.

Key audit matters

Key Audit Matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significant in our audit of the financial statements for the financial year ended March 31, 2024. These matters were address in the context of our audit of the financial statement as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters except for the matters described in "Basis for Qualified Opinion" section. We have determined that there are no other Key audit matters to communicate in our report.

Information other than the financial statement and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexure to Board's Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the above identified reports, we have concluded that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate action necessitate by the circumstances and the applicable law and regulations.

Responsibility of Management for Financial Statements

The company's Board of Directors is responsible for the matter stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flow of the company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting standard specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provision of the Act for safeguarding of the assets of the company and

for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate implementation and maintenance of accounting policies; making judgment and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management in responsible for assessing the company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matter related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Boards of directors are also responsible for overseeing the company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objective are to obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatement can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

- As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Materiality is the magnitude of misstatement in the financial statement that individually or in aggregate make it probable that the economic decision of a reasonably knowledgeable user of the financial statement may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factor in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statement.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by section 143(3) of the Act, we report that:

a) ***Except for the matters described in the "basis for qualified opinion" paragraph,*** we have sought and obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our Audit.

b) In our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by the company so far as it appears from our examination of those books.

c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

d) ***Except for the matters described in the "basis for qualified opinion" paragraph,*** in our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

e) The provisions of section 164(2) of the Act regarding disqualification of the Directors is not applicable to the company vide notification G.S.R. 463(E) dated 5th June 2015.

f) With respect to adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the company and the operating effectiveness of such control, refer to our separate report in **"Annexure A".** Our report expresses a modified opinion on the adequacy and operative effectiveness of the Company's internal financial control over financial reporting.

g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirement of the section 197(16) of the Act, as amended;

- In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the company has not paid any remuneration to its directors during the year under concern.

h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

   i. The company does not have any pending litigations which would impact its financial position.

   ii. The company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which

there were any material foreseeable losses.

iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

iv (i) The management has represented that, to the best of their knowledge and belief no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall:

- directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever ("Ultimate Beneficiaries") by or on behalf of the company or
- provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

(ii) The management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been received by the company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the company shall;

Whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever ("Ultimate Beneficiaries") by or on behalf of the Funding Party or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and

(iii) and based on such audit procedures that we have considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) contain any material mis-statement.

(v) The Company has not declared or paid any dividend during the year under consideration.

(vi) Based on our examination which included test checks, we report that the company has used accounting software for maintaining its books of account which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software. Further, during the course of our audit we did not come across any instance of audit trail feature being tampered with.

As required by the companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub- section (11) of section 143 of the Act, we give in the **Annexure "B"** a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the order.

A report on the matters as per Direction / Sub-Direction issued by the C&AG u/s 143(5) of the Companies Act, 2013 is attached herewith as **"Annexure-C & Annexure-D".**

For **Vivek Sanjay & Co.**
Chartered Accountants
(Firm Regn. No: 014189N)

(CA Ajay Khandelwal)
Partner
M. No. : 519516
UDIN: 24519516BKHQFC7679

Place of Signature: New Delhi
Date: 10 Oct 2024

ANNEXURE A" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred in paragraph 1(f) under "Report on other Legal and Regulatory requirements' section of our report to the members of Agrinnovate India Limited, New Delhi of even date;

Report on the Internal Financial Controls with reference to financial statement under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013.

We have audited the internal financial controls with reference to financial statement of **AGRINNOVATE INDIA LIMITED, New Delhi** ("the Company") as of March 31, 2024 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The company's management and board of directors are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on "the internal financial control with reference to financial statement criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act 2013 (hereinafter referred to as "the Act").

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls with reference to financial statement based on our audit. We conducted our audit in accordance with the guidance note and the standard on Auditing prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of Internal Financial Controls with reference to financial statement. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to financial statement were established and maintained and whether such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls with reference to financial statement and their operating effectiveness. Our audit of Internal Financial Control with reference to financial statement included obtaining an understanding of Internal financial Control with reference to financial statement, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence, we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's Internal Financial Control with reference to Financial Statements.

Meaning of Internal Financial Controls with reference to Financial Statement

A company's Internal Financial Control with reference to Financial Statement is a process designed

to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's Internal Financial Control with reference to Financial Statement includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls with reference to financial statement

Because of the inherent limitations of Internal Financial Control with reference to Financial Statement, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the Internal Financial Control with reference to Financial Statement to future periods are subject to the risk that Internal Financial Control with reference to Financial Statement may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate

Qualified opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the following material weaknesses have been identified as at March 31, 2024:

- The Company did not have an appropriate internal control over recognition of Royalty receivable as per Technology License Agreements, which could potentially result in the under- statement of revenue and establishing reasonable certainty of ultimate collection.

In our opinion, except for the effects/possible effects of the material weakness described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the Company has maintained, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as of March 31, 2024, based on the internal financial control with reference to financial statement criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "Guidance Note").

We have considered the material weakness identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the March 31, 2024 financial statements of the Company, and these material weakness affects our opinion on the financial statements of the Company.

For Vivek Sanjay & Co.
Chartered Accountants
(Firm Registration No: 014189N)

(CA Ajay Khandelwal)
Partner
M. No. : 519516

Place of Signature: New Delhi
Date: 10 Oct 2024

ANNEXURE "B" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred in paragraph 2 under "Report on other Legal and Regulatory requirements' section of our report to the members of **Agrinnovate India Limited)**

I (a) (A) The company is not maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and equipment.

(B) The company has not maintained proper records showing full particulars of intangible assets.

(b) The Property, Plant and Equipment have been physically verified by the management at reasonable intervals; No material discrepancies were noticed on such verification.

(c) The Company does not have any immovable property other than leasehold office premises, for which leasehold agreement is not executed in favour of the company. During the year under review the company has recognised leasehold office premises on the basis of allotment letter dated 22.01.2014 of ICAR, New Delhi.

(d) The company has not re-valued its Property, Plant and Equipment (including Right of Use assets) or intangible assets or both during the year.

(e) No proceeding has been initiated or are pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder.

II (a) As per information and explanation given to us the company is not having any inventory in its business, therefore provisions of clause 3(ii)(a) of the Companies (Auditors Report) Order, 2020 is not applicable to the company.

(b) The Company has not taken any working capital limit from any banks or financial institutions on the basis of security of current assets, therefore clause 3(ii)(b) of the order is not applicable to the company.

III The Company has not made any investments or provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties. Hence reporting under clause 3(iii) of the order is not applicable.

IV The Company has no transaction as per section185 and 186 of the Companies Act 2013. Hence reporting under clause 3(iv) of the order is not applicable.

V The company has not accepted any deposit within the meaning of section 73 to 76 of the Act and the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014 (as amended). Hence reporting under clause 3(v) of the order is not applicable.

VI The requirement for maintenance of the cost records as specified by the Central Government under sub section (1) of the section 148 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the company. Hence reporting under clause 3(vi) of the order is not applicable.

VII (a) In our opinion and as per information and explanation given to us we report that the company is regular in depositing undisputed statutory dues including Goods and Services Tax, Income Tax, and any other statutory dues to the appropriate authorities. We further report that the company is not having any undisputed arrears of outstanding statutory dues as on the last day of the financial year concerned for a period of more than six months from the date they became payable.

b) According to the information and explanation given to us we report that no disputed statutory dues referred to in sub-clause (a) were in arrears as at end of the financial year.

VIII According to the information and explanation given to us we report that we have not come across any transactions, which were not recorded in the books of account earlier and have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961.

IX (a) In our opinion and on examination of the records of the company, the company has not defaulted in repayment of loans or other borrowings or in the payment of interest thereon to the lender.

(b) The Company has not been declared willful defaulter by any bank or financial institution or government or any government authority.

(c) The company has not taken any term loan during the year under consideration, hence reporting under clause 3(ix)(b) of the order is not applicable.

(d) The company has not raised any funds on short term basis during the year, hence reporting under clause 3(ix)(d) of the order is not applicable.

X (e) The company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of others, hence reporting under clause 3(ix)(e) of the order is not applicable.

(f) The company has no subsidiaries, joint ventures or associate companies, hence reporting under clause 3(ix)(f) of the order is not applicable.

(a) The company has not raised any funds by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year under consideration, hence reporting under clause 3 (x)(a) of the order is not applicable.

(b) The company has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully, partially or optionally convertible), hence reporting under clause 3(x)(b) of the order is not applicable.

XI (a) To the best of our knowledge and belief and according to the information and explanations given to us, no fraud by the Company or any fraud on the company has been noticed or reported during the year,

(b) No report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government, during the year and upto the date of this report.

(c) We have not received any complaint in nature of whistle blower during the year under consideration against the company.

XII The company is not a Nidhi Company. Accordingly reporting under clause 3(xii) of the Order is not applicable.

XIII In our opinion, the company is in compliance with sections 177 and 188 of the Companies Act, 2013 with respect to applicable transaction with related parties and the details of related party transactions have been disclosed in the financial statements as required by the applicable accounting standards.

XIV(a) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business.

(b) The report of the internal auditors for the year under audit has been considered by us.

XV In our opinion, during the year the company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with them. Accordingly clause 3(xv) of the order is not applicable.

XVI In our opinion and according to the information and explanations given to us:

(a) The company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934, hence reporting under clause 3(xvi)(a) of the order is not applicable.

(b) The company has not conducted any Non-Banking Financial or Housing Finance activities during the year under consideration, hence reporting under clause 3(xvi)(b) of the order is not applicable.

(c) In our opinion the company is not a Core Investment Company (CIC) as defined in the regulations made by the Reserve Bank of India, hence reporting under clause 3(xvi)(c) of the order is not applicable.

(d) In our opinion and as per information available with us, the Company is not a part of any group, hence reporting under clause 3(xvi)(d) of the order is not applicable.

XVII The Company has not incurred any cash losses during the year and in the immediately preceding financial year.

XVIII There has no incident of Auditors resignation during the year under consideration.

XIX According to the information and explanations given to us and on the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, our knowledge of the Board of Directors and management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report that company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the company as and when they fall due.

In our opinion, the provisions of section 135 of Companies Act 2013 are not applicable to the company therefore provisions of clause 3(xx) (a) and (b) of the order are not applicable to the company.

For **Vivek Sanjay & Co.**
Chartered Accountants
(Firm Regn No : 014189N)

(CA Ajay Khandelwal)
Partner
M. No. : 519516

Place of Signature: New Delhi
Date: 10 Oct 2024

Annexure-C to Independent Auditor's Report

(Referred to in Paragraph-3 under 'Report on other legal and Regulatory Requirements' Section of our Report of Even Date)

1	Where the Company has clear title/lease deeds for the freehold and leasehold respectively? If not Please state, the area of the freehold and lease hold land for which title/lease deeds are not available.	The company does not have any freehold and lease-hold land as on 31.03.2024 however during the year under review the company has recognised leasehold office premises on the basis of allotment letter dated 22.01.2014 of ICAR, New Delhi, for which no lease-hold agreement is executed in favour of the company.
2	Whether there are any classes of waiver/write-off of debts/loan/interest etc. If yes, the reason there for and amount involved.	There are no such cases.
3	Whether proper records are maintained for inventories lying with the third parties & assets as gift/grant(s) from the Government or other authorities.	There is no inventory in the company and no assets received from Government or other authorities, hence not applicable

Based on such above facts, in our opinion and to the best of our information and recording to the explanations given to us, no action is required to be taken thereon and there is no impact on the accounts and financial statement of the Company.

For **Vivek Sanjay & Co.**
Chartered Accountants
(Firm Regn No: 014189N)

(CA Ajay Khandelwal)
Partner
M. No. : 519516

Place of Signature: New Delhi
Date: 10 Oct 2024

Annexure-D to Independent Auditor's Report

(Referred to in Paragraph-3 under 'Report on other legal and Regulatory Requirements' Section of our Report of Even Date)

1	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT System? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	The Company has IT Systems in place to process all the accounting transactions. All accounting entries are captured in computerized system and account is generated after authorization and closing of all entries. Hence, there are no implications of processing of accounting transactions outside IT system.
2	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/ loans/interest etc. made by a lender to the company due to company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is a Government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender company).	During the financial year 2023-24, there are no instances of restructuring of an existing loan or cases of waiver / write off of debts / loans / interest etc. made by a lender to the company due to company's inability to repay the loan.
3	Whether funds (grants/subsidy etc.) received / receivable for specific schemes from Central/State Government or its agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation	No funds (grants/subsidy etc.) have been received from Central/State government or its agencies in financial year 2023-24.

Based on such above facts, in our opinion and to the best of our information and recording to the explanations given to us, no action is required to be taken thereon and there is no impact on the accounts and financial statement of the Company.

For **Vivek Sanjay & Co.**
Chartered Accountants
(Firm Regn No: 014189N)

(CA Ajay Khandelwal)
Partner
M. No. : 519516

Place of Signature: New Delhi
Date: 10 Oct 2024

SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
Agrinnovate India Limited
G-2, A Block, N.A.S.C. Complex
D.P.S. Marg New Delhi – 110012

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Agrinnovate India Limited (CIN U01400DL2011GOI226486)** (hereinafter called the 'Company'). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

A. Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, **we hereby report that** in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2024 ('Audit Period') complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

B. We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31st March, 2024 according to the provisions of:

   i. The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;

   ii. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made there under (**Not Applicable to the Company during the Audit period**);

   iii. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed there under **Not Applicable to the Company during the Audit period**);

   iv Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made there under to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; (**Not Applicable to the Company during the Audit period as there were no Foreign Direct Investments, Overseas Direct Investments in the Company and no External Commercial Borrowings were made by the company);**

   v The Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act')- (**Not Applicable to the Company during the Audit period**);

   vi We further report that, having regards to the compliance system prevailing in the Company, on examination of the relevant documents and records in pursuance thereof, on test check basis, the Company has generally complied with the specifically applicable laws to the Company as identified by the Management, including Income Tax Act, 1961, Department of Public Enterprises (DPE) Guidelines on Corporate Governance, etc., to the extent of their applicability to the Company.

C We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

i Secretarial Standards with regard to Meetings of the Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2) issued by The Institute of Company Secretaries of India.

ii Listing Agreements entered into by the Company with Stock Exchange(s). **(not applicable to the Company during the audit period)**.

D During the period under review the Company has generally complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards etc. mentioned above subject to the following observations:

i As per Section 149 read with Rule 4 of Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, the companies shall have at least two directors as independent directors, however, there is no Independent Director on the Board of the Company.

ii Due to pending appointment of Independent Directors on the Board of the Company and improper composition of the Board and its Committees as on 31st March, 2024, does not fulfill the respective requirements of Sections 177 and 178 of the Companies Act, 2013, with respect to Independent Directors on its Board has also led to deviation with other allied requirements such as quorum for Committee Meetings, Separate Meeting of independent Directors etc.

iii Dr. Jujjavarapu Balaji was appointed as Additional Director from 09.03.2023 to 17.08.2023. However, Form DIR 12 for appointment and resignation was not filed by the Company.

iv The Company has not framed and approved the Risk Management Policy of the Company however the board has approve the policy on 29.05.2024.

v As per the DPE Guidelines:

1 At least one-third of the Board Members should be Independent Directors, two-thirds of the members of audit committee shall be Independent Directors, all members of Remuneration Committee should be part-time Directors (i.e. Nominee Directors or Independent Directors) and Committee should be headed by an Independent Director, however, there is no Independent Director on the Board.

2 Time gap between any two meetings should not be more than three months. However, on perusal of records of the Company, we observed that time gap between Board Meetings dated 17.08.2023, 22.11.2023 and 07.03.2024 is exceeding 3 (three) months.

3 The Board did not periodically review and take remedial action to implement the Risk management plan.

4 The company shall undertake training programme for its new Board members (Functional, Government, Nominee and Independent) in the business model of the company including risk profile of the business of company, responsibility of respective Directors and the manner in which such responsibilities are to be discharged. They shall also be imparted training on Corporate Governance, model code of business ethics and conduct applicable for the respective Directors. The Company has taken approval of Board Members on 07.03.2024 for implementation of training programme for new Board members.

E We further report that:

i the Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors and Non-Executive Directors *except as enumerated in para D above regarding*

the appointment for independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

ii Generally adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were generally sent at least seven days in advance, however, sometimes notice and agenda papers were sent with short notice with the consent of the Board and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

iii All decisions at Board Meetings and Committee Meetings are carried out by majority as recorded in the minutes of the meetings of the Board of Directors or Committee of the Board, as the case may be.

F **We further report that** based on the information received and records maintained there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

G **We further report that** during the audit period there has not been any such activity having a major bearing on the Company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines etc.

This report is to be read with our letter of even date which is annexed as "Annexure A" and forms an integral part of this report.

For **VAP & Associates**
Company Secretaries
FRN: P2023UP098500
Peer Review No: 1083/2021

Parul Jain
Managing Partner
M. No. F8323
C.P. No. 13901
UDIN: F008323F001499989

Date: 09.10.2024
Place: Ghaziabad

Annexure – 'A'

ANNEXURE TO SECRETARIAL AUDIT REPORT

To,
The Members,
Agrinnovate India Limited
G-2, A Block, N.A.S.C. Complex
D.P.S. Marg New Delhi – 110012

Our report of even date is to be read along with this letter.

1 Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.

2 We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial record. We believe that the process and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.

3 The compliance of the provisions of corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test check basis.

4 Our Audit examination is restricted only upto legal compliances of the applicable laws to be done by the Company, we have not checked the practical aspects relating to the same.

5 We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the company as well as correctness of the values and figures reported in various disclosures and returns as required to be submitted by the Company under the specified laws, though we have relied to a certain extent on the information furnished in such returns.

6 The compliance by the Company of applicable financial laws such as direct and indirect tax laws has not been reviewed in this Audit since the same have been subject to review by statutory auditors and other designated professionals and the contents of this Report has to be read in conjunction with and not in isolation of the observations, if any, in the report(s) furnished/to be furnished by any other auditor(s)/agencies/authorities with respect to the Company.

7 Due to the inherent limitations of an audit including internal, financial, and operating controls, there is an unavoidable risk that some misstatements or material non compliances may not be detected, even though the audit is properly planned and performed in accordance with audit practices.

8 Wherever required, we have obtained the management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events, etc.

9 The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For VAP & Associates
Company Secretaries
FRN: P2023UP098500
Peer Review No: 1083/2021

Parul Jain
Managing Partner
M. No. F8323
C.P. No. 13901
UDIN: F008323F001499989

Date: 09.10.2024
Place: Ghaziabad

THE CERTIFICATE ON COMPLIANCE OF CORPORATE GOVERNANCE NORMS

To
The Members,
M/s Agrinnovate India Limited,
New Delhi.

We have examined the relevant books, records and statements in connection with compliance of the conditions of Corporate Governance by M/s Agrinnovate India Limited ("the Company") for the financial year ended on 31st March, 2024, as stipulated in Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises (CPSEs), 2010 issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India.

The compliance of the conditions of the Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of corporate governance as laid down in the above said guidelines. Our Certification is neither an audit nor an expression of the opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Company has complied with the conditions of Corporate Governance Norms as stipulated in the abovementioned DPE Guidelines, except the following observations:

1 At least one-third of the Board Members should be Independent Directors, two-thirds of the members of audit committee shall be Independent Directors, all members of Remuneration Committee should be part-time Directors (i.e. Nominee Directors or Independent Directors) and Committee should be headed by an Independent Director, however, there is no Independent Director on the Board.

2 Time gap between any two meetings should not be more than three months. However, on perusal of records of the Company, we observed that time gap between Board Meetings dated 17.08.2023, 22.11.2023 and 07.03.2024 is exceeding 3 (three) months.

3 The Board did not periodically review and take remedial action to implement the Risk management plan.

4 The company shall undertake training programme for its new Board members (Functional, Government, Nominee and Independent) in the business model of the company including risk profile of the business of company, responsibility of respective Directors and the manner in which such responsibilities are to be discharged. They shall also be imparted training on Corporate Governance, model code of business ethics and conduct applicable for the respective Directors. The Company has taken approval of Board Members on 07.03.2024 for implementation of training programme for new Board members.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency of the effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For **VAP & Associates**
Company Secretaries

FRN: P2023UPO98500
Parul Jain
Peer Review No.: 1083/2021
Managing Partner
M. No. F8323
CP No. 13901

Date: 09.10.2024
Place: Ghaziabad

महा निदेशक लेखा परीक्षा
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन), नई दिल्ली
Director General of Audit
(Agriculture, Food & Water Resources), New Delhi

सत्यमेव जयते

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

गोपनीय

रिपोर्ट/2-301/डी.जी.ए./(ए.एफ.&डब्ल्यू.आर)/A/cs/Agrinnovate/2024-25/५०२५

दिनांक :- ९.12.2024

सेवा में,

निदेशक,
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड,
जी-2, ए ब्लॉक, एन.ए.एस.सी. कॉम्पलैक्स,
डी.पी.एस. मार्ग,
नई दिल्ली-110012.

विषय: **भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(b) के अंतर्गत एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वितीय खातों पर टिप्पणियां।**

महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(b) के अंतर्गत एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वितीय खातों पर शून्य टिप्पणियां। भेजी जा रही ।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें ।

भवदीया,

संलग्न: यथोपरि

सौम्या

(सौम्या परिहार)
विशेष कार्य अधिकारी,प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा, केंद्रीय व्यय(कृषि, खाद्य एंव जल संसाधन)

आठवाँ व नवाँ तल, संकाय भवन, 10 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली- 110002
8th & 9th Floor, Annexe Building, 10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110002
दूरभाष/Phone : 011-23239419, 23239420 फैक्स/Fax : 91-11-23239416, E-mail : dgaafwr@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF AGRINNOVATE INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024

The preparation of financial statements of **Agrinnovate India Limited** for the year ended 31 March 2024 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their **Audit Report dated 10th October 2024.**

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of **Agrinnovate India Limited** for the year ended 31 March 2024 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143 (6) (b) of the Act.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place: New Delhi
Date: 09.12.2024

Saumya

(Saumya Parihar)
Officer on Special Duty, Principal Director of Audit, Central Expenditure
(Agriculture, Food & Water Resources)

AGRINNOVATE IN NEWS

Vet Varsity signs MoU with Agrinnovate India Limited

PUNJAB EXPRESS BUREAU
Ludhiana, September 28

Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University, Ludhiana formalized a Memorandum of Understanding (MoU) with Agrinnovate India Limited, New Delhi, marking a collaborative effort for the Technology Transfer and Commercialization of the University's technologies.

The MoU was signed by Dr JPS Gill, Director of Research and Dr. Praveen Malik, CEO of Agrinnovate India Limited. The signing ceremony took place in the presence of Dr Inderjeet Singh, Vice-chancellor, Dr HS Banga, Registrar, Dr YPS Malik, Dean College of Animal Biotechnology Dr SPS Ghuman, Dean College of Veterinary Sciences, Dr SK Uppal, Dean Postgraduate Studies along with other officers of the university and HoDs.

देवी में विकसित तकनीक को बाजार में उतारेगा एग्री इनोवेट : डॉ. सिंह

कृषि विवि में विकसित तकनीकों का एग्रा इनोवेट बाजार में उतारेगी

For the first time, ICAR to open its doors for joint research with private sector

Prabhudatta Mishra
New Delhi

Indian Council of Agricultural Research (ICAR) has for the first time decided to allow the private sector in joint research, while there are plans to take up collaborative projects in education for which detailed guidelines will be ready in the next two months.

Briefing media at the concluding day of the Foundation Day celebration, ICAR's Director-General Himanshu Pathak said the research will be conducted jointly after an agreement is signed with a company and the technology once developed will be owned jointly by both ICAR and the private company. Any royalty from the distribution of technology will also be shared by both equally, he said.

Himanshu Pathak, Director-General, ICAR

Asked about the affordability of such technology for small and marginal farmers, which constitute 86 per cent of the farming population, he said there would not be any problem and it could be cheaper than what private companies offer when developed on their own.

MOU WITH 13 FIRMS

He stressed that the public sector research would also continue, parallelly and it will be an option for the private sector to collaborate.

The Director-General said the current programme of distribution of technology through private sector companies and the contract research programme would also continue.

Technologies developed by ICAR are distributed through interested private companies who pay royalties to the institute whereas any private sector company may undertake a research through an ICAR institute by funding a programme with the rights over the technology for some fixed years, whenever it is developed.

ICAR announced on Tuesday that it has signed MoUs with 13 companies for the transfer of 17 technologies. In 2022-23, as many as 125 such MoUs were signed.

Agrinnovate India Limited (AgIn), the commercial arm of ICAR, acts as an interface between ICAR research institutes/NARS and various public/private stakeholders.

The MoUs signed by AgIn on behalf of ICAR, will fetch the government ₹1.21 crore as license fees to b paid by the companies, officials said.

"HT (Herbicide-tolerant) trait donor rice genotype" technology, developed by IARI (Pusa institute), has been transferred to Leadbeter Seeds (a subsidiary of Mahyco Grow). Two technologies for potato minitubers production — aeroponics technology and In-vitro plant acclimatisation technology, developed by CPRI, Shimla, has been transferred to UniAgri Biosciences of Punjab.

On the private participation in education and extension, officials said guidelines are yet to be framed and it may be finalised at the earliest.

AGRINNOVATE INDIA LIMITED
G-2, A Block
National Agricultural Science Centre Complex
DPS Marg, New Delhi-110012
Ph.: 011-25842122, Telefax: 011-25842124
E-mail: info@agrinnovate.co.in
Website: www.agrinnovate.co.in